लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 32 बुद्धवार, 5 जुलाई, 1967/14 आषाढ, 1889 (शक)

No. 32–Wednesday, July 5, 1967/Asadha 14, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
931	महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Border Dispute ..	4269–4273
934	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi ...	4273–4277
935	मेहतरों की सेवा की शर्तें	Conditions of Service of Scavengers ...	4277–4281
936	दूरस्थ नगरों के साथ सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था के लिये टेलीफोन का साज–सामान	Telephone Equipment for S. T. D. Services	4281–4284
अल्प-सूचना प्रश्न / S.N. Q.			
23	डाक संबंधी जालसाजी	Postal Racket	4284–4287
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता.प्र. संख्या / S. Q. Nos.			
932	विद्रोही मिजो लोग	Mizo Hostiles ...	4287
933	अखिल भारतीय घुड़सवार संस्था	All India Equestrian Association	4287–4288
937	मैक्सिको में ओलिम्पिक खेल	Mexico Olympic Games	4288
938	पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त की जांच	Police Verifications ..	4288
939	टेलीफोन कालों का रिकार्ड रखने वाले मीटर	Meters to record Telephone Calls	4288–4289

* किसी नाम पर यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

940	चीनियों द्वारा इश्तहारों का वितरण	Distribution of Leaflets by Chinese	4289
941	राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र–व्यवहार	Correspondence in Hindi with States ...	4289–4290
942	अन्तर्राष्ट्रीय छात्र होस्टल	International Students Hostel	4290
943	दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना	Compulsory Primary Education in Delhi ...	4290
944	भारत–अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान	Indo. U. S. Educational Foudation.. ...	4291
945	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में छटनी	Retrenchment in Central Hindi Directorate	4291
946	औद्योगिक न्यायाधिकरण को कर्मचारियों की मांग का मामला सौंपना	Reference of Workers demand to Industrial Tribunal	4291–4292
947	निजाम द्वारा जवाहरात बेचना	Sale of Jewels by the Nizam ...	4292
948	अन्दमान द्वीप में भूमि का आवंटन	Allotment of Land in Andamans	293
949	पश्चिमी बगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees in West Bengal ..	4293–4294
950	इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industries	4294
951	अखिल भारतीय लॉन–टेनिस एसोसियेशन का अध्यक्ष पद	Presidentship of All India Lawn-Tennis Association	4294
942	ऐजल नगर पर विद्रोही मिजो लोगों द्वारा आक्रमण	Mizo Attack on Aijal Town	4295–4296
953	विश्व विद्यालय की परीक्षाओं में उतीर्ण होने के लिये अंको की प्रतिशतता	Pass Percentages in University Examinations	4296

अता. प्र. संख्या/ U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.		
954 नक्सलबाड़ी	Naxalbari	4296–4297
955 पश्चिम बंगाल में सेंट्रल इन्टेलिजेंस एजेंसी के सम्पर्क	C. I. A. links in West Bengal	4297
956 संघ राज्य क्षेत्रों के करारोपण प्रस्ताव	Taxation Proposals of Union Territories ...	4297–4298
957 हथकरघा उद्योग के लिये अध्ययन दल	Study Group for Handloom Industry ...	4298–4299
958 तारों (केबल) की दरें	Cable Rates ...	4299
959 डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा फालतू आधा घंटा काम न करना	Abstentions from Extra Half Hour by P & T Staff	4299
960 नक्सलबाड़ी के लिये संसदीय प्रतिनिधि मंडल	Parliamentary Delegation to Naxalbari ..	430
अता. प्रश्न संख्या / U.S.Q. Nos.		
4492 अमरीका की सेंट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी	Central Intelligence Agency of America ...	4300
4493 ताज महल में पर्यटकों के लिये सुविधाएं	Facilities for Tourists at Taj ..	4301
4494 बिहार तथा पश्चिम बंगाल में खान दुर्घटनायें	Mine Disasters in Bihar and West Bengal ...	4301-4302
4495 ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड को अनुदान	Grant to Travancore Dewaswam Board ...	4302
4496 लोथाल में पुरातत्वीय वस्तुओं की खोज के लिये खुदाई	Archaeological Excavation at Lothal ...	4302–4303
4497 गुजरात में धर्म प्रचारक	Missionaries in Gujarat	4303
4498 गुजरात में रिक्त पदों का अधिसूचित किया जाना तथा भरा जाना	Vacancies Notified and Filled in Gujarat ...	4304
4499 गुजरात राज्य में डाकघर	Post Offices in Gujarat State	4304–4305

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
4500	भारत सुरक्षा नियमों का हिन्दी संस्करण	Hindi Edition of Defence of India Rules ..	4305
4501	मध्य प्रदेश में आदिम ज तियों के विद्यार्थी	Tribal Students in Madhya Pradesh	4305
4502	बिहार में डाक तथा तार घर	P & T Offices in Bihar	4306
4503	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme ..	4306
4504	उड़ीसा में तार की चोरी	Theft of Wire in Orissa	4306–4307
4506	गुजरात म पुस्तकालयों को सहायता	Aid to Libraries in Gujarat	4307
4507	डाक तथा तार सलाहकार बोर्ड अम्बाला सर्किल	P & T Advisory Board, Ambala Circle ..	4307–4308
4508	मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिये धन का नियतन	Higher Education of Scheduled Tribes in Madhpa Pradesh	4308
4509	गोआ में मूल्यों में वृद्धि	Rise of Prices in Goa ...	4308–4309
4510	गोली कांड	Firings ...	4309
4511	टेलीफोन के तारों की चोरी	Theft of Telephone Wires — ...	4309–4310
4512	कांग्रेस अध्यक्ष के मकान को जला डालने का प्रयास	Attempt to Burn Congress Presidents House	4310
4513	बीड़ी बनाने वाले श्रमिक	Bidi Workers	4310–4311
4514	दिल्ली में डाक और तार विभाग में चौथी श्रेणी के कर्मचारी	Class IV P & T Employees in Delhi.. ...	4311

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4515	दिल्ली में ईंटों के भट्टे	Brick kilns in Delhi	4311
4516	नई दिल्ली में रीगल पार्क में पटाखे फटने की घटना	Cracker Explosion at Regal Park. New Delhi	4311-4312
4517	विद्रोही नागाओं द्वारा आक्रमण	Attack by Naga Hostiles	4312
4518	बेरोजगार बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	4312
4519	उर्दू को बढावा देना	Promotion of Urdu	4312–4313
4520	वैज्ञानिकों का समुच्चय	Scientists Pool	4313–4314
4521	त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत की स्थिति	Position of Sanskrit in Three Language Formula	4314
4523	पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी	Refugees from East Pakistan	4314-4315
4524	लौह अयस्क की खानें	Iron Ore Mines ...	4315
4525	उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाएं ...	High School and Intermediate Examinations in U. P.	4316
4526	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्र-वृत्तियां	Stipends for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	4316–4317
4527	अखिल भारत राज्य कर्मचारी सम्मेलन	All India State Employees Conference ...	4317
4528	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance	4317
4529	अध्यापकों के लिये तीन लाभ वाली योजना	Tripple benefit Scheme for Teachers... ..	4318
4530	खेलकूद में प्रशिक्षण	Coaching in Sports	4318
4531	मंत्रियों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता	T. A. and D. A. of Ministers	4319

अता. प्र. संख्या./U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
4532 पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from East Pakistan ...	4319-4320
4533 महाराष्ट्र में स्पेन का पादरी	Spanish Priest in Maharashtra ..	4320
4534 दूर संचार व्यवस्था में रुकावट	Interruption in the long Distance Communications	4320–4321
4535 उड़ीसा उच्च न्यायालय मे लेख याचिकाएं	Writ Petitions in Orissa High Court... ...	4321–4322
4536 धन के लिये अपील	Appeal for Funds	4322
4537 कांग्रेस अध्यक्ष	Congress President ...	4322
4538 राजस्थान में पाकिस्तानी रेंजरों का अवैध प्रवेश	Pak Rangers' Intrusion in Rajasthan.. ..	4322-4323
4539 मद्यनिषेध	Prohibition ..	4323
4540 उत्तर प्रदेश में चलते फिरते डाकघर	Mobile Post Offices in U. P.	4323-4324
4541 उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पीड़ित लोगों को सहायता	Assistance to Political Sufferers of Uttar Pradesh	4324
4543 उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत लोग	Persons Registered in Employment Exchanges in U. P.	4324
4544 लक्कदीव द्वीपसमूह में पाकिस्तान की शरारतपूर्ण कार्यवाहियां	Mischievous Activities of Pakistan in Laccadive Islands ...	4324
4545 डाक बचत बैंक के खातों की न मांगी गई राशि	Unclaimed Money in Postal Savings Bank Account	4325
4546 भारतीय वैज्ञानिकों का वेतन	Pay of Indian Scientists ...	4325–4326
4547 डाक तथा तार विभाग में संगणक	Computers in P. and T. Deptt.	4326

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4548	उड़ीसा में छात्रों को योग्यता-छात्रवृत्तियां	Merit Scholarships to Students in Orissa ...	4326–4327
4549	उड़ीसा की तकनीकी संस्थाओं में योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां	Merit cum Means Scholarships in Orissa Technical Institutes	4327
4550	उड़ीसा में सांस्कृतिक केन्द्र	Cultural Centres in Orissa ..	4327-4328
4551	उड़ीसा में इंजीनियरी के कालेजों को अनुदान	Grants to Engineering Colleges in Orissa ...	4328
4552	उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा	Adult Education in Orissa	4329
4553	पुरातत्वीय संग्रह	Archaeblogical Treasures	4329
4554	केन्द्रीय स्कूल	Central Schools	4329–4330
4555	सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dial Telephone System	4330
4556	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की पुनर्विचार समिति	Reviewing Committee on C.S.I.R.	4330–4331
4557	हिन्दी का अध्यापन	Teaching of Hindi	4331
4558	गोआ में नये हिन्दू	New Hindus in Goa	4331–4332
4559	केरल में प्राथमिक पाठ-शालाओं की इमारतें	Primary School Buildings in Kerala... ..	4332
4560	भारतीय पैट्रोलियम संस्था, देहरादून	Photo Interpretation Institute, Survey of India	4332–4333
4561	गैर–पत्रकार कर्मचारियों के लिए श्रमिक बोर्ड की सिफारिशों सम्बन्धी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण	National Tribunal on Recommendations of Wage Board for non-working Journal-ists	4333
4562	विश्व युवक सभा (वर्ल्ड एसेम्बली आफ यूथ)	World Assembaly of Youth	4333–4334
4563	विक्रम विश्वविद्यालय में नियुक्तिया	Appointment in Vikram University... ..	4334

4564 उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in U. P.	4334
4565 बिहार में मैट्रिक परीक्षा के परिणाम	Results of Bihar Matriculation Examinations	4334–4335
4566 मंत्रियों के विरुद्ध जांच	Enquiries against Ministers ...	4335
4567 लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश खण्ड कार्यालय में मुकदमेबाजी	Litigations in the U.P. Regional Office. Lucknow ..	4335
4568 हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका	Hindi Telephone Directory	4336
4569 श्रेणी चार के कर्मचारी	Class IV Employees ..	4336–4337
4570 अन्दमान द्वीप में कर्मचारी	Employees in Andamans	4337–4338
4571 मिडिल प्वांइंट हायर सेकेन्डरी बालक स्कूल, अंदमान	Middle Point H. S. Boys' School, Andamans ...	4338
4572 पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pakistani Infiltrators ..	4338–4339
4573 समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान करने वाले अमरीकी जहाज का हस्तान्तरण	Transfer of U. S. Research Vessel	4339
4574 दिल्ली में मदिरा तथा वियर के मूल्य	Price of Wine and Beer in Delhi	4340
4575 सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मंत्रियों के दौरे	Tours of Ministers to Drought Affected Areas	4330
4576 मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय	Central Government Offices in Madras, U. P. and Bihar	4340
4577 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृतियां	Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students	4341

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4578	हिन्दी में परि-पत्र सर्कुलर	Circulars in Hindi ...	4341–4342
4579	डाक घर	Post Offices	4342
4580	विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण	Kidnapping by Naga Hostiles ...	4342
4581	पुरातत्वीय विभाग का शताब्दी समारोह	Centenary Celebrations of Archaeological Department	4342–4343
4582	पुरातत्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Survey .. —	4343
4583	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Scientific and Technical Terminology Commission	4343-4344
4584	वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Scientific and Technical Terminology Commission	4344
4585	गृह-कार्य मंत्रालय में संसदीय सहायकों के पद	Posts of Parliament Assistants in Home Ministry	4344–4345
4586	दिल्ली के पोलिटेक्निकों में प्रवेश के लिये आरक्षित स्थान	Reserved Quota for Admission in Delhi polytechnics	4345
4587	दिल्ली के पोलिटेक्निकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Stipends to S. C. & S. T. Students in Delhi Polytechnics — ...	4345–4346
4588	डाक और तार विभाग के शिकायत अनुभाग	P & T Complaint Cells	4346
4589	दिल्ली में पड़ौस के स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था	Neighbour-hood School system in Delhi ...	4346–4347
4590	हरियाना के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation from Haryana Employees ..	4347
4591	बम्बई के एक स्कूल में धार्मिक असहिष्णुता	Religious intolerance in a Bombay School ..	4347–4348

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

4592	दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में अध्यापक	Teachers in Delhi Education Directorate ...	4348
4593	अनिवार्य शिक्षा योजना	Compulsory Education Scheme	4348
4594	नादिया में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pak intrusion in Nadia ...	4348-4349
4595	राष्ट्रीय अभिलेखागारों के निदेशक	Directors of National Archives ...	4349
4596	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक	National Discipline Scheme Instructors ...	4350
4597	वीर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamps on Veer Savarkar...	4350
4598	गोदी श्रमिक बोर्ड, कलकत्ता	Dock Labour Board, Calcutta ..	4351
4599	टेलीफोन सलाहकार समितियां	Telephone Advisory Committees	4351
4600	दिल्ली में शीतागार (कोल्ड स्टोरेज)	Cold Storages in Delhi	4352
4602	तकनीकी व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment of Technical Persons	4352
4603	शिक्षित लोगों की बेरोजगारी	Unemployment of Educated Persons ...	4352
4604	भारत में चीनी राष्ट्रजन	Chinese in India	4353
4605	संसद सदस्यों के भत्ते	Allowances to Members of Parliament ..	4353
4606	दिल्ली विश्वविद्यालय का पुस्तकालय	Delhi University Library	4353-4354
4607	विदेशी डिप्लोमाओं को मान्यता देना	Recognition to Foreign Diplomas	4354-4355
4608	नेहरू स्मारक, नई दिल्ली में प्रवेश	Admission to Nehru Memorial, New Delhi..	4355
4609	अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूदों में भाग लेना	Participation in International Sports ...	4355

अता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
4610	पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाना को सम्पत्ति का आवंटन — Allocation of Properties in Punjab, H. P. and Haryana	4356
4611	पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के क्षतिपूर्ति के दावे — Compensation Claims of Refugees from West Pakistan	4356–4357
4612	हथकरघा बुनकरों पर बोनस अधिनियम लागू किया जाना — Extension of Bonus Act to Handloom Weavers	4357
4613	सिरमूर के स्वर्गीय महाराजा के कर्मचारी — Employees of the Late Maharaja of Sirmur...	4357–4358
4614	दिल्ली में निरीक्षक/उप-निरीक्षक — Inspectors/Sub-Inspectors in Delhi	4358
4615	हिन्दी प्रशिक्षण — Hindi Training .. —	4358
4616	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षित स्थान — Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	4358–4359
4617	बिहार में टेलीफोन — Telephone Connections in Bihar	4359
4618	विश्वायतन योगाश्रम — Viswayatan Yogashram	4360–4361
4619	टेलीफोन सेवा — Telephone Service ...	4361
4620	अहमदनगर के निकट पाये गये पुरातत्वीय अवशेष — Archaeological Finds near Ahmednagar ...	4362
4621	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के पास धन की कमी — Depleted funds with C. S. I. R. ... —	4362–4363
4622	देश के कुछ भागों में अराजकता — Lawlessness in the Country	4363
4623	श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीय राष्ट्रजन — Repatriates from Ceylon ... —	4363–4364

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4624	शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	Physical Training Programme	4364
4625	संसदसदस्यों की टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को बीच में सुनना	Tapping of Telephones of Members of Parliament	4364
4626	शिकायत आयुक्त	Grievances Commissioner ...	4364-4365
4627	कोलार स्वर्ण खानों में बोनस का भुगतान	Payment of Bonus in Kolar Gold Mines ...	4365
4628	पोलीटेक्निकों में छात्रों को छात्रवृत्तियां	Payment of Scholarships in Polytechnics ..	4366
4629	धारा 314 और 302 के अन्तर्गत विदेशी धर्मप्रचारकों पर मुकदमा चलाना	Foreign Missionaries Prosecuted under Sections 314 and 302	4366
4630	बसों में यात्रा करने वाले पुलिस कर्मचारी	Police Personnel Travelling in Buses ...	4366–4367
4631	हिन्दी में पत्र	Letters in Hindi ...	4367
4632	सरकारी अधिकारियों की विदेशी पत्नियां	Foreign Wives of Government Officers ...	4367
4633	दिल्ली में गुंडागर्दी	Goondaism in Delhi	4368
4634	विद्रोही मिजो लोगों द्वारा धावा	Attack by Mizo Rebels ...	4368–4369
4635	राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत किये गये दस्तावेज	Papers Presented to National Archives ...	4369
4636	मंत्रियों के निजी सचिव / निजी सहायक	P. Ss./P. As. to Ministers	4369–4370
4637	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में सहायक	Assistants in Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation	4371
4638	स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी	Heroes of the War of Independence	4371
4639	हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers	4372

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4640	सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाएं	Educational Facilities to Children of Government Employees	4372
4641	पाकिस्तानी डाकुओं द्वारा हत्या	Murders by Pak. Dacoits	4372–4373
4642	अन्दमान प्रशासन के कर्मचारियों के लिये विशेष वेतन	Special Pay to Andaman Employees	4373
4643	अन्दमान द्वीप समूह में तूफान	Cyclone in Andaman Islands ...	4373–4374
4644	अन्दमान द्वीप समूह में उच्चतर माध्यमिक स्कूल की परीक्षा	Higher Secondary School Examination in Andamans	4374
4645	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में स्कूल की परीक्षा	School Examination in Andamans and Nicobar Islands	4374–4375
4646	राजस्थान में पाकिस्तानी धावे	Pak. Raids in Rajasthan	4375
4647	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का सामूहिक आगमन	Influx of Refugees from East Pakistan ...	4375–4376
4648	पटना विश्वविद्यालय के अध्यापक	Teachers of Patna University	4376
4649	खेमकरण का पुनर्निर्माण	Reconstruction in Khem Karan	4376–4377
4650	डाक तथा तार कर्मचारियों की टाइप परीक्षा	Typing test for P & T Employees	4377–4378
4652	चावड़ी बाजार में जलूस	Procession in Chawri Bazar	4378–4379
4653	बाड़मेर में बम विस्फोट	Explosion in Barmer ...	4379
4654	राजस्थान में अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र	Teachers Training Centre in Rajasthan ..	4379–4380

4655	कोटा (राजस्थान) में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Kotah (Rajasthan)	4380
4656	अमृतसर और दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Amritsar-Delhi Direct Dialling System ...	4380
4657	दिल्ली में अपराध की घटनायें	Incidence of Crimes in Delhi	4380-4381
4658	उत्तर प्रदेश के स्कूल अध्यापकों का वेतनमान	Pay Scales of U. P. School Teachers	4381
4659	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले बिहार के विद्यार्थी	Students from Bihar taking UPSC Examinations ...	4381-4382
4660	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन) तथा विश्व श्रम संघ (वर्ल्ड फेडरेशन आफ लेबर)	International Labour Organisation and World Federation of Labour	4382
4661	जम्मू तथा काश्मीर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर	I. A. S. Officers in Jammu and Kashmir ...	4383
4662	कर्मचारी शिक्षा योजना	Workers' Education Scheme	4383
4665	दिल्ली के मामलों सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय समिति	Inter Ministry Committee on Delhi Matters	4383-4384
4666	विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये प्रादेशिक भाषायें	Regional Languages for University Education	4384
4667	दिल्ली के अध्यापकों का परीक्षाओं में बैठना	Teachers of Delhi taking up Examinations...	4384-4385
4668	मध्य प्रदेश में डाकुओं का आंतक	Dacoit Menace in Madhya Pradesh	4385
4669	पंजाब और हरियाना में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि भूमि का नियतन	Allotment of Agricultural land to displaced Persons in Punjab and Haryana	4385-4386

अता. प्र. संख्या./U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
4670 पेट्रोलियम तेल कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद	Dispute between Petroleum companies and their workers	4386
4671 'प्राज्ञ' परीक्षा	'Pragya' Examination	4386–4387
4672 रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर	Regional Engineering College, Silchar... ..	4387
4674 सालारजंग संग्राहालय में कला चित्र	Salarjung Museum paintings ...	4388
4675 त्रिपुरा में सुरक्षित वन सम्बन्धी कानून का उल्लघन	Violation of Reserve Forests Law in Tripura	4388–4389
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	4389–4390
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	4391
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report ...	4391
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	4391
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report	4391
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	4391
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees State Insurance Corporation ..	4391–4392
नियम 377 के अन्तर्गत विषय	Matter under Rule 377	4392
स्थगन प्रस्तावों का निबटारा	Disposal of Adjournment Motions	4392–4394
अनुदानों की मांगें–(जारी)	Demands of Grants. (Con d.)	4394
गृह–कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs ...	4394
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel	4394
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	4394
श्री प. मु. सैयद	Shri P.M. Sayeed ..	4396
श्री नि. चं. चटर्जी	Shri N C Chatterjee	4397
श्री पे वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	4398
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	4400

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidhya Charan Shukla	..	...	4401
श्री आ. ना. मुल्ला	Shri A. N. Mulla	..		4404
डा. सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	...	..	4405
श्री अंबचेजियान	Shri Anbuchezhian	...		4406
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	..	...	4406
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	...	...	4407
श्री प्रेम चन्द्र वर्मा	Shri Prem Ghand Verma	..	–	4409
श्री अ. सि. सहगल	Shri A.S. Saigal	...	...	4410
श्री अ. बि. बाजपेयी	Shri A.B. Vajpayee			4411
चन्डीगढ़ के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Arbitration on Chandigarh	..	..	4413
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	...	–	4413
श्री यशबन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	..	–	4417

———

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 5 जुलाई, 1967/14 आषाढ़, 1889 (शक)
Wednesday July 5, 1967/Asadha 14, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Maharashtra–Mysore Border Dispute

+
***931. Shri Sradhakar Supakar :**
Shri Mohan Swarup :
Shri N. R. Laskar :
Shri N. S. Sharma :
Shri Sharda Nand :
Shri A. B. Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri E. K. Nayanar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Mahajan Commission appointed in connection with the border dispute between Maharashtra and Mysore has submitted its report;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) if not when the report of the Commission is likely to be submitted and published ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

0721

(c) The Commission is expected to finalise its report by the end of August, 1967. The question of publication of the report will be considered after it is received by the Government.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस सीमा के परिसीमन के सम्बन्ध में बहुत सी बातों को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपने प्रतिवेदन में अस्पष्ट रहने दिया था । फिर पाटस्कर समिति ने कोई फार्मूला निकाला, जो सम्बन्धित पक्षों को मान्य नहीं था । क्या महाजन आयोग पाटस्कर फार्मूले के आधार पर काम कर रहा है और क्या अब यह फार्मूला दोनों पक्षों को मान्य है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आयोग माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित किसी आधार पर काम नहीं कर रहा है । इस आयोग से मुख्य रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा अपनाई गई मूल कसौटी के आधार पर इस सीमा विवाद में निर्णय देने के लिये कहा गया है और आयोग इसी आधार पर काम कर रहा है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या ऐसी कोई आशंका है कि चूंकि पाटस्कर समिति का फार्मूला दोनों पक्षों को मान्य नहीं था इसलिये उसे त्याग दिया गया था और यह कि इस आयोग का प्रतिवेदन भी न माना जाये ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है ।

Shri A. B. Vajpayee : Since the Government did not accept the recommendations of the Shah Commission on reorganisation of Punjab as final, will the recommendations of the Mahajan Commission meet the same fate or Government will accept as final and consider them as an award.

Shri Vidya Charan Shukla : As a general rule the recommendations of such commissions are accepted unless both the parties concerned do not agree to make any change. The question of treating such commission as award does not arise and it has never been so.

Shri Brij Bhushan Lal : Will the hon. Minister state the number of villages under dispute, the break up of their marathi-speaking and Kannada-speaking population and whether the changes will be village-wise or district-wise ?

Shri Vidya Charan Shukla : The number of villages is 814 including some towns also, such as Belgaum etc. and there are 260 other villages and their population is about 3,30,000.

Shri Sidheshwar Prasad : Even 20 years after our attaining independence this question of reorganisation of States has been raised. In 1956 S.R.C. was set up and even after that the dispute of Maharashtra and Mysore was raised. Why do Government not frame a definite policy on all such issues which result in tension, disputes, agitation etc. ?

Shri Vidya Charan Shukla : This is not the issue of States, reorganisation, but this is about boundary adjustment only. As the hon. Member is already aware, this issue has been solved almost completely. Only one or two old things are there which we are trying to solve and we hope we will be able to find a good solution of it after the receipt of recommendations of this commission.

Shri Bibhuti Mishra : Will this commission look into the language aspect only or consider the physical difficulties also ? For example, in a marathi-speaking area there is physical difficulty because of a river-should it form part of Mysore or Maharashtra. Has any direction has been issued to the Commission to take into account this aspect also and prepare its report after hearing the people of both the States so that the set up may function properly ?

Shri Vidya Charan Shukla : No such direction has been issued. The Commission has been asked to work on the basis adopted in reorganisation of States and to form any basis taking that into account.

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे देश में, जहां अनेक भाषी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में अन्य भाषा बोलने वाले लोग होंगे ही और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के बाद से ऐसे विवाद उठते रहे हैं, क्या सरकार ने विचार विमर्श किया है कि एक निर्धारित कसौटी के आधार पर ऐसे सभी विवादों को हल करने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था कायम करनी चाहिए तथा उसके निष्कर्षों को अन्तिम मानना चाहिए और ऐसे विवादों को बराबर नहीं उठने देना चाहिए, जिनसे विभिन्न प्रदेशों के एक ही देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति बुरी भावनायें पैदा होती हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा मैं पहले बता चुका हूं, बहुत कम विवाद रह गये हैं। केवल एक या दो ही हैं और हम उन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री नायनार : पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से महाराष्ट्र और करनाटक तथा कर्नाटक और केरल के बीच विवाद चल रहा है। केरल में कांग्रेस सहित सभी दलों ने महाजन आयोग की नियुक्ति का विरोध किया था, जब यह आयोग महाराष्ट्र और मैसूर के विवाद की जांच कर रहा था, तो महाराष्ट्र के अधिकारियों ने कर्नाटक के लोगों द्वारा आयोग के सामने साक्ष्य देने में बाधा डाली और कर्नाटक प्रादेशिक कांग्रेस समिति ने एक संकल्प पारित किया था। कर्नाटक के लोग गांव के आधार पर महाराष्ट्र से 4 तालुके मांगते हैं। क्या सरकार गांव के आधार पर, अर्थात जहां कोई विशेष भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हों, वे गांव उस राज्य में मिला दिया जाये, सीमा का पुनर्गठन करने तथा इस आधार पर सीमा विवादों को हल करने के लिये निश्चित कार्यवाही करेगी ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कांग्रेस सहित केरल के सभी दलों ने महाजन आयोग की नियुक्ति का विरोध किया है, महाजन आयोग द्वारा सीमा विवाद की जांच किये जाने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पहले भाग का उत्तर मैं दे चुका हूँ। दूसरे भाग के बारे में, सरकार का दृष्टिकोण महाजन आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने तथा फिर निर्णय करने का है।

श्री नाथपाई : मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय की जानकारी ठीक है जब उन्होंने प्रोफेसर मधोक के प्रश्न का उत्तर ठीक न देते हुए कहा कि देश के सामने ऐसे विवाद नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्हें मालूम है कि उड़ीसा और आन्ध्र तथा उड़ीसा और बिहार के बीच इस प्रकार के विवाद हैं और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण था तथा संविधान के अनुच्छेद 272 में उपबन्ध हैं कि यदि सरकार राजनैतिक वांछनीयता के कारण इसे हल नहीं कर सकती, तो उसे आपके

राज्य के साथ तमिलनाड के विवाद को हल करने में अपनाये गये उत्तम सिद्धान्त के आधार पर हल करना होगा। महाजन आयोग का प्रतिवेदन जून के अन्त तक सरकार के पास आना था। इस विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या दोनों सरकारों ने मैसूर और महाराष्ट्र के बारे में समय पर अपने विचार नहीं रखे ? क्या उन्होंने समय बढ़ाने के लिए कहा था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि सभा को मालूम है, स्थिति बहुत जटिल है। महाजन आयोग ने संकेत दिये हैं कि साक्षियों की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में उसे कुछ और समय चाहिए, और उसने स्वयं संकेत दिये हैं कि वह अगस्त के अन्त तक अपने निष्कर्ष दे सकेगा। समय बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई अन्य कारण नहीं बताया है।

श्री हनमन्तैय्या : क्या सरकार इस प्रश्न को सिद्धान्त रूप में हल करने जा रही है, अर्थात् हमेशा के लिए देश में इस प्रकार के सभी विवादों को हल करना, अथवा सरकार इस समस्या को तो हल करने जा रही है और अन्य समस्याओं को स्वयं हल होने के लिए छोड़ रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्रीमान्, मैं बीच में यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि एक आम प्रश्न उठाया गया है, कि 1955-56 में राज्यों के पुनर्गठन के समय राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप इन दो प्रश्नों को हल करने के लिए छोड़ दिया गया था और यह स्वीकार किया गया था कि इन दो प्रश्नों पर सरकार को विचार करना होगा। एक प्रश्न महा-सीमा का था और राष्ट्र दूसरा कासरगोड और मैसूर का था।

श्री वासु देवन नायर : इसके बारे में कोई विवाद नहीं था। केरल की सलाह के बिना उसे घसीट लिया गया था। यह इक तरफा निर्णय था।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्यों का मत भिन्न हो सकता है। मैं कोई मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं तो 1955-56 में इस मामले के तथ्य ही रख रहा हूं। इसलिये इन दो प्रश्नों पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। इसी कारण से यह आयोग स्थापित किया गया है। मैं सभी समस्याओं का पूर्वानुमान नहीं कर सकता और सभी समस्याओं के बारे में घोषणा नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं कि और समस्यायें न हों।

श्री नायनार : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गृह कार्य मंत्री ने कहा है कि कासरगोड कर्नाटक में शामिल है। यह प्रश्न तो हल हो चुका है, वे इसे इस सभा में फिर क्यों ला रहें हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री श्रीधरन : गृह कार्य मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट है कि केन्द्र ने हमेशा केरल के मामले में अत्यधिक कठोरता और उपेक्षा का व्यवहार किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाजन आयोग की नियुक्ति के समय केरल में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई सरकार नहीं थी और इस आयोग की नियुक्ति के प्रति जनता में व्यापक असन्तोष था, जो अब भी है,

क्या सरकार इस आयोग की सिफारिशों पर निर्णय करने से पहले केरल सरकार से परामर्श करेगी तथा जनता की राय लेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : चूंकि हम इस मामले को आयोग को सौंप चुके हैं, हमें आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री सोनावने : सरकार ने कहा है कि प्रतिवेदन अगस्त के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सिफारिशों पर विचार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस समय यह बताना बहुत कठिन है ।

श्री क० लकप्पा : क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में सार्वजनिक राय जानने के लिये जब महाजन आयोग वहां गया था, तो पुलिस के प्रोत्साहन पर महाराष्ट्र के लोगों ने लोगों को, जिनमें एक हालीकेरी विधान परिषद् सदस्य, एक सदस्य और कांग्रेस दल के भी एक सदस्य थे, तंग किया था और जिसके लिये एक संकल्प भी पारित किया था जिसमें मैसूर द्वारा महाराष्ट्र के चार तालुके मांगने पर महाराष्ट्र के लोगों द्वारा मैसूर के लोगों को आयोग के सामने साक्ष्य देने से रोकने की आलोचना की गई थी ? लोगों को आतंकित करने वाले लोगों के विरुद्ध भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पहले भाग के बारे में हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, मामला आयोग के विचाराधीन है ।

Use of Hindi

*934. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Charan :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the introduction of Hindi in the Central Government Offices keeping in view the spirit of the provisions of the Constitution;

(b) whether it is a fact that the inclination to carry on work in Hindi has received a set-back in some Offices due to the uncertain policy of Government; and

(c) if so, the special measures being taken to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) **Use of Hindi for Official work.**	**During half year ending 30-12-1966**
Correspondence.	Out of the total number of Hindi communications received and which were replied to, 80 per cent were replied to in Hindi.

Publication of Government resolutions in Hindi.	Almost all resolutions were published in Hindi also.
Publication of administrative reports including reports to Parliament in Hindi.	87 percent of such reports were published in Hindi also.
Publication of selected portions of the Gazette of India in Hindi.	All parts of the Gazette of India excepting Part II (relating to statutory matters) are published in Hindi also from 26th January, 1965.
Translation of Departmental.	(a) Departmental forms : 17021
forms and manuals in Hindi.	(b) Manuals : 964,

Use of Hindi for noting etc. has been introduced in over 1300 sections where the bulk of the staff is Hindi knowing.

(b) No Sir. Some additional steps were taken during the year 1966 for increasing the use of Hindi for the official work of the Union.

(c) Does not arise.

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated in the annual report of the Home Ministry that certain classes are being run by Government to increase the knowledge of Hindi of government employees. May I know the number of employees infaste knowledge of Hindi and the expenditure incurred on these classes and whether it is a fact that the knowledge of Hindi of 2 lakh employees was not utilised and they are forgetting Hindi resulting in wastage of national funds and time ?

Shri Vidya Charan Shukla : In 1966-67, 37,000 Government employees got themselves registered for learning Hindi as compared to registration of 16,000 employees in 1959. So far 1 lakh 84 thousand persons have attained proficiency in different sections of Hindi. 6858 Government servants qualified in the Hindi typewriting test and 1098 qualified in the Stenographer's examination. As regards the expenditure, I do not have the information with me and if notice of a fresh question is given, I will certainly give the required information.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, apart from the question about expenditure, for which hon. Minister requires notice, I wanted to know whatever was the expenditure, lakhs or a crore of Rupees, whether the knowledge of these 1,84,000 employees is being utilised; if not, why the public money is being wasted ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, there are 1306 sections here and their employees have been allowed to work in Hindi and the 960 offices located in the Hindi-speaking areas have also been allowed to use Hindi. Thus all those employees who have learnt Hindi are getting facilities do the work in Hindi. The change over to Hindi has not been as much as it should have been. The hon. Members are aware of the difficulties in the matter. We are making attempts and there is gradual change over to Hindi.

Shri Prakash Vir Shastri : I do not want to raise a point of order. My question was very clear, that has not been answered. I want to repeat it.

Shri Vidya Charan Shukla : That is why I had given the figures of offices here and in other places, where facilities are given to work in Hindi so that employees knowing Hindi may utilise their knowledge. It is very difficult to say whether all the 1,84,000 employees taught Hindi are getting opportunity to use Hindi in offices. It is not that they are not getting opportunities. It has been our endeavour to give all facilities to Hindi-knowing employees to do their work in Hindi.

Shri Prakash Vir Shastri : After the submission of the report by the Parliamentary Committee on official language an order was issued by the President about the use of Hindi. Now in 1967, a reply is being given that 80% letters received in Hindi are being received in Hindi and 87% reports are being published in Hindi. The orders were issued by the President in 1950. Why those orders could not be implemented even upto 1967 ? Is the Home Ministry neglecting even the orders of the President ? Do the Government not want to implement faithfully the orders of the President and the decisions of the constituent Assembly and wants to neglect them.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker, there is no question of neglecting the orders of the President. Every attempt is being made to carrying his orders but so I have already stated in the very beginning, Government are facing difficulty in actual practice and hon. Members are well aware of these thal all the employees do not know Hindi. An attempt is being made to impart them knowledge of Hindi, Many of them have already been made proficiency. But since many of them do not have practical knowledge of Hindi, we are not able to introduce Hindi in the desired measure as it will result in bottlenecks in Government work. Is it not that Government does not want to introduce Hindi as the official language. We certainly want it. It will not be proper if Government work suffers as a result of use of Hindi as official language in this manner. There are certain sections of employees, who can not work in Hindi. This is the difficulty before us.

Shri Kanwar Lal Gupta : Government have stated that the replies to letters received in Hindi are sent in Hindi. May I know from the hon. Minister the names of ministries which write letters in Hindi and the Governments of Hindi-speaking States which correspond with the Centre in Hindi ? Do you send them the letters in Hindi ?

Shri Vidya Charan Shukla : As regards the first part of the question, from ministries' itself letters are sent in Hindi to other States. I do not have the information about other ministries. As regards the State Government, correspondence with U. P., M. P., Bihar, Rajasthan, Haryana and Delhi Administration is carried in Hindi. The replies to letters received from them are sent as far as possible in Hindi.

Shri Kanwar Lal Gupta : Do you write letters in Hindi ?

Shri Vidya Charan Shukla : We write letters in Hindi from the Home Ministry.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि केन्द्र के कुछ अधिकारी, यद्यपि उनमें से कुछ लोगों की कठिनाइयां वास्तविक हैं और कुछ लोगों की कठिनाइयां उनकी हिन्दी विरोधी मनोवृति के कारण हैं, हिन्दी के प्रयोग करने के विरुद्ध हैं और यदि हां, तो सरकार ने उनकी इस मनोवृति को ठीक करने या उनकी वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक वास्तविक कठिनाइयों का सम्बन्ध है, हम उन्हें हिन्दी प्रशिक्षण योजना द्वारा दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक मनोवृति के कारण होने

वाली तथाकथित कठिनाइयों का सम्बन्ध है, मेरी राय में ऐसी कठिनाइयां नहीं है परन्तु यह तो आदत का प्रश्न है। कुछ व्यक्तियों को जिन्हें अंग्रेजी का प्रयोग करने की आदत पड़ गई है, हिन्दी में बात करने तथा सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में कठिनाई अनुभव होती है। हमें इसी कठिनाई को दूर करना है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : May I know whether some of the persons who have been given Hindi training deliberately evade Hindi and want imposition of English and that they find difficulty in the use of H ndi. Is this the reason for some much delay in the introduction of Hindi ?

Shri Vidya Charan Shukla : I do not think there are such officers who deliberately avoid Hindi. So far as the question of facility for use of Hindi is concerned, we want that more officers should learn Hindi and simultaneously start working in Hindi.

Shri S. M. Joshi : Shri Kanwar Lal Gupta had asked whether his Ministry had started correspondence in Hindi. That question has not been answered. My second question is whether it is a fact that some States like Bihar have returned some correspondence sent to them in English from the Centre ?

Shri Vidya Charan Shukla : So far as the first question is concerned, I have already said that we in the Home Ministry correspond with some States in Hindi so far as his second question is concerned, I have no information in that behalf at present.

Shri Prem Chand Verma : How many ministers know Hindi, and how many ministers who do not know Hindi are learning it ?

अध्यक्ष महोदय : वह मंत्रियों के बारे में आंकड़े कैसे बता सकते हैं।

श्री सेझियान : गृह मंत्री के वक्तव्य के अन्तिम पैरा में यह कहा गया है :

"नोटिंग आदि के लिये हिन्दी का प्रयोग 1300 से अधिक अनुभागों में आरम्भ किया गया है जहां अधिकतर कर्मचारी हिन्दी जानते हैं।"

'अधिकतर कर्मचारी' शब्द अस्पष्ट है। मै जानना चाहता हूँ कि उन कर्मचारियों के बारे में स्थिति क्या है, जो हिन्दी नहीं जानते हैं और ऐसे अनुभागों में काम कर रहे हैं। उन्हें वहां पर काम करने के लिये क्या सुविधाएं दी गई हैं और क्या हिन्दी न जानने वाले लोगों को इन अनुभागों से निकालने के लिये चुपचाप विचार किया जा रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य को यह डर मन से निकाल देना चाहिये। ऐसे व्यक्तियों को अपना सारा सरकारी कामकाज तथा नोटिंग अंग्रेजी में करने की अनुमति दी जाती है।

श्री सेझियान : मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया। हिन्दी न जानने वाले कर्मचारी यह पता नहीं लगा सकते हैं कि हिन्दी में क्या लिखा है और वे अपनी टिप्पणी अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं। इसलिये हिन्दी नोटिंग के साथ साथ अंग्रेजी अनुवाद होने पर वे हिन्दी नोटिंग को समझ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हिन्दी न जानने वाले सारे कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय से निकाल दिये जायेंगे। मै इसका उत्तर चाहता हूँ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन सभी अनुभागों में अनुवाद की पर्याप्त व्यवस्था है। इसलिये हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को कठिनाई होने तथा हिन्दी नोटिंग न समझने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Molahu Prasad : I have written so many times that Hindi copies of Bills should be sent to me. But no action has been taken on it so far.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न-काल है, शिकायतें करने का समय नहीं ।

Shri S. M. Solanki : According to the constitution, Hindi should be our official language, but 2 or 3 States are opposing this. May I know what steps Government are taking to make Hindi as the official language.

Shri Madhu Limaye : I shall raise the question of sending of Hindi copies of Bills, etc. fter the question Hour is over.

मेहतरों की सेवा की शर्तें

+

***935. श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में मेहतरों की सेवा की शर्तों तथा उनके वेतन-मानों के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी नहीं, परन्तु मेहतरों और भंगियों की सेवाओं और कार्य-दशाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग ने हाल ही में एक समिति स्थापित की है ।

आशा है राष्ट्रीय श्रम आयोग दिसम्बर 1968 तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगा, और तब इस समिति के प्रतिवेदन का कारण भी उपलब्ध हो जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : The practice of carrying night soil by scavengers on their heads is a slur on our society. May I konw when this practice will be abolished with the cooperation of the States ? I want a definite assurance from the Minister.

Shri Hathi : Social Welfare Department is looking after this work. States Governments have also been addressed in this matter. From the cooperation that we are getting from the State Governments it appears that further progress is possible in this connection.

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government would allocate more money for effecting increase in their pay-scales etc. so that other people may also come forward to do this work and this caste system and evils of untouchability may die their own death ?

Shri Hathi : As I have just now said the Department of Social Welfare is looking after this work-as to how much grants should be given to the municipalities. I have, therefore, written to the Speaker to transfer the other two parts of the question to that Department.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि तत्कालीन श्रम मन्त्री श्री जगजीवन राम ने मेहतरों के कल्याण तथा उत्थान के लिये एक मजूरी बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया था, न कि इस तरह की समिति या अध्ययन योजना का और यदि हां तो उस आश्वासन को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया और यह समिति क्यों बनाई गई है और क्या इसका प्रतिवेदन मिलने के बाद भी एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जायेगा ।

श्री हाथी : यह सच है कि श्री जगजीवन राम ने घोषणा की थी कि वे भगियों तथा मेहतरों की सेवा की शर्तों, मजूरी तथा उनसे सम्बन्धित अन्य सभी बातों की जांच करने के लिये एक समिति, एक अध्ययन दल, नियुक्त करेंगे । परन्तु अन्ततः जब हमने एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया तो यह प्रश्न भी उसके कार्यक्षेत्र में शामिल कर दिया गया । इसलिये इस प्रयोजन के लिये जो अध्ययन दल नियुक्त करने का विचार था वह अब इस आयोग की एक समिति के रूप में काम कर रहा है । यह समिति उन सभी बातों पर विचार करेगी ।

Shri George Fernandes : May I know whether any Committee was appointed on scavengers prior to the setting up of the Study Group by the Labour Commission, and if so, what steps were taken to implement its recommendations ?

श्री हाथी : इससे पहले भी समितियां नियुक्त की गई थी और उनमें से एक समिति 1954 में नियुक्त की गई थी और उसका प्रतिवेदन अब बहुत पुराना हो गया है और इसलिये उस पर हमें कुछ नहीं करना है । अन्य समितियां स्वास्थ्य मन्त्रालय ने, भंगियों द्वारा टोकरियां में मल ले जाने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये, नियुक्त की थीं । उन पर उस मन्त्रालय ने कुछ निर्णय किये हैं और वह राज्य सरकारों को इस प्रथा को रोकने के लिये सहायता दे रहा है ।

Shri Madhu Limaye : The reports of those Committees should be laid on the table of the House.

श्री हाथी : यह उस मन्त्रालय का काम है । मेरे पास यह प्रतिवेदन नहीं है ।

Shri Tulsidas Jadhav : Which are the States where the practice of carrying of night soil on head is still in vogue and in which States this practice has been discontinued ? Why does the Central Government not compel the State Governments to abolish this practice which is a slur on our society ?

Shri Hathi : We have taken up this matter with the State Govsrnments.

Shri Tulsidas Jadhav : I want to know the names of those States where this practice is still in vogue.

Shri Hathi : I have not got this information.

मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ताकि अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रश्न के चार भाग हैं। भाग (क) मेहतरों के वेतनक्रम तथा सेवा की शर्तों के बारे में है। यह श्रम मंत्रालय का विषय है। भाग (ख) में पूछा गया है कि क्या सरकार ने राज्यों की नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों को कोई सहायता दी है। भाग (ग) यह है कि क्या सरकार ने राज्यों को टोकरियों में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की सलाह दी है। यह विषय समाज कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य मंत्रालय का है।

इसलिये मैंने श्री मधु लिमये तथा श्री स० मो० बनर्जी को बताया है कि मैं सूचना प्राप्त करके उत्तर दूंगा। परन्तु यह हो सकता है कि क्योंकि मैं इस काम को नहीं देख रहा हूं इसलिये मैं इस प्रश्न का ठीक से उत्तर न दे सकूं। मैं उन बातों के बारे में कैसे आश्वासन दे सकता हूँ जिनसे मेरा सम्बन्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्यों तथा अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि इस प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) अन्य मन्त्रालयों को निर्दिष्ट कर दिये गये हैं और मुझे केवल भाग (क) का उत्तर देने की अनुमति दे दी गई है।

Shri Tulsidas Jadhav : I have a point of order to raise.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

Shri Tulsidas Jadhav : Whenever any question relates to more than one Ministry, it is the duty of your secretariat to refer that question to all those Ministries. The hon. Minister should answer such questions in the House only after consulting the Ministers concerned.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रक्रिया समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्नकाल है। अन्य भागों का उत्तर सरकार द्वारा बाद में दिया जायेगा।

श्री रंगा : यह काम मानव के योग्य नहीं है और इस प्रथा को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस काम को, जिसका भाग (ग) में उल्लेख है, अन्य मंत्रालय को सौंपना उचित समझती है ? क्या यह काम श्रम मत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि श्रमिकों के काम की शर्तों पर विचार करना श्रम मंत्रालय का ही काम है। ये लोग सब से अधिक शोषित हैं और इनकी सबसे अधिक उपेक्षा की जाती रही है। इसलिये क्या सरकार इस बात का विचार करेगी कि यह काम श्रम मंत्रालय के पास ही रहे ?

श्री हाथी : जहां तक इन श्रमिकों की काम की शर्तों का सम्बन्ध है, यह समिति उनके सब पहलुओं पर विचार करेगी तब हम निश्चय ही विचार करेंगे कि सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। चाहे यह इस विभाग या अन्य विभाग का काम हो। जहां तक काम की शर्तों का सम्बन्ध है, हमारा यह प्रयास होगा कि इस समिति की सिफारिशों पर अन्य सम्बन्धित विभागों के परामर्श से कार्यवाही हो। मैं इससे सहमत हूं।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : समाज के इन शोषित लोगों की दयनीय दशा को सुधारा नहीं गया है और मन्त्रालय यह पता लगाता रहेगा कि यह काम किस विभाग का है। बहुत से

मामलों में नगरपालिकाएं तथा स्थानीय निकाय धन के अभाव के कारण इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थतता प्रकट करते हैं । क्या सरकार इसे एक सामाजिक समस्या समझ कर इसके हल के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की कोशिश करेगी ।

श्री हाथी : जहां तक मैं जानकारी एकत्र कर सका हूं, सम्बन्धित मन्त्रालय इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों को सहायता दे रहा है ।

Shri S. M. Joshi : In view of the fact that this work is s› su -human, do Government propose to declare it illegal ?

श्री हाथी : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

Shri Randhir Singh : In view of the difficult nature of this work, do Government propose to double the emoluments of the scavengers as compared other workers or at least pay them at the rate of Rs. 150 per mensem ?

श्री हाथी : हमने जो समिति स्थापित की है वह इस पर विचार करेगी ।

Dr. Ram Manohar Lohia : While collecting this information, have the Government gathered an impression that the wages of scavengers should be in the vicinity of Rs. 250.–300, with a view to putting an end to casteism and to attract people from the upper strata of society to this profession ? May I know why Government have not applied its mind to it ? If they have thought over it, what is their conclusion ?

Shri Hathi : I think there has so far been no proposal in regard to the pay-scale of Rs. 250-300. What should be their wages, their conditions of service and what should be done to improve them. All these things are being gone into by a committee which has been set up for this purpose.

Dr. Ram Manohar Lohia : I have asked whether Government are prepared to fix the minimum wages of scavengers between 250 and 300 so that the caste system may disappear and people from the upper strata of society may be attrcted to this profession. This has not been answered.

Shri Hathi I shall forward the suggestion made by Dr. Lohia to this committee.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, he should send this suggestion to that committee at his own suggestion and not as mine. If he sends it in my name it would not suffice.

Mr. Speaker : The hon. Member put a question and the Minister has given his answer.

Dr. Ram Manohar Lohia : If he is prepared to send it in his name, then it is all right.

Shri Shiv Chandika Prasad : Mr. Speaker, through you I may submit that in Jemeshedpur, no labourer gets a wage of Rs. 250-300, as has been stated by Dr. Lohia.

Shri Ramavata Shastri : Is there any such scheme under consideration by Govern. ment by which scavengers can be saved from the cluthches of the money lenders, who take away all their wages as soon as they get it ?

श्री हाथी : मेरी राय में माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि उनका शोषण न हो। इस पर भी विचार करेंगे।

श्री सोनावने : सरकार ने यह समिति मेहतरों की काम की शर्तों की जांच करने के लिये नियुक्त की थी। क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकर कर लिया है ? उन नगरपालिकाओं या नगरनिगमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है जो इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करते ?

श्री हाथी : यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है।

श्री अब्राहम : क्या इस समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय किये जाने तक सरकार इन लोगों को कोई अन्तरिम सहायता देने के बारे में सोच रही है ?

श्री हाथी : अन्तरिम सहायता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

Telephone Equipment for S. T. D. Services

\+

*936. **Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Government have still to import equipment from abroad for S. T. D. Services;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) when India will be self-sufficient in manufacturing its total requirement of equipment indigenously ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। आमतौर पर कोई सामान आयात करने की आवश्यकता नहीं है। अपवादस्वरूप ऐसा तभी करना पड़ता है जबकि बचत की दृष्टि से आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाये गये उपस्करों को बाहर से मंगाया जाता है।

(ख) मूल्य में दस प्रतिशत कम और वह केवल एक किस्म के सूक्ष्मतरंग उपस्कर और 2700 परिपथ वाले सहधुरीय लाइन उपस्करों तक ही सीमित है।

(ग) सूक्ष्मतरंग प्रणाली का डिज़ाइन बना लिया गया है और 2700 परिपथों के ट्रांजिस्ट्रीकृत सहधुरीय लाइन उपस्करों के डिज़ाइन बनाने का काम दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में शुरू कर दिया गया है। ये धीरे धीरे तीन वर्ष के भीतर उपलब्ध हो जायेंगे।

Shri S. C. Samanta : The Government had a plan to connect Allahabad, Srinagar and Jammu with New Delhi by the S. T. D. Services by the end of 1967. I want to know whether the proposed link has since been established and if so, the percentage of indigenous equipement used therein ?

Shri I. K. Gujral ; So, far as Jammu-Kashmir is concerned, it will be connected with Delhi by the S. T. D. during the current year and the equipment being used therefor is indigenous.

Shri S. C. Samanta : May I know whether there is any scheme to give incentive to the factories manufacturing its total requirement of equipment indigenously ?

Shri I. K. Gujral : This does not arise out of the Main Question, however, I can give him requisite information after collecting it if he is so particular about it.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या बम्बई, दिल्ली तथा मद्रास जैसे भारत के प्रमुख शहरों में टेलीफोन केन्द्रों की भांति कलकत्ता में भी क्रांस बार आटोमेटिक डायलिंग सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : किसी भी स्वचालित केन्द्र में, जब नये उपकरण लगते हैं, तो हम केवल क्रास बार उपकरण लगाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को गलत फहमी है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : अन्य शहरों के साथ उसका सम्पर्क स्थापित करने के बारे में माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है :

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य ने, गलत शब्दावली का प्रयोग किया था जिस कारण मैं उनके प्रश्न को समझ नहीं सका । जहां तक अन्य शहरों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का सम्बन्ध है, कलकत्ता के प्रति कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया जा रहा है, सर्वभौमिक आधार पर सम्पूर्ण देश को एस० टी० डी० (सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था) से जोड़ने का हमने प्रक्रम-वार कार्यक्रम बनाया है और कलकत्ता अगले प्रक्रम के अन्तर्गत आयेगा । हम इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं और यह हमारे कार्यक्रम का प्रथम प्रक्रम है । इस ओर ध्यान दिया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether it is a fact that Government officials take undue advantage of this Direct Dialling system resulting in the wastage of Government money amounting to lakhs of rupees and secondly whether his department have received any complaints regarding misuse of telephones by the Government Officers, and if so, the action taken or proposed to be taken by the Government in this regard ?

Shri I K. Gujral : So for as the question relating to the misuse of Government telephones is concerned, we have nothing to do with it. We grant telephone connections and charge from the subscribers without going into the details as to how they make use of them.

As regards the misuse of the Government telephones, the Home Ministry deals with the subject. So the hon. Minister should either ask the Home Minister about it or the

departments concerned where, in his opinion, telephones are so misused. So far as complaints regarding misuse of telephones is concerned, so far as know, we have not received any.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, in this connection, I had written a latter to Dr. Ram Subhag Singh and as he is in the House he should come forward with a reply.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communication (Dr. Ram Subhag Singh) : Yes, Sir, he sent a letter to me and told me verbally also about it, The matter will be looked into.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it is most objectionable and deplorable that the hon. Minister is telling a lie and denying the facts. He should have consulted his collegues before replying to it. He has no knowledge of the facts. It is unfair on his part to do so.

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने कहा था "जहां तक मुझे जानकारी है।"

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, किन्तु एक ही मंत्रालय ऐसा नहीं कर सकता। यदि केबिनट मंत्री को एक पत्र लिखा गया है, तो मंत्री जी यह जबाव नहीं दे सकते कि "मुझे मालूम नहीं है।" यदि उन्हें जानकारी नहीं है, तो उन्हें जवाब भी नहीं देना चाहिए।

Shri Mrityunjay Prasad : Delhi has been conneceted with a number of cities by the S. T. D. and viceversa. I want to know the time by which these cities will be inter-connected with one another by the same system ?

Shri I. K. Gujral : As present there are as many as 17 cities which are inter-connected by the S. T. D. services and we will have 50 cities, inter-connected under this system during the Fourth Five Year Plan, In this context, I would like to tell to the hon. Members that now under point to point system, we have a direct link with Agra, but we cannot have it between Jaipur and Agra. But after this new system is introduced, all the cities covered by this system would have a facility of direct dialing with one another.

डा० कर्ण सिंह : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर शहरों और दिल्ली के बीच संचार-व्यवस्था इतनी कमजोर है कि उनके साथ सम्पर्क स्थापित करना तो प्रायः असम्भव-सा ही हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इन सेवाओं पर तारों के काटे जाने तथा काफी चोरियों के कारण ऐसा होता है। सीमा शहरों तथा दिल्ली के बीच संचार-व्यवस्था फिर से कायम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, ताकि ऐसी कोई गड़बड़ी न हो।

डा० राम सुभग सिंह : यह सच है, हमने वहां के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है और सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों का कुछ जबाव भी मेरे पास आ चुका है और वे उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि बीकानेर शहर को मिलाने में तो बहुत ही कठिनाई होती है लेकिन हम इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रा० बरुआ : क्या मंत्री महोदय समूचे पूर्वी खण्ड की सूक्ष्म तरंग व्यवस्था के अन्तर्गत ला सकते हैं और यदि नहीं, तो ऐसा करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस समय पूर्वी खण्ड के अधिकांश भाग में सूक्ष्म-तरंग व्यवस्था है और कलकत्ता से जुड़ी हुई है। हम इस सम्पूर्ण खण्ड में यह व्यवस्था लागू कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : There are still such telephones with the people which do not respond when their numbers are dialled; may I know when the Government will remove this defect and improve the telephone services ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य की यह शिकायत उचित है, कि टेलीफोन सेवा उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि धन की कमी के कारण हम टेलीफोन के लिये अपेक्षित साज-सामान पूरी तरह सप्लाई नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि कुछ और अधिक धन मिलने पर टेलीफोन सेवा सुधर जायेगी।

Shri Nitiraj Singh Choudhary : The hon. Minister has just now stated that 50 Cities/Towns will be covered by the S. T. D. I want to know whether these cities or towns will include the capital of each State ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य ने नगरों की सूची मांगी है। यह एक बड़ी सूची है लेकिन मैं समझता हूँ, अधिकांश महत्वपूर्ण नगर इसमें शामिल हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : We have been hearing for the last so many years that Telephone Directory would be prepared in Hindi or both in Hindi and English. I want to know whether Telephone Directory has been prepared in Hindi in the Hindi speaking States and if not, the steps proposed to be taken by the Government in this regard ?

Shri I. K. Gujral : The Governments' policy is to publish Telephone Directory in Hindi in the Hindi speaking States and accordingly the Directory has been published in Hindi.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

डाक सम्बन्धी जालसाजी

+

अ० सू० प्र०*23. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कलकत्ता में डाक सम्बन्धी जाल साजी का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जालसाजों के इस गिरोह की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जनता तथा सरकार को कितनी हानि हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक सरकार को हुई किसी हानि का पता नहीं चला है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चीजें बेरजिस्ट्रीकृत वस्तुओं से निकाली गई थी । बरामद की गई वस्तुओं की जानकारी और पुलिस द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों से जनता को 4133.44 डालर की रकम के बैंक ड्राफ्टों और 2 पौण्ड के ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों की हानि हुई है । इस मामले में अभी पुलिस की तहकीकात जारी है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह मामला डालरों की क्षति से सम्बन्धित है, जिसका मतलब यह है कि यह विदेशी मुद्रा की जालसाजी का एक अंग है । मैं जानना चाहती हूं कि विभाग से कितने व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है और इस समूचे गिरोह को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० राम सुभग सिंह : 9 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । पी० एम० जी०, कलकत्ता ने विशेष पुलिस संस्थान को इस मामले की जांच करने को कहा है । हम इस पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि इसे रोका जा सके ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विभागीय कर्मचारियों के अतिरिक्त, कुछ व्यक्तियों को, जो इन ड्राफ्टों को लाये हैं, सजा दी गई है और क्या इस जांच से यह पता चला है कि यह विदेशी मुद्रा की जालसाजी के एक बहुत बड़े गिरोह का अंग है ? सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है कि विदेशी मुद्रा में इतना बड़ा सौदा कैसे होता है ?

Shri Ram Sewak Yadav : Can two Biharis not speak in Hindi ?

Dr. Ram Subhag Singh : I will speak in Hindi to the people of U P. also.

As I have already stated the police has been asked to investigate the matter very carefully. A big amount of foreign exchange-amounting to 4133 dollars in bank drafts-is involved. People try to extract even the small amounts sent alongwith the letters inside the envelopes.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं पोस्ट मास्टर जनरल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गिरोह का पता लगाया, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे गिरोह सारे देश में सक्रिय हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के गिरोहों का न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि सारे देश में पता लगाया जायेगा तथा यह जांच कार्य विशेष पुलिस संस्थान को सौंपा जायेगा ताकि विदेशी मुद्रा की चोरी रोकी जा सके ?

डा० राम सुभगसिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । पंजाब में भी ऐसा किया गया है । जालन्धर में ऐसे ही एक मामले में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता में समाज विरोध कार्य करने वाला गिरोह, अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का अंग है, जिसकी जड़ें हमारे समूचे देश में हैं और यदि हां, तो इस

गिरोह की अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ हुई सांठ गांठ को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

डा० राम सुभगसिंह : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमने पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में जांच करने को कहा है और उन्होंने लगभग 9 आदमियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

Shri Sheo Narain : Gangstars are active in various department, such as Posts and Telegraphs Department connected with money matters. May I know whether the Police Department has been taking any action in such cases ?

Dr. Ram Subhag Singh : Though the question appears to be a complex one, but if the hon. Members looks into it he will find that the Police have taken very prompt action in this case and they have already arrested 9 persons within a very short period commencing on 17th and ending on 22nd.

Shri Molahu Prasad : My complaint is that though the Postmaster of the Rajadhani Post Office in Gorakhpur. District had been discharged from service after prosecution for embezzelment, but he had not yet handed over the charge to his successor Shri Mahendra Pratap Singh, who had been sent there on 24th May, 1967.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री इसे नोट कर लें।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिये, कि डाक कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन कर रहे हैं तथा चिट्ठियों, पैकेटों रिजस्ट्रीकृत चिट्ठियों तथा मनीआर्डरों को ठीक ढंग से बांटा जा रहा है कोई विभागीय व्यवस्था है ? मैंने यह प्रश्न इसलिये पूछा है क्योंकि कुछ समाचार प्रकाशित हुये हैं कि कलकत्ता में कुछ चिट्ठियों को एक तालाब में फेंक दिया गया और उन्हें बिलकुल नहीं बांटा गया।

डा० राम सुभगसिंह : विभाग के कार्य संचालन को अधिक सुचारू बनाने के लिए हम हर कार्यवाही कर रहे हैं और यदि ऐसी कोई शिकायत मेरी जानकारी में लाई गई तो मैं अवश्य उस पर उचित कार्यवाही करूंगा।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that departmental action is being taken. I want to tell the hon. Minister that postal rackets are active in Raxaul on Nepal Border also and even insured articles are lost there. A postal racket as has been unearthed in Calcutta could be unearthed there also. May I know whether Government have taken any such action which would make it possible to have a prompt police enquiry ?

Dr. Ram Subhag Singh : The promptness shown in police enquiry is evident from the fact that nine persons have been arrested from 17th to 22nd i. e. only in 5 days. so far as Raxaul is concerned, if any particular case is brought to my notice, I shall definitely take proper action.

श्री नारायण राव : मैं जानना चाहता हूं कि डाक सम्बन्धी जालसाजी से विदेशी मुद्रा का क्या सम्बन्ध हो सकता है ? क्या यह संभव है कि साधारण डाक द्वारा कुछ विदेशी मुद्रा

लाई गई हो। यदि यह बात है तो हम इसे समझ सकते हैं। दूसरे यह साधारण डाक सम्बन्धी जालसाजी का प्रश्न नहीं है, अपितु इस प्रश्न में विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों के उल्लंघन का मामला भी शामिल है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष मामले में यह सारी जालसाजी किस प्रकार की गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में इन मामलों में अमरीका तथा इंगलैंड से कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने सम्बन्धियों एवं धर्मप्रचारकों को भेजे गये पत्रों के साथ पोस्टल आर्डरों, चैकों तथा बैंक ड्राफ्टों के रूप में कुछ विदेशी मुद्रा भेजी गई थी। ये चीजें उन लोगों द्वारा निकाल ली गई हैं, जो इस से सम्बद्ध थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Mizo Hostiles

***932. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 110 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether the work on regrouping scheme to check the activities of the Mizo hostiles has been started ;

(b) if so, the manner in which this has been regrouped ; and

(c) the number of personnel added to the Security Forces recently ?

The Minister of State in the Ministry of Home affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : The scheme of grouping was completed by 20th February 1967. The scheme involved the shifting of the entire population, resident in about 100 villages within an area of 10 miles on either side of the Vairangte–Lungleh road, to selected centres where large and compact villages had been established ;

(c) It will not be in the public interest to disclose this information.

अखिल भारतीय घुड़सवार संस्था

***933. डा० कर्ण सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय घुड़सवार संस्था बनाने तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय घुड़सवार निकाय से सम्बद्ध करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैक्सिको में ओलिम्पिक खेल

*937. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलिम्पिक खेलों में भाग लेगा।

(ख) यदि हां, तो किन किन खेलों में भारत भाग लेगा, और

(ग) उन खेलों में भारत के कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) भारत 1968 में मेक्सिको में होने वाले ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने की उम्मीद करता है।

(ख) और (ग) : टुकड़ी के आकार और विभिन्न खेलों में भाग लेने के बारे में भारतीय ओलिम्पिक संघ के प्रस्ताव अभी नहीं मिले हैं। जब वे प्राप्त हो जाएंगे, तो अखिल भारतीय खेल कूद परिषद के परामर्श से उनकी जांच की जाएगी और टोमों व व्यक्तिगत खिलाड़ियों के स्तरों को तथा धन और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए उन पर निर्णय किया जाएगा।

पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त की जांच

*938. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्तियों की राजनैतिक पृष्ठभूमि की पुलिस द्वारा जांच कराने की पद्धति को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उन्होंने इस निर्णय की सूचना केन्द्रीय सरकार को भी भेजी है ;

(ग) क्या इस कारण केरल के लोगों को केन्द्र में नौकरी नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी, हां

(ख) जी, हां

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता

टेलीफोन कालों का रिकार्ड रखने वाले मीटर

*939. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन रखने वाले लोगों के निवास स्थान पर टेलीफोन कालों का रिकार्ड रखने वाले मीटर लगाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनियों द्वारा इश्तहारों का वितरण

#940. श्री बाबू राव पटेल : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी लोग नेफा सीमा पर रहने वाले लोगों को चीनी इश्तहार बांट कर भारत के विरुद्ध शरारतपूर्ण प्रचार कर रहे हैं।

(ख) यह प्रचार किस प्रकार का है तथा इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) इस प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिये नेफा प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख)) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी, हां ;

(ख) पर्चों में उदाहरण दिये गये हैं और इनसे चीन द्वारा तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति का वर्णन किया गया है इन पर्चों में विद्रोह के बाद वापिस लोट तिब्बियों का भी स्वागत किया गया है और उन्हें दिये गये पूजा के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) नेफा प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

(1) हमने अपना प्रचार कार्यक्रम तेज कर दिया है

(2) सीमक्षेत्र का विकास किया जा रहा है

(3) राष्ट्रीय भावना जाग्रत करने के लिये नेफा के नवयुवकों को भारत दर्शन की यात्रा पर भेजा जा रहा है और उन्हें समस्त भारत में अच्छे स्कूलों में प्रवेश कराया जा रहा है।

(4) ग्रामवासियों से अनुरोध किया गया है कि चीनी पर्चों को पकड़ने में सहायता करें।

Corsespondence in Hindi with States

***941. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :**

(a) the progress made so far to ensure the increasing use of Hindi in correspondence with the Hindi-speaking States ;

(b) whether the Hindi-speaking States have expressed some difficulties in regard thereto ;

(c) if so, the action taken to remove those difficulties; and

(d) the names of the States which have decided to conduct official correspondence in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Instructions were issued in September, 1966 that all Hindi letters received from the Hindi Speking States are to be replied in Hindi or when a reply is sent in English, the same is accompanied by a translation in Hindi.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Maharashtra. Gujarat and Haryana.

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र होस्टल

***942. श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय छात्र होस्टल में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की प्रवृति के कारण उसे अपने अधिकार में लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो होस्टल में रहने वाले छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री भगवत झा आजाद) (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना

***943. श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है ; और

(ख) क्या दिल्ली में छः से ग्यारह वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

भारत-अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान

*944. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री 24 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके और अमरीकी राजदूत के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप भारत–अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया गया है तथा उस पर अब सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार किन शर्तों पर इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये सहमत हुई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) जैसा पहले बताया जा चुका है, इस बैठक में इस मामले पर केवल संक्षेप में चर्चा हुई थी और कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Retrenchment in The Central Hindi Directorate

*945. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large scale retrenchment has been made in the technical staff of the Central Hindi Directorate whereas the strength of the administrative staff has been retained; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Education (Shri BhawatJha Azad) (a) and (b) : The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance had recently undertaken a work measurement study of the Central Hindi Directorate. This Unit assessed the staff requirements of the Central Hindi Directorate on the basis of the actual work load as a result of which some technical staff was found surplus. Such surplus staff has been absorbed against comparable vacant posts in the Commission for Scientific and Technical Terminology, and no staff has been retrenched so far.

औद्योगिक न्यायाधिकरण को कर्मचारियों की मांग का मामला सौंपना

*946. श्री अनिरुद्धन :
श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री एस्थोस :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र 'स्टेसमैन' में हुई तालाबन्दी की अवधि की मजूरी के सम्बन्ध में कर्मचारियों की मांग का मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण की नहीं सौंपा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकता स्थित 'स्टेटसमैन' लिमिटेड के कर्मचारियों की वही मांग औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपी है ; और

(च) इस सम्बन्ध में स्टेटसमैन लिमिटेड के दिल्ली तथा कलकत्ता के कर्मचारियों के बीच भेद-भाव बरतने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । दिल्ली प्रशासन ने यह विवाद 3-6-67 को अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली, के पास न्यायनिर्णय के लिए भेज दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

निजाम द्वारा जवाहरात बेचना

*947. **श्री गा० श० मिश्र :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित इस ससाचार की जानकारी है कि हैदराबाद के निजाम संभव : अपने कुछ बहुचर्चित जवाहरातों को बेचने के लिये सोथबीज सेल्स रूम ले जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार ने कोई अनुमति दी है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन जवाहरातों को, जो लगभग एक राष्ट्रीय सम्पति बन गये हैं, सुरक्षित रखने के लिये यदि कोई उपाय किये जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) भारत सरकार ने समाचार पत्र में छपी रिपोर्टों को देखा है जिसमें यह आरोप लगाये गये हैं कि हैदराबाद के निजाम का अपने जवाहरातों को बेचने के लिये सोथबीज सेल्स रूम ले जाने का विचार है ।

(ख) जी, नहीं

(ग) जवाहरातों की सुरक्षा का दायित्त्व निजाम पर है वे उनकी स्वयं की सम्पत्ति है और उनके स्वयं के पास है ।

किसी भी वस्तु के गैर कानून निर्यात को रोकने के लिये यथासम्भव सावधानी के सामान्य और निवारणात्मक उपाय कर लिये गये हैं

अन्दमान द्वीप में भूमि का आवंटन

*948. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अन्दमान के पुराने निवासियों को सात वर्षों से अधिक समय से मकान बनाने तथा खेती करने के लिये अब तक भूमि नहीं दी गई है, जब कि सरकार का विचार वहां पर 4 लाख शरणार्थियों को बसाने तथा प्रत्येक को 5 एकड़ धान उगाने वाली भूमि तथा 5 एकड़ पहाड़ी भूमि देने का है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप पुराने निवासियों में असन्तोष फैल गया है ; और

(ग) पुराने निवासियों की मांग पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) इस समय अन्दमान और निकोबार द्वीप के 4 लाख शरणार्थियों को बसाने तथा प्रत्येक को 5 एकड़ धान उगाने वाली भूमि तथा 5 एकड़ पहाड़ी देने की कोई योजना नहीं है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) पुराने निवासी अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त भूमि की मांग पर जोर दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन उन व्यक्तियों को (1) दक्षिण अन्दमान और अन्य स्थानों पर मकान के लिये जगह देने (2) रूथलैंड में कृषि भूमि देने और (3) एलेक्जेन्डर लैंड में चाय के बगान को बढ़ाने के लिये भूमि देने की व्यवस्था करने के लिये कदम उठा रहा है।

पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास

*949. **डा० रानेन सेन :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व शिविर-स्थलों के लगभग 10,000 शरणार्थी परिवारों को पश्चिम बंगाल में केन्द्र के खर्च से बसाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) और (ख) मंत्रालय भूतपूर्व शिविर स्थलों के शरणार्थी परिवारों को पश्चिमी बंगाल में बेकार पड़े केम्प स्थालों में बसाने के लिये सहमत हो गया है। मई, 1965 में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किये गये अन्तिम सर्वेक्षण के अनुसार बेकार पड़े शिविर

स्थलों में बसाये गये भूतपूर्व शिविर स्थलों के शरणार्थी परिवारों की कुल संख्या 6520 है।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसमें से 1237 परिवारों के वर्तमान स्थल। निबटारे के लिये एक सुझाव भेजा है जिसकी जांच की जा रही है। बाकी बचे 5,283 परिवारों के निबटारे सम्बन्धी सुझावों की राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

इंजीनियरी उद्योग

*950. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० नं० सालंकी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि बम्बई–पूना क्षेत्र में इंजीनियरी उद्योग के विभिन्न संस्थानों ने जबरी छुट्टी तथा छंटनी करना आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में 2,000 से अधिक श्रमिकों को पहले ही जबरी छुट्टी दी जा चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके अतिरिक्त और जबरी छुट्टियों से बचने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : यह मामला राज्य के मंत्राधिकार में आता है। राज्य सरकार के अनुसार कच्चे माल और मांग की कमी के कारण इस समय लगभग 1500 श्रमिकों को जबरी छुट्टी दी जा रही है। इस प्रकार की जबरी छुट्टी के कारणों की राज्य सरकार द्वारा जांच की जाती है और यदि इसका कारण कच्चे माल की कमी हो तो ऐसे मामले उद्योग निर्देशक को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे जाते हैं।

अखिल भारतीय लान टेनिस एसोसियेशन का अध्यक्ष पद

*951. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के एक मंत्री ने अखिल भारतीय लान टेनिस एसोशियेशन के अध्यक्ष पद के लिये चुनाव लड़ा था और वह उसमें विजयी रहे ;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्री महोदय का नाम क्या है तथा उनका लान टेनिस से, यदि कोई सम्बन्ध है तो क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि में जो खेलकूद कांग्रेस की बैठक हुई थी और जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि मंत्रियों को ऐसे पद स्वीकार नहीं करने चाहिये, और

(घ) इस असंगति के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) (क) जी, हां।

(ख) श्री फखरुद्दीन अली अहमद, जो अखिल भारतीय लान टेनिस एसोशिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, टेनिस खेलते रहे हैं और इस खेल में दिलचस्पी लेते हैं।

(ग) खेलकूद कांग्रेस के 1962 के अधिवेशन में सामान्य नियम के रूप में यह सलाह दी थी कि मन्त्री महोदय से अपने संगठनों के अध्यक्ष बनने के लिए न कहा जाए।

(घ) अखिल भारतीय लान टेनिस एसोशिएशन को खेलकूद कांग्रेस की सलाह का पता है और अपनी स्वायत्तता की दृष्टि में वे अपना अध्यक्ष चुनने में स्वतंत्र हैं।

ऐजल नगर पर विद्रोही मिज़ो लोगों द्वारा आक्रमण

*952. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आतम दास :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री रामजी राम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जून, 1967 को सशस्त्र विद्रोही मिजो लोगों ने मिजो पहाड़ियों में कई अधिकारियों को मार दिया और ऐजल नगर के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक अधिकारियों का अपहरण भी कर लिया ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या विद्रोही मिजो और नागा लोगों की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार शान्ति समझौते को वापस लेने का विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) अपहरण किये गये अधिकारियों को मुक्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क), (ख) (ङ) 16 जून को रात्रि को ऐजल नगर के कुछ क्षेत्रों से विभिन्न समूह में 12 व्यक्तियों का अपहरण किया गया था। इस घटना का ब्यौरा गृह-कार्य मंत्री ने 20 जून, 1967 को लोक सभा में एक ध्यान आकर्षण सूचना के उत्तर में, एक व्यक्तव्य में दिया था।

वक्तव्य देने के बाद से 6 और व्यक्तियों को प्राप्त किया या छोड़ा गया है। अब केवल एक व्यक्ति की खोज करनी बाकी है। हमारे सुरक्षा दल की कार्यवाही जारी है और सुरक्षा की कार्यवाही मजबूत कर दी गई है।

(ग) और (घ) विद्रोही नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने का कोई समझौता नहीं हुआ है।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये अंकों की प्रतिशतता

*953. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों ने छात्रों को भिन्न भिन्न डिवीजनों में उत्तीर्ण करने के लिये अंकों की भिन्न भिन्न प्रतिशतता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी प्रतिशतता निर्धारित करने वाले विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने में उन छात्रों की अपेक्षा जो कि उन विश्वविद्यालयों से परीक्षायें पास करते हैं जहां यह प्रतिशतता कम होती है, अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है ; और

(ग) इस गलत बुराई को, जिसके कारण भेद-भाव उत्पन्न होता है और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में अकारण ही अनुचित वरीयता दी जाती है, दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। उन कुछ मामलों में, जहां अंकों की प्रतिशतता पर विचार किए बिना केवल डिवीजनों के आधार पर दाखिले किए जाते हैं।

(ग) यह प्रश्न शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के विचाराधीन है। आयोग तथा बोर्ड ने एक रूप प्रक्रिया अपनाने की जरूरत के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को लिखा है।

नक्सलबाड़ी

*954. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलबाड़ी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल ने पाकिस्तान तथा नेपाल के साथ लगने वाले अपने सारे सीमांत क्षेत्र की नाकेबन्दी कर दी है ताकि उपद्रवी लोग किसी अन्य देश में प्रविष्ट न हो सकें ;

(ख) क्या उन्होंने दूसरे देश में जाने का कोई प्रयास किया है ; और

(ग) इस मामले में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह--कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) से (ग) पूर्वी पाकिस्तान के सीमान्त क्षेत्र में बिना कानूनी यात्रा दस्तावेज के घूमने की अनुमति नहीं है और पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त क्षेत्र में अतिरिक्त सीमा सुरक्षा दल की स्थापना कर और अधिक सर्तकता बर्ती गई है। भारत-नेपाल सीमांत क्षेत्र में, दोनों देशों के नागरिकों के लिये औपचारिक यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है । राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह इस सम्बन्ध में सतर्कता बर्ते कि उपद्रवी लोग सीमांत क्षेत्र पार कर बच कर न निकल जायें और इस सम्बन्ध में उचित उपाये काम में लायें ।

पश्चिम बंगाल में सेंट्रल इन्टेलिजेंस एजेंसी के सम्पर्क

*955. **श्री नायनार :** क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सैंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के सम्पर्कों का पता लगाने के लिये राज्य पुलिस का एक स्पेशल इंटेलीजेंस विभाग स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि सी० आई० ए० के एजेंट कार्मिक संघों, विश्वविद्यालयों, समाचारपत्रों तथा समाज की सांस्कृतिक संस्थाओं में मुख्यतः अपना प्रभाव जमा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इनका ऐसा करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) सरकार ने समाचार पत्रों में इस प्रकार की रिपोर्ट देखी है ।

(ग) इंटेलिजेंस ब्यूरों से कहा गया था कि वह हाल के निर्वाचन और दूसरे प्रयोजनों के लिये प्रयोग की गई धन राशि की जांच करे । इंटेलिजेंस ब्यूरो से हाल ही में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है । सरकार को रिपोर्ट या निष्कर्ष देने और इस बात का निर्णय करने में कि क्या आगे और जांच की आवश्यकता है, समय लगेगा ।

संघ राज्य-क्षेत्रों के करारोपण प्रस्ताव

*956. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य-क्षेत्रों के सभी करारोपण प्रस्तावों और सभी विधानों की सब से पहले उनके मंत्रालय अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिक्री-कर, सम्पत्ति-कर, व्यवसायिक-कर आदि की दरें, जो पुराने हिमालय प्रदेश में या तो थे ही नहीं या जिनकी दरें पंजाब में मिलाये गये क्षेत्रों की तुलना में भिन्न थी, बराबर करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार से यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी नहीं, सब मामलों में नहीं ।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश के स्थानान्तरित क्षेत्रों में व्यवसायिक कर लगाया जाता है और विदेशी शराब पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता है । संघीय क्षेत्र के किसी और क्षेत्र में इस प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता । मई, 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार से कर समाप्त करने के आधार पर ही व्यापारिक कर समाप्त करने का सुझाव दिया था जून, 1967 में उन्होंने विदेशी शराब पर से बिक्री कर समाप्त करने का सुझाव हरियाना सरकार द्वारा बिक्री कर समाप्त करने के आधार पर ही दिया था ।

हिमाचल प्रदेश सरकार से पंजाब में व्यापारिक कर समाप्त करने के कानून की और हरियाना सरकार से विदेशी शराब पर से बिक्री कर समाप्त कर देने के आदेश की प्रति को भेजने का अनुरोध किया गया है । ताकि केन्द्र सरकार इसका अध्यन कर सके । स्थानान्तरित और अन्य संघीय क्षेत्रों से कर को समान करने के और कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

हथकरघा उद्योग के लिये अध्ययन दल

*957. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री उमानाथ :
श्री स० कु० गोपालन :
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की व्यवहार्यता का विचार करने के लिये मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट में दो मत व्यक्त किए गए हैं। एक मत यह है कि मजूरी निर्धारण के के सम्बन्ध में इस उद्योग के संगठित निजी क्षेत्र और औद्योगिक सरकारी हथकरघा समितियों तथा कारखाना प्रतिष्ठानों की तरह काम करने वाले उत्पाद बुनकर प्रतिष्ठानों को सूती

वस्त्रोद्योग के वर्तमान केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत लाया जाए। दूसरा मत यह है कि अखिल भारतीय आधार पर मजूरी में संशोधन द्वारा हथकरघा उद्योग की वर्तमान अर्थव्यवस्था को भंग न किया जाए और इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर हल किया जाए।

यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

तारों (केबल) की दरें

*958. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प० गोपालन :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटिश सरकार ने तारों की दरों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ यह मामला उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० क० गुजराल) : (क) और (ख) : ब्रिटिश सरकार ने 1.9.1967 से, राष्ट्रमण्डल-प्रेस-तार दर को 1 पेंस प्रति शब्द (साधारण) से बढ़ाकर 3 पेंस प्रति शब्द (साधारण) कर देने का निश्चय किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक तथा तार विभाग कर्मचारियों द्वारा फालतू आधा घंटा काम न करना

*959. **श्री उमानाथ :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन : **श्री एस्थोस :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार कर्मचारी यूनियनों के राष्ट्रीय संघ की परिषद ने 1 जुलाई, 1967 से आधा घंटा फालतू काम न करने का निर्णय किया है, जिसमें वे आपातकाल की घोषणा के समय से काम करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) से (ग) डाक–तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ ने अपनी यह इच्छा व्यक्त करने के लिए कि वे 1 जुलाई, 1967 से अतिरिक्त घंटों में काम नहीं करेंगे डाक-तार विभाग को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। फिर भी उन्होंने इस सम्बन्ध में एक परिपत्र प्रकाशित करके जारी किया है।

नक्सलबाड़ी के लिये संसदीय प्रतिनिधि मंडल

*960. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नक्सलबाड़ी जाने पर गम्भीर आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को भेजे गये एक संदेश में संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नक्सल बाड़ी क्षेत्र में भेज जाने के विरुद्ध सलाह इस आधार पर दी है कि उस क्षेत्र की समस्याएं उन मामलों से सम्बन्धित है जो राज्य के विषय हैं और 'संसदीय प्रतिनिधि' मंडल के दौरे के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ सकता है और राज्य सरकार के लिये उलझन उत्पन्न हो सकती है, उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार समस्याओं के प्रति जागरूक है और केन्द्रीय मंत्रियों की एक टीम कानून और व्यवस्था, संघर्ष, भूमि हित और स्थिति को सामान्य करने के लिये भेजी गयी थी।

(ग) मुख्य मंत्री के विचारों से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया गया था और उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से बात चीत की है।

Central Intelligence Agency of America

4492. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Intelligence Agency of America, which has its extensive network in most of the countries, has a branch in India also;

(b) whether Government have so far taken any steps against the Intelligence Agency of the said nature ;

(c) if not, whether Government are prepared to permit such American activities ; and

(d) if so, how far it will have its reactionary effect on the internal policies of the country ?

The Minister of Home Affairs Shri Y. B. Chavan : (a) to (d) The Government are alive to such a possibility. A close watch is kept on espionage and subversive activities and appropriate action is taken whenever a person comes to our adverse notice in that connection.

ताज महल में पर्यटकों के लिये सुविधाएं

4493. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताज महल के परिसर में प्रवेश टिकटों से होता है किन्तु उसके प्रवेश द्वारा पर पर्यटकों के मार्ग दर्शनार्थ इस बात का कोई संकेत नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर पेय जल और चाय की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और वहां के शौचालय भी अच्छी हालत में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) ताजमहल के अहाते में प्रवेश टिकटों से होता है और उसके मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर यह लिखा है कि ताज में प्रवेश टिकटों से होता है ।

(ख) पीने का पानी (नल का पानी) स्मारक में उपलब्ध है और मशीन का ठंडा पानी भी केवल दो पैसा प्रति गिलास के हिसाब से उपलब्ध हैं । स्मारक के पास, पर्यटन विभाग का एक केफेटेरिया है और शौचालयों का रखरखाव भी संतोषजनक रूप से किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में खान दुर्घटनाएं

4494. श्री बाबूराव पटेल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कितनी खान दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्तियों को चोटें आई ;

(ग) खानों में बार बार विस्फोट तथा दुर्घटनाएं होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) मर जाने अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की स्थिति में प्रत्येक आदमी । औरत को कितना प्रतिकर दिया जाता है ; और

(च) क्या खान मालिकों के लिये मजदूरों क बीमा करना अनिवार्य है और यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कितने का बीमा कराया जाता है और किन किन जोखिम के लिये किया जाता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) गत दो वर्षों में कोई खान दुर्घटना (अर्थात् एक ऐसी घातक दुर्घटना जिसमें 10 या उसके अधिक व्यक्ति मरे हों) नहीं

हुई। इससे पहले मई 1965 में बिहार के हजारीबाग जिले की घोरी कालियरी में एक दुर्घटना हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता; घोरी कालियरी में हुए विस्फोट में 268 व्यक्ति मरे थे और 9 व्यक्ति सख्त घायल हुए थे।

(ग) यह सही नहीं है कि खानों में बार-बार विस्फोट होते हैं। छत या दीवारों के गिर जाने या कर्मचारियों की गलती अथवा मशीनों के खराब हो जाने आदि कारणों से ऐसी दुर्घटनायें समय समय पर अवश्य होती रहती हैं, जिनमें जानी हानि होती है।

(घ) इस समस्या को हल करने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ; जैसे खान अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों के सुरक्षा संबंधी उपबन्धों को बेहतर तरीके से लागू करना, श्रमिकों तथा प्रबंधकों में सुरक्षा भावना को जाग्रत करना और श्रमिकों को शिक्षा व प्रशिक्षण देना आदि आदि।

(ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत, मृत्यु होने पर दी जाने वाली मुआवजा की न्यूनतम राशि 1000 रुपये और अधिकतम राशि 0,000–रुपये हैं। स्थायी पूर्ण विकलांगता होने या मुआवजे की कम-से-कम रकम श्रमिक की मासिक मजूरी के अनुसार 1400 रु० और अधिक-से-अधिक 14,000/– रुपये हैं।

(च) जी नहीं।

ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड को अनुदान

4495. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्रावनकोर देवस्वम बोर्ड से अधिक अनुदान प्राप्ति के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देवस्वम बोर्डों को अधिक अनुदान देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 290 क में संशोधन करने की कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी, हां

(ख) अभ्यावेदन राज्य सरकार को भेज दिया गया है और पता चला है कि राज्य सरकार इसका अध्ययन कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

लोथाल में पुरातत्वीय वस्तुओं की खोज के लिये खुदाई

4496. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोथाल में पुरातत्वीय वस्तुओं की खोज के लिये की गई खुदाई सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है यद्यपि इस खुदाई को समाप्त हुए आज सात वर्ष बीत चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुजरात में लोथाल पुरातत्वीय स्थल, जिसे भारत का मोहनजोदड़ो समझा जाता है, उपेक्षित हालत में है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके समुचित संरक्षण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) एक व्यापक खुदाई की वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने में समय लगता है ।

(ग) यह पता नहीं कि लोथल को किस प्रकार भारत का मोहनजोदड़ो कहा जा सकता है । एक महान हड़प्पाकालीन स्थल के रूप में इसका अपना स्थान होना चाहिए, मोहन-जोदड़ो अथवा किसी अन्य स्थल से तुलना करके नहीं । तथापि खुदाई के अवशेषों की वार्षिक अथवा विशेष मरम्मतों के द्वारा यथासंभव, देखभाल की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में धर्म प्रचारक

4497. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने विदेशी ईसाई धर्मप्रचारक काम कह रहे हैं ;

(ख) उनकी गतिविधियां कैसी हैं तथा क्या क्या हैं; और

(ग) क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) अन्तिम उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेशी और राष्ट्रमंडलीय इसाईयों की रजिस्टर्ड संख्या गुजरात में क्रमश: 175 और 8 है ।

(ख) सामान्यता वे चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक और ईसाई धर्म सम्बन्धी गति विधियों में लगे रहते हैं ।

(ग) बम्बई राज्य के आंकड़ों में गुजरात के मई, 1960 तक के आंकड़े शामिल हैं । तब से गुजरात में विदेशी इसाइयों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई है । 1 जनवरी, 1967 को रजिस्टर्ड इसाइयों की संख्या 170 थी जबकि 1 जनवरी, 1967 को उनकी संख्या 175 थी ।

गुजरात में रिक्त पदों का अधिसूचित किया जाना तथा भरा जाना

4498. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1957 तक गुजरात में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में कितने रिक्त पद अधिसूचित किये गये थे' और

(ख) अप्रैल 1967 के अन्त तक विभिन्न रोजगार दिलाऊ दफ्तरों द्वारा इन संस्थानों के कितने रिक्त पद भरे गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख) जानकारी नीचे दी गई है :—

क्षेत्र	जनवरी–अप्रैल 1967 के बीच सूचित रिक्त स्थान	जनवरी–अप्रैल 1967 के बीच भरे गए रिक्त स्थान
सरकारी क्षेत्र	7,412	3,642
निजी क्षेत्र	2,202	102
कुल	9,614	3,744

गुजरात राज्य में डाकघर

4499, श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय कुल कितने डाकघर है और कितने डाकघरों में बचत बैंक की व्यवस्था है'

(ख) अगले दो वर्षों में गुजरात राज्य में कितनें डाकघर खोलने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या कुछ नये डाकघर में टेलीफोन तथा तार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है' और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद–कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) गुजरात राज्य में इस समय मौजूद 5,669 डाकघरों में 4,976 डाकघरों में बचत बैंक की सुविधा मौजूद है ।

(ख) 427 : बशर्ते कि नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर लगी मौजूदा पाबन्दियां हटाली जाएं और विभागीय मानक पूरे होते हों ।

(ग) और (घ) कुछ प्रस्तावित नये डाकघरों में टेलीफोन और तार सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी । फिर भी इन सुविधाओं की व्यवस्था करना इस बात पर निर्भर है कि विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार ये डाकघर श्रेणी वाले स्थानों पर स्थित हों, अन्यथा प्रस्ताव

लाभप्रद हो या उन पर होने वाली हानि की पूर्ती की गारन्टी दी जाये। सामान्यतः श्रेणी वाले स्थान निम्नलिखित हैं –

(क) **तार सुविधाओं के लिए–** उप मंडल और तहसील मुख्यालय, 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान, ऐसे स्थान जहां कम से कम सब इन्सपेक्टर, पुलिस के पद के अधिकारी के कार्य भार के अधीन पूलिस स्टेशन हों और खंड मुख्यालय।

(ख) **सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिये**— जिला और उप--मंडल मुख्यालय वाले नगर 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान, तहसील और उसके समकक्ष नगर।

Hindi Edltion of Defence of India Rules

4500. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government of India have published the Hindi edition of the Defence of India Rules; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, sir.

(b) Dose not arise,

मध्य प्रदेश में आदिम जातियों के विद्यार्थी

4501 श्री नीतिराज चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक मध्य प्रदेश में आदिम जातियों की शिक्षण संस्थाओं के विकास तथा आदिम जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृतियां देने के लिये कितनी रकम का विशेष अनुदान दिया गया है' और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितनी रकम देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वर्तमान आयोजना के पहले दो सालों में कुल प्रत्याशित खर्च 132.95 लाख रुपये आता है (केन्द्रीय क्षेत्र में 20.41 लाख रुपये और राज्य क्षेत्र में 112.54 लाख रुपये)।

(ख) आयोजना के बाकी तीन सालों में राज्यक्षेत्र में 253.26 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस काल में केन्द्रीय क्षेत्र के विनिधान को अभी आखिरी रूप नहीं दिया गया है।

बिहार में डाक तथा तार घर

4502. श्री शिव चन्द्र झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधी में बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में कितने डाक तथा तार घर खोले जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 908/67]

Employeers State Insurance Scheme

4503. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the Progress made so far in regard to the setting up of hospital and dispensaries in the Mysore state under the Employees State Insurance Scheme; and

(b) the amount so far spent in this connection ?

Minister of Labour and Rehabilitation Shri Jaisukhlal Hathi : (a) Hospitals. One hospital with 170; beds and one annexe with 32; beds in S. D. T. B. Sanatorium have been functioning. at Bengalore for the last few years. 130.more beds are ready for use in this hospitlat which will ultimately have a strength of 420 beds. Construction of a Cottage Hospital with 24. beds at Dandeli is also in progress while another hospital with 150. beds has been sanctioned for Mangalore.

(b) Dispensaries. A dispensary is under construction at Ulsoor while another has been approved for construction at Rajajinagar in Bangalore Plots of lands have been sanctioned/acquired for construction of 4 more dispensaries at Bannipet, schoolai Yashwanthapur and Hubli.

(b) The amount so far sanctioned for construction of Employees; State Insurance Hospitals/Annexes/Dispensaries etc, is Rs, 1,03,31,820,77. Against which a Sum of Rs.-56,37,865,77. has so far been paid to the state Government through whom construction is undertaken.

उड़ीसा में तार की चोरी

4504. श्री रा०रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में तारों की चोरी होने के कारण तार और टेलफोन लाइनें बार बार खराब हो जाती है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर । नहीं हो; तो इन लाइनों के बार बार खराब हो जाने के क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां

(ख) (i) अपेक्षाकृत अधिक कड़े दण्डों की व्यवस्था करने के लिये टेलीग्राफ तार (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1950. में संशोधन किया जा रहा है :

(ii) विभागीय अधिकारी स्थानिय पुलिस प्राधिकारियों से अधिक निकट का सम्पर्क बनाये हुए हैं।

(iii) चोरियां रोकने के कदम उठाने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री को अर्ध-सरकारी पत्र लिखा गया है।

(iv) धीरे–धीरे महत्वपूर्ण मार्गों पर ताम्बे के तार के स्थान पर तांबे की पालिश लगा लोहे का तार लगाया जा रहा है ताकि चोरी की घटनाएं कम हों।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में पुस्तकालयों को सहायता

4506. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67. में केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य के किन–किन सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा स्कूलों एवं कालेजों के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता दी' और

(ख) इस कार्य के लिये 1967–68 में कितनी रकम देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) (क) 1966–67 के दौरान निम्नलिखित गुजरात राज्य के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता दी गई थी :–

1. श्री फतह सिंह राव सार्वजनिक पुस्तकालय, पत्तन
2. लंग लाइब्रेरी, राजकोट
3. ढ़ोकला एजूकेशन सोसायटी, जिला अहमदाबाद

(ख) इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता राज्य के आधार पर नहीं दी गई थी परन्तु राज्य सरकार के सिफारिश करने के बाद प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर दी गई थी।

डाक तथा तार सलाहकार बोर्ड, अम्बाला सर्किल

4207 श्री वीरभद्र सिंह :
श्री प्रताप सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला सर्किल का डाक तथा तार सलाहकार बोर्ड अब भी है'

(ख) यदि हां, तो लगभग पिछले दो वर्षों से इसकी कोई बैठक न बुलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बोर्ड की आगामी बैठक कब होने की आशा है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ऐसा कोई बोर्ड नहीं है । फिर भी प्रत्येक सर्किल से एक-एक प्रादेशिक डाक-तार सलाहकार समिति सम्बद्ध है ।

(ख) संघर्ष छिड़ जाने के कारण इन सलाहकार समितियों को, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ समय तक स्थगित कर देने का निश्चय किया गया था ।

(ग) पंजाब सर्किल की सलाहकार समिति का अब पुर्नगठन किया जा रहा है और पुर्नगठित समिति के अधिसूचित किये जाने के तुरन्त बाद उसकी बैठक बुलाई जाएगी ।

Higher Education of Scheduled Tribes in Madhya Pradesh

4508. Shri Ram Chandra Veerappa :
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of Education be pleased to state the amount allocated in the Fourth Plan for higher education of students belonging to Scheduled Tribes in Madhya Pradesh ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : No separate allocation has been made in the Fourth Plan of Madhya Pradesh for higher education of the students belonging to Scheduled Tribes.

गोआ में मूल्यों में वृद्धि

4509. श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में कुछ समय से मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या वहां जल की भी बहुत कमी है और इसीलिए गोआ के नगरों में इसकी कम सप्लाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो जनता की कठिनाइयां दूर करने के लिए गोआ सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) देश में हुई सामान्य मूल्य स्तर वृद्धि के अलावा गोआ दमन और दाऊ में मूल्यों में असामान्य वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) वास्को, मारमगोआ, पंजिम और मारगओ के शहरों में ओ. पे. ए. वाटर वर्क्स द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। यह वाटर वर्क्स 1.8 करोड़ गेलन पानी उत्पन्न करता है जब कि मांग अधिक है। ओ. पी. ए. वाटर वर्क्स के उत्पाद को प्रतिदिन 2.5 करोड़ गैलन और बढ़ ने की एक योजना है। आशा है यह योजना लगभग एक महीने में पूरी हो जायगी और यह आशा की जाती है कि इन शहरो में पीने के पानी की सप्लाई स्थिति सुधर जायेगी।

जहां तक पूर्वी क्षेत्र के शहरों में पानी की सप्लाई किये जाने का सम्बन्ध है स्थानीय सरकार अरसानोरा जल योजना पर कार्य कर रही है जिसकी छः महीने में पूरा होने की आशा है। आशा की जाती है कि इस योजना के पूरा होने पर इस क्षेत्र में पीने के पानी की स्थिती सुधर जायगी।

Firings

4510. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Onkar Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of firings ordered in the country since the 1st January 1966 up-to date ;

(b) the names of the States where these firings were ordered ;

(c) the number of persons killed in each State in those firings ; and

(d) the reasons for the opening of fire in those cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) The information so far received is given in the statement placed on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT-909/67]** Further information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

टेलीफोन के तारों की चोरी

4511. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में टेलिफोन की तारों की चोरी की घटनायें बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 में अब तक कुल कितने मामलों का पता लगाया गया है ; और

(ग) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये क्या कर्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1967 से मई, 1967 तक 1166 मामलों का।

(i) अधिक कड़े दण्डों की व्यवस्था करने के लिये टेलीग्राफ तार (अनाधिकृत कब्ज़ा) अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

(ii) विभागीय अधिकारी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये हुए है।

(iii) चोरियां रोकने के कदम उठाने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री को अर्ध-सरकारी पत्र लिखे गए हैं।

(iv) जितने साधन और विदेशी मुद्रा उपलब्ध है, उसके अनुसार उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा चोरियां होती है, तांबे के तार के स्थान पर तांबे से झला तार (जिस पर तांबे की पालिश चढ़ी हो) लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष के मकान को जला डालने का प्रयास

4512. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 7 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के मकान को जला डालने को प्रयास के सम्बन्ध में अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से जांच करवाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) 7 नवम्बर, 1966 को घटी घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच, दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत, दिल्ली पुलिस के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल की देखरेख में की गई थी। श्री कामराज के निवास स्थान पर हमला करने के सम्बन्ध में एक मामला भारतीय दंड संहिता को धारा 147, 148, 149 452, 436, 186, 380, 506, 360, 394 और 395 के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया है। मामला सैसन को सौंप दिया गया है और मुकदमें के लिये रुका है।

Bidi Workers

4513. **Shri Jagannath Rao Joshi .**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of workers have been thrown out of employment as a result of the non supply of leaves used in Bidis and tobacco by the owners of Bidi factories of Rampur;

(b) if so, the action taken in the matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c) The Matter falls in the State Sphere and the Government of India have no information on it.

Class IV P. & T. Employees in Delhi

4514. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Class IV employees in the Posts and Telegraphs Department in Delhi who are Matric and who have been promoted to Class III category so far during the last three years; and

(b) the number of employees at present who have passed Matric and are working as Class IV employees ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I K. Gujral) : (a) 100

(b) 291

Brick Kilns in Delhi

4515. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many brick kilns, which were preparing inferior quality of bricks, have been raided recently;

if so, their names; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Cracker Explosion at Regal Park New Delhi

4516. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 538 on the 5th April, 1967 and state:

(a) whether the investigation into the cracker explosion in Regal Park, New Delhi on the 27th February, 1967 has since been completed;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time likely to be taken therein ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An arrest was made on the day of the incident under section 286 I. P. C The case is in the final stages of investigation.

Attack by Naga Hostiles

4517. **Shri Hukam Chand Kachwai t**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstar Question No. 529 on the 5th April, 1967 and state:

(a) whether investigations regarding the attack made on Chandel Headquarters of the Tengnupal Sub-Division by the Naga Hostiles on the 22nd February,, 1967 have since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken therein ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charn Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Three arrests were made in this case but the investigation di t not disclose sufficient evidence to prosecute any person.

Unemployment Insurance Scheme

4518. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be ple sed to refer to the reply given to Unstarred Question No. 134 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether any decision regarding Unemyloyment Insurance Scheme was taken in the meeting of the Standing Labour Committee held on the 25th April, 1967 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The matter could not be taken up for discussion by the Standing Labour Committee, for want of time.

उर्दू को बढ़ावा देना

4519. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्दू को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या मजलिस-ए-मशवरत तथा अंजुमन-तरक्की उर्दू जबान जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) (एक) मन्त्रालय ने अपने द्वारा प्रशासित योजनाओं के अधीन उर्दू को बढावा देने के लिए नीचे लिखे अनुदान दिए थे :—

		रुपये
1958-59	—	1,02,500
1959-60	—	89,167
1960-61	—	1,12,689
1961-62	—	98,100
1962-63	—	1,30,250
1963-64	—	73,261
1964-65	—	75,873
1965-66	—	52,920
1966-67	—	1,27,905
	जोड़	8,62,665

अनुदान स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों और व्यक्तियों को दिये गये थे ।

(दो) मंत्रालय हर साल उर्दू में सर्व श्रेष्ठ बाल पुस्तकों के लिए एक-एक हजार रुपयों के पुरस्कार देता है । 1954-55 से अब तक 18 पुरस्कार दिए गए हैं । पुरस्कार पाने वाले इन पुस्तकों में से प्रत्येक दो-दो हजार प्रतियां वितरण के लिए खरीदी जाती हैं ।

(ख) इस मन्त्रालय को कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ नहीं लगता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिकों का समुच्चय

4520. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक समुच्चय में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को देश में नौकरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1967 को इस समुच्चय में ऐसे कुल कितने वैज्ञानिक और इंजीनियर थे ;

(ग) इन में से कितने व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 1967 तक विभिन्न स्थानों पर नौकरियां दी गई हैं ; और

(घ) इन में से कितने व्यक्ति अभी तक बेरोजगार हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों को सामिल करते हुए, ऐसे कुल व्यक्तियों की संख्या जिन्हें 1 अप्रैल, 1967 तक वैज्ञानिकों के पूल में जगह देने का प्रस्ताव किया गया था, 4979 थी।

(ग) 1 अप्रैल, 1967 तक 1948 व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्ति के बाद पूल को छोड़ा था।

(घ) 1 अप्रैल, 1967 को 504 व्यक्ति वैज्ञानिकों के पूल में कार्य कर रहे थे और देश में नियमित्त रोजगार की तलाश में थे। वे किसी भी उपयुक्त जगह के लिए आवेदन करने और पूल को किसी भी समय छोड़ने के लिए स्वतन्त्र हैं। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 910/67**] जिसमें रोजगार तलाश करने में उनकी सहायतार्थ उठाये गए विभिन्न कदम बताए गए हैं।

Position of Sanskrit in Three Language Formula

4521. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Education be pleased to state.

(a) the position of Sanskrit in the theree language formula;

(b) whether any thought was given to this question in the Education Ministers' Conference also ; and

(c) if so, the conclusions arrived at ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : Sanskrit is not included in the three Language formula approved by the Chief Ministers' Conference in 1961.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी

4523. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारी संख्या में आने लगे हैं ;

(ख) क्या पिछले दो महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से 2000 से अधिक परिवार त्रिपुरा में आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान से शरणार्थियों का भारी संख्या में आना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) हाल के कुछ महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। यद्यपि यह वृद्धि 1964 और अगस्त 1965 के अन्त तक दिये गये आंकड़ों की तुलना में अधिक नहीं है।

(ख) जी, नहीं 23 अप्रैल, 67 से 24 जून, 1967 तक 537 परिवारों के पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा पहुंचने की सूचना मिली है।

(ग) भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के वहां आने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से बार बार विरोध किया है और उन्हें नेहरु लियाकत सन्धि करार का स्मरण कराया है जिसके अनुसार अल्प संख्यकों की सुरक्षा, पूर्ण स्वतन्त्रता और अधिकारों की समानता की सरकार को गारन्टी देनी आवश्यक है। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान सरकार ने अल्प संख्यकों की स्थिती में सुधार लाने के लिये बहुत कम कार्य किया है।

लौह अयस्क की खानें

4524. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी कल्याण संस्था के माध्यम से लौह अयस्क की खानों में श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिये विशेष व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचार धीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस समय हमारे पास कच्चा लोहा खानों के प्रधान राज्यों बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गोआ, दमन और दीव की पांच विभिन्न सलाहकार समितियों के कार्य का समन्वय करने के लिए पदाधिकारियों की एक समन्वय समिति है। 28-4-1967 को जमशेदपुर में हुई समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि निधि के कार्य को तेज करने के लिए समन्वय समिति को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में बदल देना चाहिए जिसमें उक्त पांवों क्षेत्र से सरकार, श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने चाहिए। समन्वय समिति को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में बदलने से कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाएं

4525. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेंन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने केन्द्र को सूचित किया है कि वह राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं को समाप्त करना चाहती है;

(ख) क्या अन्य राज्यों ने भी केन्द्र को इस प्रकार की सूचना दी है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या राज्यों के परामर्श से सारे देश में परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के बारे में एक समान नीति बनाने का केन्द्र का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा बोर्डों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ प्रश्न पत्रों की किस्म और अंक प्राप्त करने के तरीकों में सुधार करके, स्कूल स्तर पर परीक्षा की वर्तमान पद्धति में सुधार करने के लिए कार्य कर रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

4526. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेंन्डीज
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या शिक्षा मंत्री 9 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये बोर्डिंग की छात्रवृत्तियों की दर को बढ़ाने के प्रस्ताव पर इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्ति में कितनी वृद्धि की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) मामले का पुनर्निरीक्षण कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है। मूल्यों की जांच करने पर शिक्षा शुल्क आदि जैसी छूटों पर विचार करने के बाद जो कुल मूल्य बैठता

है. ऐसा पता लगा है कि यह मूल्य राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्वीकार किये गये मूल्यों की तुलना में अनुपयोगी नहीं है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत आंशिक कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना प्राप्त करने वालों को प्राप्त नहीं थे। योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि एक विद्यार्थी राज्य सरकार या किसी और साधन से अनुदान या धन सम्बन्धी सहायता पुस्तकें या उपकरण खरीदने या आवास या खानपान के व्यय का सहन करने के लिये ले सकता है।

अखिल भारत राज्य कर्मचारी सम्मेलन

4527. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल 1967 को पटना में अखिल भारत राज्य कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से यह अनुरोध करें कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन केन्द्रीय सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर करें; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) हमें कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन मान के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकारें विचार करती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

4528. **श्री सुदर्शनम : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा हाल में औद्योगिक उपक्रमों को दिये गये इस आदेश के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है कि बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन कर्मचारियों को दिये जाने वाले वार्षिक लाभांश के लिए नियोजकों तथा कर्मचारियों दोनों को अंशदान करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। यह अभिवेदन किया गया है कि वार्षिक बोनस पर अंशदानों की वसूली करने में व्यावहारिक कठिनाइयां है।

(ख) इस मामले पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 को दृष्टि में रखकर विचार कर रहा है।

अध्यापकों के लिये तीन लाभ वाली योजना

4529. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों के लिये तीन लाभ वाली योजना सभी राज्यों ने लागू कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना को क्रियान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) अधिकांश राज्य योजना को अमल में लाने के लिये पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं, कुछ राज्य अभी इस पर विचार कर रहे हैं, जबकि कुछ दूसरे राज्य विभिन्न कारणों से इसे अमल में नहीं लाना चाहते। इन कारणों में ये भी शामिल हैं :

(एक) वित्तीय लागत।

(दो) सहायता प्राप्त स्कूलों को हाथ में लेने की संभावना।

(तीन) सहायता-प्राप्त स्कूलों की थोड़ी संख्या।

खेलकूद में प्रशिक्षण

4530. **श्री प्र० के० देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेलकूद संस्था ने विभिन्न राज्य केन्द्रों में खेलकूद में कुशल लड़के और लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिए जोनल कोचिंग सुपरवाइजर बनाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) राष्ट्रीय खेल संस्थान के शासी मंडल ने राज्य खेल परिषदों आदि से सम्पर्क बनाए रखने और प्रादेशिक कोचिंग केन्द्रों के कार्य की देखभाल करने के लिए महाखंड पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय बचत के उपाय के रूप से महाखण्ड पर्यवेक्षक की कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती।

मंत्रियों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता

4531. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मंत्रियों ने राष्ट्रपति पद के अपने उम्मीदवार का समर्थन करने के लिये किये दौरों के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं; उन्होंने किन किन स्थानों का दौरा किया और 15 अप्रैल तथा 6 मई, 1967 के दौरान किये गये उनके दौरों का प्रयोजन क्या था; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं। नियमों के अनुसार मंत्रियों को केवल सरकारी कार्य के सम्बन्ध में किये गये दोरों के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का पुनर्वास

4532. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी बंगाल से बाहर के उन स्थानों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जहां पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों को बसाया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में बसाये गये शरणार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय को छोड़कर कितना व्यय हुआ है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं;

(घ) कितने स्कूल अस्पताल, तालाब, तथा कुएं स्थापित किये गये हैं; और

(ङ) पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों पर किये गये व्यय की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों पर कितना व्यय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पूर्व पाकिस्तान से आने वाले नये परिवारों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 911/67]**

(ख) पूंजीगत व्यय को छोड़कर 1.1.1964 से 31.3.1967 के बीच शरणार्थियों के पुनर्वास पर किया गया अनुमानित व्यय 10.40 करोड़ रु० हैं।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण के स्तम्भ 2, 3 और 4 में दी गई है। [पुस्तकालय में में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 912/67]

(घ) नये प्रवृजकों की सहूलियत के लिये 31.3.1967 तक 23 प्राथमिक स्कूल, 2 माध्यमिक स्कूल, 1 उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल 1 कालिज, 2 होस्टिल और 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंजूर किए गए हैं। 3 हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मामले में वर्तमान स्कूलों का विस्तार मंजूर किया गया है।

1 डिसपेंसरी, 4 डिसपेसंरी एवं प्रसूती केन्द्र, 2 कम्पाउडर एकक एवं प्रसूती केन्द्र विभिन्न राज्यों में मंजूर किये गये हैं। एक राज्य में वर्तमान राज्य का विस्तार मंजूर किया गया है।

सिंचाई प्रयोजनों के लिये विभिन्न राज्यों में 54 निस्तार तालाब और 305 खुले कुए। नलकूप बनाये गये हैं।

(ङ) भारत के विभाजन से वित्तीय वर्ष 1966–67 तक पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों पर 260.04 करोड़ रु० पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर 262.51 करोड रु० खर्च हो चुके होंये।

महाराष्ट्र में स्पेन का पादरी

4533. श्री उमानाथ :
श्री पं० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणि ;

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्पेन के नागरिक एक कैथोलिक पादरी को भारत से चले जाने का नोटिस दिया है;

(ख) पादरी का नाम क्या है; और

(ग) ऐसी कार्यवाही करने के कारण क्या हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) स्पेन के एक राष्ट्रक फादर विन्सेंट फैरर को, जिनकी ठहरने की अवधि मार्च, 1967 में समाप्त हो गई थी, पहली प्रार्थना पर अवधि बढ़ाने की आज्ञा नहीं दी गई थी।

दूर संचार व्यवस्था में रुकावट

4534. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूर टेलीफोन संचार व्यवस्था में समय–समय पर होने वाली रुकावट को कम करने क लिये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या हाल के महीनों में शिकायत की संख्या बहुत बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) देश में दूरस्थ टेलीफोन संचार प्रणालियों में गड़बड़ी निम्न कारणों से होती है–

(1) लाइनों से तांबे के तार की चोरियां।

(2) स्थानीय विद्युत सप्लाई के मुख्य यंत्रों का खराब होना और उनमें अस्थिरता।

(3) प्राकृतिक कारणों से क्षति।

उन्हें दूर करने के उपाय ये हैं–

(1) खुली तार लाइनों से तांबे के तार की चोरी के कारण होने वाली गड़बड़ी से बचने के लिए जमीन के नीचे बिछे सहधुरीय केबिलों और सूक्ष्मतरंग रेड़ियो रिले प्रणालियों पर दूरस्थ टेलीफोन संचार परिपथों की व्यवस्था।

(2) टेलीग्राफ तार (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1950 में संशोधन ताकि उसमें अपेक्षाकृत ज्यादा कड़े दण्डों की व्यवस्था हो।

(3) तांबे के तार के स्थान पर तांबे की पालिश लगा लोहे का तार लगाना और उसका देश में ही निर्माण।

(4) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से अधिक निकट का सम्पर्क।

(5) अर्ध सरकारी पत्र लिखकर राज्यों के मुख्य मंत्रियों का उनके राज्यों में बारबार तांबे के तार की चोरियां होने के खतरे की ओर ध्यान आकृष्ट करना, जिसमें उनसे उसे दूर करने के लिए कड़े से कड़े उपाय बरतने की प्रार्थना की गई है।

(6) मुख्य यंत्रों के खराब होने के समय प्रयोग में लाने के लिए विभिन्न संचार केन्द्रों पर आपाती इंजन परिवर्तकों की व्यवस्था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं

4535. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री स० प्रधानी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों में उड़ीसा के उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकायें दायर की गई; और

(ख) उस उच्च न्यायालय में पिछले एक वर्ष से अनिर्णित पड़ी लेख-याचिकाओं की संख्या कितनी है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 94 (ख) 303 (इस संख्या में जून 1966 या उससे पहले के लम्बित मामले भी शामिल है ।

धन के लिये अपील

4536. श्री म० रं० कृष्ण : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों से धन देने के लिए अपील करते समय प्रधान मंत्री ने देशी रियासतों के भूतपूर्व शासकों से मुसीबत-ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता करने के लिए अपनी निजी थैलियों की समूची राशि अथवा आंशिक राशि देने का अनुरोध किया; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के इस अनुरोध पर कितने भूतपूर्व शासकों ने धन दिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) नवम्बर, 1966 में प्रधान मंत्री ने भारत की जनता को प्रधान मंत्री की सूखा सहायता निधि में उदारता पूर्वक अशंदान देने के लिये अपील की थी । अपील की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार ने शासकों से उदारतापूर्वक अंशदान देने के लिए अनुरोध किया था । 33 शासकों ने इस अपील पर निधि में अंशदान दिया ।

कांग्रेस अध्यक्ष

4537. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सुरक्षा पर कितना मासिक व्यय किया जा रहा है; और

(ग) क्या अन्य राजनैतिक दलों के अध्यक्षों को भी ऐसी ही सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) श्री कामराज की सुरक्षा को भय होने के पश्चात् 1965 से उनकी सुरक्षा के लिये कुछ प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) 513.60 प्रति मास ।

(ग) किसी राजनैतिक दल के प्रधान या सभापति के लिए सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते हैं । सुरक्षा प्रबन्ध केवल तब ही किये जाते हैं जब वे आवश्यक समझे जाते हैं ।

राजस्थान में पाकिस्तानी रेंजरों का अवैध प्रवेश

4538. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दस पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें तीन पाकिस्तानी रेंजर भी थे, 28 अप्रैल, 1967 की रात को राजस्थान के गंगानगर जिले में सीमावर्ती यलीवाला गांव में घुस गये थे और उन्होंने वहां एक भारतीय नागरिक को गोली मार कर मार डाला था;

(ख) यदि हां, तो हमारे सुरक्षा सैनिकों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) पाकिस्तानियों को भाग निकलने क्यों दिया गया ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) से (ग) 28 अप्रैल, 1967 को ऐसी कोई घटना नहीं घटी गई। तथापि, 14 अप्रैल, 1967 को 3 पाकिस्तानी रेंजर और 7 नागरिक गंगानगर जिले, में उनके द्वारा सीमा के पार से मारे गये एक पशु को उठाने के लिये भारतीय प्रदेश में घुस आये। हमारे सीमा गश्ती दल को देखते ही वे भाग गये।

मद्यनिषेध

4539. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन उप मंत्री ने बम्बई में कहा है कि मद्यनिषेध पर्यटन के विकास में एक बाधा सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार का निश्चित मत है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पर्यटन के उप-मंत्री ने अपनी राय व्यक्त नहीं की थी अपितु उन तक पहुंचाये गये अन्य लोगों के विचारों को ही उन्होंने बताया था कि मद्यनिषध से पर्यटन को प्रोत्साहन नहीं मिलता। समाचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में बिल्कुल सही नहीं लिखा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में चलते फिरते डाकघर

4540, श्री विश्वनाथ पांण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने चलते फिरते डाकघर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे और डाकघर चालू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये डाकघर किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) शीघ्र ही कानपुर में एक चलता-फिरता डाकघर चालू किया जायेगा।

Assistance to Political Sufferers of Uttar Pradesh

4541. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the amount paid to the political sufferers belonging to Uttar Pradesh during 1966-67 in the form of personal assistance ; and

(b) the number of political sufferers thus benefited and the extent of monthly assistance given to them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) During 1966-67 a sum of Rs. 10,750/-was paid to 26 political sufferers belonging to Uttar Pradesh. No monthly assistance is given to any political sufferer from the Home Minister's Discretionary Grant.

उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत लोग

4543. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ; और

(ख) उनके नाम दर्ज होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) 3,01,864

(ख) रोज़गार कार्यालयों को सूचित रिक्त स्थानों को भरने के लिए उक्त कार्यालय योग्य उम्मीदवारों को भेजते हैं। रोजगार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी तरह के उम्मीदवारों को उनके नाम दर्ज कराने की तारीख से एक साल के भीतर नियुक्ति सहायता दिलाना सम्भव नहीं लगता।

लक्कदीव द्वीपसमूह पाकिस्तान की शरारतपूर्ण कार्यवाहियां

4544. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई समाचार मिला है कि पाकिस्तान लक्कदीव द्वीपसमूह में गड़बड़ पैदा करने का प्रयास कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक बचत बैंक के खातों की न मांगी गई राशि

4545. **श्री ज्योतिर्मय बसु ;**
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री प० गोपालन :
श्री भगवान दास :
श्री चकपाणि :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों के बचत बैंक खातों में ऐसा कुल कितना धन जमा पड़ा है जिसका इस समय तक कोई दावेदार धन लेने नहीं आया ;

(ख) क्या उपयुक्त दावेदारों को ये राशियां देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक घर बचत बैंक में ऐसी कोई रकम नहीं होती जिसका कोई 'दावेदार' न हो। यदि किसी खाते में पूरे छः वर्ष तक कोई लेन-देन न हो तो उस खाते को 'निष्क्रिय' खाता मान लिया जाता है और उस खाते को जमा कर्ता आवेदन-पत्र देकर फिर से चालू कर सकता है। उन बचत बैंक खातों में जिन्हें निष्क्रिय मान लिया गया है, 30 अप्रैल, 1967 को निबल संचित इतिशेष रकम 9,54,32,061 रु० 25 पैं० थी।

(ख) और (ग) जमाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों को दावे पेश करने पड़ते हैं। फिर भी डाक-तार विभाग का यह प्रस्ताव है कि 'निष्क्रिय खातों' वाले उन जमाकर्ताओं को जिनके पूरे रिकार्ड उपलब्ध है तथा जिनके खाते में 100 रु० से अधिक इतिशेष रकम मौजूद है, नोटिस भेजे जाएं, जिनमें उनसे अपने खाते फिर से चालू करने की प्रार्थना की जाए।

भारतीय वैज्ञानिकों का वेतन

4546. **श्री ज्योतिर्मय वसु :**
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री भगवान दास :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान परिषद् ने यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय वैज्ञानिकों को कम वेतन मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) वैज्ञानिकों की दशा सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। प्रेस समाचार एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर आधारित है, जिसका नाम है 'ओपीनियन सर्वे आफ साइंटिस्ट्स एण्ड टैक्नोजिस्ट्स'। इसके लेखक हैं अनुसन्धान सर्वेक्षण और आयोजना संगठन के एक्वील अहमद और एस० पी० गुप्त। इसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) वैज्ञानिकों की सेवा शर्तों में सुधार के बारे में सरकार की नीति और उपाय सरकार के वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प में अच्छी तरह बताये गए हैं, जिसे संसद ने 4 मार्च 1958 को पारित किया था। वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प को अमल में लाया जाना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और उसका लगातार पुनर्विलोकन चलता रहता है। जहां तक हो सकता है वैज्ञानिकों की सेवा शर्तें सुधारने के लिए कई कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं जैसे योग्यता पदोन्नतियां, पेशगी वेतनवृद्धि देना आदि। पारिश्रमिक देने का प्रश्न ऐसा विषय है, जिसको देश की हालत के साथ सम्बद्ध रखना होगा और यह सापेक्ष है।

डाक तथा तार विभाग में संगणक

4547. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के पोस्ट मास्टर जनरल ने एक प्रेस सम्मेलन में संगणकों के, जिन्हें खरीदने में विदेशी मुद्रा खर्च होती है और जिसके कारण यह प्रणाली अधिक महंगी सिद्ध हुई है प्रयोग का विरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संगणकों के उपयोग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) (क) और (ख) सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान के विचारों की जानकारी है, जो कि उनके व्यक्तिगत विचार है। टेलीफोन के बिल बनाने और लेखा-कार्य के लिये डाक-तार विभाग में किसी संगणक का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के टेलीफोन के बिल बनाने और उसका लेखा रखने से सम्बन्धित कुछ काम, जिसे सेवा के आधार पर एक ठेकेदार को सौंप दिया गया है, उनको सर्विस ब्यूरो में संगणकों पर किया जाता है। चूंकि डाक-तार विभाग द्वारा इस कार्य के लिए अपने किसी संगणक का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः कार्य-अध्ययन का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में छात्रों को योग्यता छात्रवृत्तियां

4548. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धन छात्रों को विश्व विद्यालय की परीक्षा जारी रखने के लिये योग्यता छात्रवृत्तियां देने के लिये 1966-67 में कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) उस राज्य सरकार ने उस राशि में से उस अवधि में कितनी राशि खर्च की और उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) 3.40 लाख रु० ।

(ख) 2.50 लाख रु० का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया गया था । 6,4930 रु० 1966-67 में चुने गये उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां देने के लिये और 1,85,070 रु० पिछले वर्षों में चुने गये उम्मीदवारों की छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण पर ।

उड़ीसा की तकनीकी संस्थाओं में योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां

4549: श्री रामचन्द्र उलाका ; श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाइ :

क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा की प्रत्येक तकनीकी संस्था को 1966–67 में योग्यता–एवं–साधन छात्र-वृत्तियों के लिये कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) इस काम के लिए उस राज्य को 1967-68 में कितनी धनराशि देने का विचार है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) :

	रुपये
1. विश्वविद्यालय इंजीनियरी कालेज, बुरला	48,600
2. उड़ीसा इंजीनियरी स्कूल, कटक	6,250
3. भद्रक इंजीनियरी स्कूल, भद्रक	1,350
4. झारसुगुड़ा इंजीनियरी स्कूल, झारसुगुड़ा	2,700
5. बरहमपुर इंजीनियरी स्कूल, बरहमपुर	7,800
6. केन्द्रपाड़ा इंजीनियरी स्कूल, केन्द्रपाड़ा	1,700
7. उड़ीसा खनन इंजीनियरी स्कूल, क्योंझरगढ	1,050
जोड़	69,450

(ख) 1,11,400 रुपये

उड़ीसा में सांस्कृतिक केन्द्र

4550. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा को राज्य में सांस्कृतिक केन्द्र बनाने के लिए 1966-67 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में इंजीनियरी के कालेजों को अनुदान

2551. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**

श्री घुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उड़ीसा में इंजीनियरी के कालेजों को वास्तव में कितनी राशि दी गई थी; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अनुदान.....17,56,449.53 रु. ऋण.....7,05,000,00 रु.

संख्या लाखों में

स्थान का नाम	अनावर्ती				आवर्ती	कुल सहायता अनुदान	ऋण		
	इमारत	उपकरण	कर्मचारियों के क्वार्टर	कुल			होस्टिल	कर्मचारी क्वार्टर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(एक) रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला	4.60	0.30	0.35	5.31	10.663	15.973	5.7	1.35	7.05
(दो) यूनीवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग उत्कल, यूनीवर्सिटी, बुरला	0.0414953	0.55	1.00	1.5914953	–	1.5914953	–	–	–

उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा

4552. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिये उड़ीसा को कितनी राशि दी थी; और

(ख) वर्ष 1967–68 में इस कार्य के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) विकास के किसी विशिष्ट शीर्षक, उदाहरणार्थ सामान्य शिक्षा पर वास्तविक व्यय के आधार पर आयोजना की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है, प्रत्येक योजना या उप-शीर्षक के लिये अलग से नहीं दी जाती है । अतः अलग से यह बताना संभव नहीं है कि उड़ीसा सरकार को प्रौढ़ शिक्षा के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ।

पुरातत्वीय संग्रह

4553. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या शिक्षा मंत्री 17 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पुरातत्वीय संग्रहों के उत्तरोत्तर ह्रास को रोकने के लिये कानून बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) विषय अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय स्कूल

4554. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष में कितने केन्द्रीय स्कूल खोलने का विचार है; और

(ख) इस समय देश में ऐसे स्कूल कितने हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सात, निधियों के उपलब्ध होने पर।

(ख) 31-3-1967 को 111।

सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4555. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने नगरों तथा कस्बों के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था अब तक चालू हो चुकी है; और

(ख) नगरों तथा कस्बों के बीच टेलीफोन की यह सीधी व्यवस्था करने में कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन को उपभोक्ता डायलिंग प्रणाली द्वारा तेरह नगरों को। इनके नाम ये हैं :—

दिल्ली	मेरठ
आगरा	जालन्धर
कानपुर	शिमला
लखनऊ	अहमदाबाद
जयपुर	मद्रास
पटना	बंगलौर
वाराणसी	

(ख) उपर्युक्त स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने के लिए स्विचिंग उपस्कर की लागत लगभग 29 लाख रुपये हैं। इसके अतिरिक्त ट्रंक लाइनों में आम सुधार करने की दृष्टि से विभिन्न मार्गों पर दूरस्थ परिपथों की व्यवस्था की गई है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की पुनर्विचार समिति

4556. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पुनर्विचार समिति ने यह सिफारिश की है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय को प्रशासनिक केन्द्र के रूप में कम तथा तकनीकी और वैज्ञानिक योजना तथा नीति निर्धारक एजेंसी के रूप में अधिक काम करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) यह ऐसी समस्या है जिस पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के महानिदेशक लगातार ध्यान देते रहे हैं और नीचे लिखी कार्यवाही की गई है :

(एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के महानिदेशक, जो स्वयं एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं, यह ध्यान रखते हैं कि मुख्यालय वैज्ञानिक नीति बनाने वाले निकाय की तरह काम करे, केवल एक प्रशासनिक दफ्तर के रूप में नहीं । इस काम में उनकी मदद के लिए देश के प्रमुख वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविज्ञों और उद्योगपतियों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों को भी समय-समय पर विशिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए नियुक्त की जाने वाली समितियों में नामित किया जाता है । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड में भी, जो सी०एस०आई०आर० का प्रमुख सलाहकार निकाय और शासीनिकाय है, प्रमुख वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी-विज्ञ रखे गए हैं ।

(दो) सी०एस०आई०आर० के शासी निकाय के कृत्य और शक्तियां बहुत कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों की कार्यकारी परिषदों को सौंप दी गई हैं, ताकि वे प्रयोगशालाओं के कार्यों का प्रबंध की गई बजट-व्यवस्था के भीतर चला सकें ।

(तीन) प्रयोगशालाओं की अनुसंधान नीतियों और कार्यक्रमों के तैयार करने में सम्बन्धित क्षेत्र के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविज्ञों और उद्योगपतियों को निकट से सहयोजित किया गया है ।

(चार) मुख्यालय के प्रशासनिक तन्त्र का मुख्य लक्ष्य यह है कि विभिन्न स्तरों पर सी० एस०आई०आर०की आयोजना और नीति बनाने वाले निकायों द्वारा किए गए निर्णयों को अमल में लाने में सुविधा दी जा सके और उनका अनुगमन किया जा सके ।

हिन्दी का अध्यापन

4557. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय का विचार हिन्दी अध्यापन योजना को, जो इस समय गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, उस मंत्रालय से अपने नियंत्रण में लेने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : जी नहीं ।

गोआ में नये हिन्दू

4558. श्री शिंकरे : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गोआ में 25 वर्ष पहले बने 30 हजार से अधिक ये हिन्दू हैं जो अपने नाम तथा कुल-नाम बदलने के लिए उत्सुक हैं परन्तु उनको इस सम्बन्ध में पुर्तगाली विधियों, जो कि अभी तक गोआ में लागू हैं के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने में भारी खर्च के कारण कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के अन्य सभी राज्यों में नाम तथा कुलनाम बदलने की विधि बहुत सरल तथा कम खर्च वाली है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन को सुकर बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यदि उनको कठिनाइयों की सूचना दे दी जाये, तो इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

केरल में प्राथमिक पाठशालाओं की इमारतें

4559. श्री नायनार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार को प्राथमिक पाठशालाओं की इमारतें बनाने के लिये 1963–64 में ऋण देने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण देने की पेशकश की गई थी; और

(ग) क्या वह राशि केरल सरकार को दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) 1963–64 में ही चलने वाली तदर्थ योजना के अधीन भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों की इमारतों और देहाती प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाली अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर बनाने के वास्ते राज्य सरकार को ऋण के रूप में मदद देने का प्रस्ताव किया था । फरवरी, 1964 में केरल सरकार ने 1964–65 वर्ष में 30 लाख रुपयों के और 1965–66 वर्ष में 45 लाख रुपयों के ऋण के लिए प्रार्थना की । पर चूंकि 1964–65 और 1965–66 में ऐसी कोई योजना न थी, जिसके अधीन ऋण मंजूर किया जा सकता, इसलिए राज्य सरकार को कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पैट्रोलियम संस्था, देहरादून

4560. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पैट्रोलियम संस्था, देहरादून में, सोशल डीन का कोई पद है?

(ख) यदि हां, तो यह पद होने के क्या कारण है; और

(ग) उस संस्था के वर्तमान दोनों भूविशेषज्ञों का पढ़ाने का अनुभव कितना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नीदरलैंड सरकार ने दो मिट्टी विशेषज्ञ दिए हैं। वे अपने देश में विश्वविद्यालय स्तर के लिये अध्यापकों के रूप में योग्य हैं। किन्तु उनके शिक्षण अनुभव के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए श्रमिक बोर्ड की सिफारिशों सम्बन्धी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

4561. श्री अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अब्राहम :
श्री चक्रपाणि :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-पत्रकार कर्मचारियों को मैसर्स बेनट कोलमैन एन्ड कम्पनी द्वारा अंतरिम सहायता देने के बारे में की गई केन्द्रीय श्रमिक बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर विचार करने के हेतु सरकार का विचार एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित न्यायाधिकरण कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी हां। इस प्रश्न को एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास भेजने का आदेश 4 जुलाई, 1967 को जारी किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व युवक सभा (वर्ल्ड एसेम्बली आफ यूथ)

4562. श्री रवि राय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक सभा (वर्ल्ड एसेम्बली आफ यूथ) के न्यासियों (ट्रस्टी) ने घोषणा की है कि उन्हें दो अमरीकी संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन दो संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास मामले की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Appointments in Vikram University

4563. **Shri Ram Charan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee of the University Grants Commission visited Vikram University in connection with the appointment of some professors there;

(b) whether the said Committee has submitted its report;

(c) if so, whether any decision has been taken thereon; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (d) No, Sir. However, a Visiting Committee set up by the University Grants Commission visited the University in November, 1966, to assess its Fourth Plan requirements. The University submitted a proposal for creation of posts of professors for some teaching Departments, along with other proposals, to the Committee. The Committee has since submitted its report which is being considered by the Commission.

Closure of Textile Mills in U. P.

4564. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** **Shri Ram Gopal Shalwale:**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether there is a likelihood of the closure of cotton textile mills on account of the labour disputes in Uttar Pradesh; and

(b) if so, whether Government have taken any steps to ensure cordial relations between the labour and management ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The matter falls in the State sphere. The State Government have reported that there is no likelihood of closure of cotton textile mills on account of labour disputes.

(b) Does not arise.

बिहार में मैट्रिक परीक्षा के परिणाम

4565. **श्री रवि राय :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो छात्र मैट्रिक परीक्षा में केवल अंग्रेजी में असफल रहते हैं तथा अन्य सभी विषयों में पास हो जाते हैं उन्हें उस परीक्षा में पास माना जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) प्रेस में छपे समाचारों के अनुसार इस साल जो छात्र माध्यमिक परीक्षा में केवल अंग्रेजी के पर्चे में अनुत्तीर्ण थे, उनको उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है ।

(ख) यह तभी होगी, जब प्रथमतः सम्बन्धित राज्य सरकार से इसके ब्यौरे प्राप्त हो जाएंगे ।

मंत्रियों के विरुद्ध जांच

4566. **श्री नायनार :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध वर्ष 1947 से लेकर आज तक पुलिस अभिकरणों ने कितने मामलों में जांच की है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) कितने मामलों में जांच पूरी नहीं हुई है; और

(घ) कर्तव्य-पालन में कोताही करने वाले मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) जहां तक पता लगाया जा सका है, पुलिस द्वारा 1947 से केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्री के विरुद्ध कोई नियमित जांच नहीं की गई है । तथापि, दो केन्द्रीय मंत्रियों के सम्बन्ध में, कुछ मामलों की नियमित जांच के दौरान पुलिस द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त की गई थी जो कि सरकार को भेज दी गई थी । सरकार द्वारा इन मामलों का अग्रेतर अनुसरण किया गया था और उसके परिणाम सभा को बता दिये गये थे ।

लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश खण्ड कार्यालय में मुकदमेबाजी

4567. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश खण्ड कार्यालय के कर्मचारियों के पुनर्वास विभाग के विरुद्ध कितने मुकदमे/याचिकाएं दायर कीं;

(ख) कितने मामलों में निर्णय दिये जा चुके हैं और फैसलों की प्रतियां मिल चुकी हैं;

(ग) इन मुकदमों/याचिकाओं पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या उन अधिकारियों पर, जिनके निर्णय के परिणामस्वरूप यह मुकदमेबाजी चली है, कोई जिम्मेदारी डाली गई है; और

(ङ) क्या जिम्मेदार ठहराये गये अधिकारियों से कोई वसूली की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों में 3 लेख याचिका ।

(ख) एक लेख याचिका पर फैसला किया जा चुका है । पत्रों पर लागत का भार डाल कर इसे बरखास्त कर दिया गया था । निर्णय की प्रति के लिये आवेदन-पत्र दिया गया है और प्राप्त होने पर दे दिया जायेगा ।

(ग) निर्णीत लेख याचिका पर 479 रु० । अन्य लेख याचिकाएं अब भी लम्बित पड़ी हैं ।

(घ) जी नहीं । क्या न्यायालय ने किसी अधिकारी को मुकदमेबाजी के लिये जिम्मेदार ठहराया है यह देखने के लिये अभी निर्णय की जांच की जानी हैं । लेख याचिका का फैसला सरकार के पत्र में किया गया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Hindi Telephon Directory

4568. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Telephone Department has uudertaken the work for publishing Hindi version of the Telephone Directory (Devanagari Script) and to arrange its supply;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) if so, the cities where Hindi Telephone Directories have been supplied ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communication (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) Yes, Sir, only in repect of Hindi speaking states, viz., U. P., Bihar, Rajasthan, M. P. and Delhi.

(c) Telephone Directory for U. P. has been published and supplied to all the telephone subscribers of P & T circle of U. P.

श्रेणी चार के कर्मचारी

4569. श्री एस० एम० जोशी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिपिक श्रेणियों में सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष है और श्रेणी चार के लिये 25 वर्ष;

(ख) क्या यह भी सच है कि 21/25 वर्ष की आयु में श्रेणी चार में नियुक्त होने वाला कोई व्यक्ति अपेक्षित विभागीय परीक्षाएं पास करने के बाद भी, तथा आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी, अपने जीवन में लिपिक श्रेणियों के पदों पर नियुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि वह 21 वर्ष के बाद श्रेणी चार के पद पर नियुक्त हुआ था; और

(ग) विभिन्न सरकारी विभागों में 21 वर्ष के बाद सेवा में आने वाले श्रेणी चार के कर्मचारी के लिये मैट्रिक पास करने अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने और टाइप का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पदोन्नति के क्या अवसर हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जिन कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक का पद रोजगार दफ्तर के द्वारा भरा जाता है उनमें इस पद पर नियुक्ति के लिये मैट्रिक या इससे ऊंची अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर विचार किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिये उनको उस हद तक आयु की रियायत दी गई है जिस हद तक उन्होंने चतुर्थ श्रेणी में सेवा की हो । 3 सितम्बर, 1959 से श्रेणी तीन की लिपिक सेवाओं के लिये ऊपरी आयु सीमा के 25 से 21 वर्ष तक घटाये जाने को ध्यान में रखते हुए, उन व्यक्तियों को, जो चतुर्थ श्रेणी की सेवा में 3 दिसम्बर, 1959 से पहले आये थे और जिन्होंने सेवा में प्रवेश की तिथि की 21 वर्ष पहले ही पूरे कर लिये थे, गृह-कार्य मंत्रालय के 18 अप्रैल, 1966 के ज्ञापन-पत्र संख्या एफ० 16/2/66–एक्ट (डी) द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिये आयु में अग्रेतर रियायत दी गई है । इस ज्ञापन-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 913/67]**

अन्दमान द्वीप में कर्मचारी

4570. श्री अ० सि० सहगल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951–52 में अन्दमान द्वीप में विभिन्न सरकारी विभागों में कुल कितने कर्मचारी थे और वर्ष 1966–67 में कितने थे;

(ख) वर्ष 1951–52 में तथा 1966–67 में उनमें से कितने लोग केरल के थे;

(ग) यदि उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि सभी सरकारी पदों पर बाहर के लोग नियुक्त किये जाते हैं, तो सरकार का विचार उन 12,000 स्थानीय छात्रों को, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद कैसे नौकरी देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 914/67]**

(ग) केरल से आने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता में वृद्धि का स्पष्टतः कारण यह है कि केरल के अधिक व्यक्ति गुण-दोष के आधार पर चुने जाते हैं ।

(घ) 12,000 स्थानीय छात्रों से अर्थ शायद अन्दमान और निकोबार प्रथम श्रेणी से लेकर ग्यारहवीं श्रेणी तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की कुल संख्या से है। चूंकि वे सरकारी सेवा के लिये केवल तब ही पात्र होंगे जब वे विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर लेंगे, इसलिये 12,000 स्थानीय विद्यार्थियों को एक ही समय में खपाने का प्रश्न नहीं उठता। शिक्षा के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय पात्र विद्यार्थी भी उचित समय पर इन अवसरों का लाभ उठायेंगे।

मिडिल प्वाइंट हायर सैकेन्डरी बालक स्कूल, अन्दमान

4571. श्री अ० सिंह सहगल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान सरकार ने मिडिल प्वाइंट हायर सैकेन्डरी बालक स्कूल के निकट चिरकाल से बसे हुए लोगों की धान की खेती वाली भूमि को लड़कों का खेल का मैदान बनाने के लिये अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोक निर्माण विभाग ने इस भूमि को साफ करने पर लाखों रुपये खर्च करके इसे अधूरा छोड़ दिया था जिसके फलस्वरूप यह भूमि वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस काम को अविलम्ब पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जमीन को समतल करने के लिए 54,326 रुपये की रकम खर्च की गई थी। काम 1963 में पूरा हो गया, पर जमीन का उपयोग न किया जा सका, क्योंकि पास की पहाड़ी की ओर से आने वाले बरसाती पानी के बहाव के लिए नालियां नहीं बनाई जा सकी थीं।

(ग) प्रशासन ने जरूरी नालियां बन चुकने के बाद उस जमीन पर दफ्तर और रहने के आवास बनाने का फैसला किया है।

पाकिस्तानी घुसपैठिये

4572. श्री बाबूराव पटेल :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध-विराम से एक वर्ष की अवधि के दौरान भूतपूर्व काश्मीर रियासत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में रहने वाले लगभग 50,000 पाकिस्तानी चोरी-छिपे

पुछ-विराम रेखा को पार करके हमारी ओर के पुंछ-राजौरी सीमावर्ती जिलों में इसलिये आ गये हैं ताकि वे वहां पर तोड़-फोड़ की कार्यवाइयां कर सकें;

(ख) क्या कारण है कि सीमा पर तैनात हमारे सैनिक इतनी अधिक संख्या में पाकिस्तानियों की घुसपैठ को न रोक सकें;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि वहां के मुसलमान इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन लोगों को बाहर निकालने और भविष्य में ऐसे लोगों की नये सिरे से घुसपैठ रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान 21 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 632 के बारे में पूछे गये पूरक प्रश्नों के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्य सरकार का यह अनुमान है कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान हमारी ओर से लगभग जितने लोग पाकिस्तान की ओर चले गये थे उनमें से लगभग 30,000 वापिस आ गये हैं। वह भू-प्रदेश ही ऐसा है कि जहां पर ऐसी किसी बाढ़ का लगना सम्भव नहीं है जिससे टुकड़ियों में आते हुए लोगों को रोका जा सके। दूसरे जो लोग सैनिक हमलों से डर कर सीमा से परे चले गये थे और जो संघर्ष के समाप्त होने पर वापिस आना चाहते हैं, उन्हें माननीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण से रोकना बहुत ही कठिन है। बात यह नहीं है कि स्थानीय लोग घुसपैठियों को शरण देते हैं। वे स्थानीय लोग ही हैं जो अपने घर वापिस लौट रहे हैं।

समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान करने वाले अमरीकी जहाज का हस्तान्तरण

4573. श्री रवि राय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के हक में समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान करने वाले एक जहाज का हस्तान्तरण इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के पूरे तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जिस अमेरिकी अनुसंधान जहाज **एंटन ब्रून** ने अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में भाग लिया था, उसे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के समुद्र विज्ञान कार्यक्रम के साथ सहयोग के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को उपहार रूप में दिया गया था। फिर भी इस बीच अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास से एक समुद्री तार प्राप्त हुआ है, उसमें बताया गया है कि जब जहाज सूखी गोदी में पड़ा था, वह उलट गया। आगे और विवरण की प्रतीक्षा है।

दिल्ली में मदिरा तथा बीयर के मूल्य

4574. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली वाइन मर्चेन्ट्स असोशियेशन के इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि बीयर के मूल्य बढ़ाये जायें;

(ख) यदि हां, तो मूल्य कितने बढ़ाने का विचार है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजधानी में मदिरा तथा बीयर के मूल्यों का विनियमन करने के बारे में क्या सरकारी विनियम है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) शराब के कारखानों द्वारा मूल्य बढ़ाये जाने के कारण 25 पैसे प्रति बोतल ।

(ग) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में बीयर और शराब के मूल्यों को नियमित करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है ।

Tours of Ministers to Drought Affected Areas

4575. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Central Ministers and Deputy Ministers who visited the drought-striken areas of U. P. and Bihar during the period January, 1966 to the 31st May, 1967 and the number of days they remained in the drought-stricken villages; and

(b) the total expenditure incurred on these tours ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) A statement giving the information available is placed on the Table of the House. [Placed in Library, See No. L. T. 915/67]

Central Government Offices in Madras, U. P. and Bihar

4576. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Rabi Ray : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of new offices established by the various Ministries of the Government of India in Madras, Uttar Pradesh and Bihar during 1965-66 and 1966-67; and

(b) the amount spent on them separately during that period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The information in respect of offices under the Ministry of Home Affairs is as follows :

(a) Two

(b) In 1965-66 Rs. 19,80,225
In 1966-67 Rs. 28,93,680

Information in respect of other Ministries is being collected and will be laid on the Table of the House.

Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students

4577. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a proposal to give proper publicity to the following schemes/projects which had previously been under their direct control, but subsequently transferred to the State Government for execution namely;

(i) award of scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students,

(ii) award of merit scholarships,

(iii) grants for organising labour and social services camps, and

(iv) ad hoc cash grants to the poor and needy students;

(b) if so, a brief account thereof; and

(c) the number of replies of routine nature sent by the Ministry in connection with the above schemes/projects during 1966-67 ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) It is the responsibility of the State Governments concerned to publicize the scheme which have been transferred to them for implementation. In the case of the scheme of Scholarships to Scheduled Castes etc., the State Governments have already been advised to give wide publicity through advertisement in newspapers, through All India Radio and by issuing circulars to the various institutions concerned. In the case of the scheme of National Scholarships, the award is made purely on merit on the basis of the examination results received from the concerned Universities and Boards and no publicity is called for. The scheme regarding Labour and Social Service Camps is to be duly advertised by the State Governments concerned if and when they make provision for it in their own budgets. There is no regular scheme with the Ministry of Education for giving ad hoc cash grants to the poor and needy students.

(c) (i) 216

(ii) 400

(iii) 28

(iv) does not arise.

Circulars in Hindi

4578. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of Orders, Circulars and Notices relating to Class I, II, III and IV employees of his Ministry issued during the first half of the year 1967 and the number out of those issued in Hindi; and

(b) the number of applications, petitions received in Hindi from these employees during that period and the number of decisions thereon communicated to them in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 326 and 4 respectively.

(b) 353 and 350 respectively.

Post Offices

4579. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of Sub-Post Offices proposed to be opened during 1967–68 in the country Circle-wise;

(b) whether any demand has been made for opening such Sub-Post Offices in Madhya Pradesh; and

(c) if so, when Government would take a decision thereon ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A statement is placed on the table of the Sabha. **[Placed in Library, See No. L. T. 916/67]**

(b) Yes, Sir.

(c) As a result of such representations, 11 Sub Offices were opened during the last one year, while four proposals were rejected. It is expected that decision on the remaining proposals will be taken by the Postmaster General, Madhya Pradesh within the next six months.

विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण

4580. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आसाम के शिवसागर जिले में पनीमोरा गांव में विद्रोही नागाओं द्वारा अपहृत किये गये तीन व्यक्तियों का शिरोच्छेदन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके अपहरण से लेकर उनकी हत्या किये जाने तक की घटना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार ने ऐसी सूचना दी है कि 10 जुलाई, 1966 को पानीमोरा गांव के तीन व्यक्ति जंगल में ईंधन की तालाश में गये थे और 13 जुलाई, 1966 तक वापिस नहीं लौटे। खोजने पर गांव वालों को 14 जुलाई, 1967 को कचजन नदी से परे बन्दरचलिहा सीमा चौकी के पूर्व की ओर चार मील दूरी पर ऐसे तीन शव मिले जिनका अंग-अंग छिन्न-भिन्न किया हुआ था। उनमें से दो का शिरोच्छेदन किया गया था और उनके कटे हुए सिरों को पत्थर पर रख दिया गया था और तीसरे का सिर नहीं उतारा गया था। राज्य की पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच से पता चला कि ये हत्याएं नागा विद्रोहियों ने की हैं।

Centenary Celebrations of Archaeological Department

4581. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a misappropriation has been detected in the Centenary Celebrations and Exhibition organised by the Archaeological Department during 1961;

(b) if so, the amount involved therein;

(c) the Officer responsible for the said bungling;

(d) whether some action has been taken against the Officer found responsible; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (e) The case regarding misappropriation of Government funds by some officers of the Archaeological Survey of India in connection with the Centenary Celebrations of the Survey held in December, 1961, has been investigated by the Special Police Establishment. Their reports have recently been received in the Ministry and are under examination.

Archaeological Survey

4582. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the places where excavation work has been carried out from 1953 to 31st May, 1967 by the Archaeological Survey of India and when the said work was carried out in each case;

(b) whether the report relating to all the surveys have been published;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the amount incurred per annum on excavation work on each site ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) The information is given in the list placed on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. L T-917/67]**

(c) Most of these excavations were single-season's work with restricted objectives. A report thereon apart from what has been published in the respective issues of **Indian Archaeology-A Review** is not considered necessary.

Besides the sites where excavation is still in progress, viz. Burzaham, Kalibangan, Gudiyam-Attirampakam Poondi area and Paiyampalli, there are only thirteen sites-Rupar, Bara and Salaura, Lothal, Nagarjunakonda, Nagda, Ujjain, Ratnagiri, Adamgarh Kuchai, Afyeh, Tumas, Besnagar and Lalitpur, of which full excavation reports have not been published. Of these, reports are almost ready in respect of Lothal Nagda and Ujjain, while for Nagarjunakonda, Ratnagiri, Adamgarh, Kuchal, Besnagar, Lalitpur, Afyeh and Tumas the reports are in varying stages of preparation. As regards Rupar, Bara and Salaura, it has not been possible to complete the report because of the pressure of other administrative problems.

(d) The labour involved in collecting the information will not be commensurate with the results thereof.

Scientific and Technical Terminology Commission

4583. Shri Sheopujan Shastri :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether necessary action has been taken in regard to the expansion of staff in accordance with the recommendations of the staff Inspection Unit of the Ministry of Finance sent to assess the work of the Scientific and Technical Terminology Commission;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) when the staff as recommended would be appointed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) The matter is under consideration.

(c) Does not arise at present.

Scientific and Technical Terminology Commission

4584. Shri Sheopujan Shastri :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Education be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the staff of Scientific and Technical Terminology Commission is scattered over the various buildings and whether tremendous difficulties are experienced in conducting the work of the Commission properly;

(b) whether it is also a fact that the Library of the Commission is located at Daryaganj, at a distance of about two miles from these buildings; and

(c) if so, whether the question of keeping the whole staff in one buliding would be given prompt consideration ?

The Minister of State in The Miuistry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The staff of the Commission are, at present, housed in two separate buidings which, no doubt, causes some difficulties in the work of the Commission.

(b) The Commission is making use of the Library of the Central Hindi Directorate which is not too far away from the Commission.

(c) Arrangements for housing the office and the Library of the Commission in one building are already in hand and efforts are continuing.

गृह-कार्य मंत्रालय में संसदीय सहायकों के पद

4585. श्री राम चरण : क्या गृह-कार्य मन्त्री 5 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न सख्या 569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मन्त्रालय में संसदीय सहायकों के कितने पद हैं;

(ख) इन पदों पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और कब से;

(ग) क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इस पर तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों का तबादला करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दो ।

(ख) दो– एक 24 दिसम्बर 1966 से और दूसरा 16-3-67 से ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के पोलिटेक्निकों मे प्रवेश के लिये आरक्षित स्थान

4586. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पोलिटेक्निकों और दिल्ली इंजीनियरी कालेज में प्रवेश के लिये अनसूचित जातियों, अनसूचित आदिम जातियों के छात्रों की पृथक अर्हता सूचियां नहीं बनाई जाती और उन के लिए इंजीनियरी की ऐसी शाखाएं निर्धारित कर दी जाती हैं जिनकी मांग उन की वरीयता को छोड़ कर सामान्य अर्हता सूची के आधार पर कम होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रवेश के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक प्रतिशतता में इन जातियों के छात्रों के पांच प्रतिशत अंक कम होने के उपबंध के बावजूद भी, 1966-67 में डिप्टी पोलिटेक्निकों में इस उपबंध की अवहेलना की गई थी और दिल्ली प्रशासन के रोजगार, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किये गये प्रोसपैक्टस में यह लिखा गया था कि 45 प्रतिशत अंकों से कम अंकों वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा चाहे वे आरक्षित या अनारक्षित किसी भी श्रेणी के हों; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि आरक्षित स्थान पूर्णतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को ही दिये जायें ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) दिल्ली के इंजिनियरिंग कालेज तथा दिल्ली के पोलिटेक्निकों के लिये आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के लिये पृथक पृथक सूचियां बनाई जाती हैं और इन्ही सूचियों के आधार पर उन्हें मेक्निकल, इलेक्ट्रीकल तथा सिविल इंजिनियरिंग के पाठ्यक्रमों में दाखला दिया जाता है ।

(ख) यद्यपि दिल्ली की पोलिटेक्निकों के वर्ष 1966-67 के प्रोस्पैक्टस में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों के लिये न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दे दी जायेगी, परन्तु व्यवहार में जिन उम्मीदवारों ने 39 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे उन्हें भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी ।

(ग) वर्ष 1967-68 के प्रोस्पैक्टस में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिये परीक्षा में पास होने के लिये 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था जबकि अन्य उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे ।

दिल्ली के पोलिटेक्निकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

4587. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पोलिटेक्निकों तथा दिल्ली इंजिनियरिंग कालेज में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को वृत्तियां देने तथा उनकी फीस माफ करने के लिये आमदनी की क्या सीमा रखी गई है और आमदनी की ये सीमायें कब निर्धारित की गई थीं; और

(ख) क्या निर्वाह व्यय बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आमदनी की इन सीमाओं में अब कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) छात्रवृत्तियों के लिये आय-सीमा अनुसूचित आदिम जाति.....कोई सीमा नहीं अनुसूचित जाति... ....500 रुपये प्रति माह। ये सीमाएं 1961–62 में निश्चित की गई थी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों के लिये पूरी फीस माफी के लिये आय-सीमा

इंजिनियरिंग कालेज.....कोई सीमा नहीं। पोलिटेक्निक.....300 रुपये प्रति माह। यह सीमा जून 1963 में निर्धारित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

डाक और तार विभाग के शिकायत अनुभाग

4588. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये दिल्ली में डाक और तार विभाग के शिकायत अनुभाग स्थापित करने का है;

(ख) क्या ऐसे अनुभाग अन्य राज्यों में भी स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) दिल्ली सहित सभी डाक–तार सर्कलों में शिकायत अनुभाग पहले से ही मौजूद हैं। फिर भी इन अनुभागों का पुनर्गठन करने और उन्हें मजबूत बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) जनता की शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए समय की कुछ सीमाएं निर्दिष्ट की जा रही है।

दिल्ली में "पड़ोस के स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था"

4589. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में "पड़ोस के स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था" के बारे में, जिस के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि किसी विशेष इलाके के छात्रों को केवल उसी इलाके के स्कूलों में प्रवेश दिया जायेगा अन्य स्कूलों में नहीं, कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) जानकारी दिल्ली प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हरियाना के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

4590. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाना के चकबन्दी विभाग के उन कर्मचारियों से, जो पंजाब के रहने वाले हैं, परन्तु जिनकी सेवायें हरियाना को सौंपी गई हैं, सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उन्होंने मांग की है कि उन की सेवायें पुन: पंजाब को सौंप दी जायें; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस प्रकार के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिये गठित की गई मुख्य सचिवों की समिति द्वारा सिफारिश दिये जाने के बाद उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी।

बम्बई के एक स्कूल में धार्मिक असहिष्णुता

4591. श्री मधु लिमये : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री अब्दुल गनी डार :**
श्री रवि राय :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एक्सप्रेस (14 जून, 1967) के बम्बई संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि सेंट एन्थनी स्कूल (वकोला, बम्बई) के प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के विरोध में चूड़ियां पहनने और कुमकुम लगाने के कारण बम्बई में 25 हिन्दू लड़कियों को दण्ड दिया गया है;

(ख) क्या इसका विरोध करने पर किसी शिक्षक को मुअत्तिल कर दिया गया था;

(ग) क्या ऐसी कोई टिकटे बेची गई थीं जिनमें (मूर्ति पूजकों) के धर्म परिवर्तन का सुझाव था;

(घ) यदि हां, तो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धान्त की मर्यादा बनाए रखने के लिये केन्द्र ने क्या सलाह दी; और

(ङ) उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं।

(ग) मामले की राज्य सरकार जांच कर रही है ।

(घ) और (ङ) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

Teachers in Delhi Education Directorate

4592. Shri Ramji Ram :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of teachers recruited in the Directorate of Education, Delhi during the last five years;

(b) the number belonging to schedule castes and scheduled tribes teachers among them; and

(c) the number of applications received from the candidates belonging to aforesaid categories and the number of candidates out of them called for interview and the number of those finally selected ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Compulsory Education Schemes

4593. Shri Ramji Ram : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the total number of teachers appointed in U. P. under the Compulsory Education Scheme at present; and

(b) the number out of them belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) information is being collected from thet Sate Government and will be laid on the Table of the House in due course.

नादिया में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

4594. श्री कामेश्वर सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जून, 1967 को पाकिस्तानियों का एक गिरोह, जो बन्दूकों से लैस था, नादिया जिले में छपरा पुलिस थाने के अन्तर्गत भारतीय राज्यक्षेत्र फूलबाड़ी में अवैध रूप से घुस आया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस गिरोह ने बहुत से लोगों को जान से मार डाला और उनकी सम्पत्ति लूट ली;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार को इस बारे में विरोध पत्र भेजा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ङ) ऐसी सूचना दी गई है कि बन्दूकों और अन्य घातक शस्त्रों से लैस कुछ पाकिस्तानी डाकू भारतीय राज्य-क्षेत्र में घुस आये और उन्होंने नादिया जिले के छपरा थाने के क्षेत्र में फूलबाड़ी के एक निवासी के यहां 11 जून 1967 को एक बजकर 15 मिनट पर डाका डाला। उन डाकुओं में से छपरा थाने के एक निवासी को पहचान लिया गया था। वे 3000 रुपये के मूल्य के आभूषण और नकदी लूट कर ले गये। वापिस जाते हुए उन्होंने तीन गोलियां चलाई और जिसके परिणामस्वरूप कुछ घरवालों को मामूली सी चोट लगी। कोई भी जान से नहीं मरा। नादिया के जिला न्यायाधीश ने पूर्वी पाकिस्तान के जिला न्यायाधीश को विरोध पत्र भेजा था। राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस मामले को ले रही हैं। सीमा पर गश्त तेज कर दी गई है और सीमा पर स्थित थानों और चौकियों को सावधान कर दिया गया है।

राष्ट्रीय अभिलेखागारों के निदेशक

4595. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागारों के निदेशकों के नाम क्या हैं और उनकी शिक्षा सम्बन्धी तथा अभिलेखागार सम्बन्धी योग्यतायें क्या हैं;

(ख) वर्तमान पदाधिकारी की सम्बद्ध शिक्षा सम्बन्धी तथा अभिलेखागार सम्बन्धी योग्यतायें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि बुद्धिजीवी लोगों का यह मत है कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यता का स्तर बहुत गिर गया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 918/67]**

(ख) उपरोक्त विवरण के क्रमांक 9 और 11 के अधीन अपेक्षित जानकारी दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक

4596. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के 7000 प्रशिक्षकों को केन्द्र से राज्य सरकारों के अधीन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गत वर्ष सभा में दिये गये आश्वासनों के विपरीत नहीं होगा; और

(ग) क्या उक्त प्रशिक्षकों की सेवा और वेतन की सुरक्षा तथा भविष्य के बारे में उनकी शंकाओं को दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) विषय विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है।

वीर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट

4597. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज की कथित कमी को दृष्टि में रखते हुए वीर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट जारी करना स्थगित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कथित कमी के बावजूद जनवरी से मई, 1967 के बीच की अवधि में लगभग 14 डाक टिकट जारी किये गये हैं; और

(ग) वीर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के वायदे को कब पूरा किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ऐसे विशेष डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किये जाते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान नये डाक-टिकटों के निकालने के प्रस्तावों पर सिफारिश करते समय यह समिति अन्य बातों के साथ सिक्यूरिटी प्रेस की सीमित क्षमता और बाहर से मंगाये जाने वाले कागज को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई पर भी विचार करती है। 1967 के लिए प्रस्तावों पर विचार करते समय समिति ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सिफारिश नहीं की थी।

(ख) जनवरी से मई, 1967 की अवधि के दौरान पुरानी व्याख्यात्मक शृंखला के स्थान पर नई व्याख्यात्मक शृंखला में जारी किये गए 6 सार्वजनिक डाक-टिकटों के अतिरिक्त 8 विशेष/स्मारक डाक-टिकट जारी किये गए हैं।

(ग) यह प्रस्ताव 1968 के कार्यक्रम में शामिल किये जाने के लिए डाक-टिकट संकलन समिति के विचारार्थ फिर से उसके सामने रखा जाएगा।

गोदी श्रमिक बोर्ड, कलकत्ता

4598. श्री उमानाथ : श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री अब्राहम :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी में नोमरकों, ठेकेदारों तथा एजेन्टों के अधीन लिपिक तथा पर्यवेक्षी कर्मचारी गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत पंजीबद्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन्हीं श्रेणियों के कर्मचारी कोचीन पतन में पंजीबद्ध हैं;

(घ) क्या सरकार इन कर्मचारियों को गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत पंजीबद्ध करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड इन कर्मचारियों को गोदी श्रमिक बोर्ड के अन्तर्गत पंजीबद्ध करना संभव नहीं समझता, क्योंकि उनके काम का बोर्ड के काम से बहुत कम सम्बन्ध है।

(ग) टेली/सार्टिंग क्लर्कों के वर्ग 15 फरवरी, 1966 से कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीबद्ध किए गए थे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Telephone Advisory Committes

4599. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there are Telephone Advisory Committees at the Headquarters of East Nimar and Hoshangabad Districts of Madhya Pradesh;

(b) if so, the names and addresses of those members and the principles on the basis of which the members have been nominated; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, when these Advisory Committees are likely to be set up ?

The Minister of State in the Department Parliamentary Affairs & Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A Telephone Advisory Committee is not considered justified at these places at present as the stations are quite Small.

Cold Storages in Delhi

4600. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Kameshwar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation have decided to close cold storages for vegetables;

(b) whether this action would not cause inconvenience to people in getting green vegetables all along the year; and

(c) if so, whether the Central Government propose to advise the Delhi Municipal Corporation to change their decision ?

The Minister of State in the Ministery of Home Affair (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : The Delhi Municipal Corporation have not decided to close cold storages for vegetables. In order to check increases in the price of green vegetables, the Delhi Administration has issued an order under section (3) of the Essential Commodities Act to provide that no cold storage shall accept any vegetables for storage except in accordance with a permit issued by the Administrator or by an officer authorised by him.

Employment of Technical Persons

4602. Shri Ram Chandra Veerappa : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of technical persons registered in the Employment Exchanges up to December, 1966 in Mysore State; and

(b) the number of technical persons provided with employment during the period between January to December, 1966 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) 13,096 technical persons were on the Live Register of Employment Exchanges as on 31, 12. 1966.

(b) 1,603.

Unemployment of Educated Persons

4603. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of educated unemployed persons in the country, State-wise, upto the 31st December, 1966; and

(b) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them ?

The Minister of Labour and Rehabiliation (Shri Hathi) : (a) & (b) : Data regarding educated unemployed in the country are not available. The number of educated job seekers on the Live Register of Employment Exchanges in each State is given in the Statement. Placed on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. L.T. 919/67.]**

Chinese in India

4604. Shri Ramachandra Veerapa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of the Chinese national in India;

(b) the names of places in India where they are residing;

(c) where Government have given them permission to reside here; and

(d) the number of Chinese whose term for stay in India has expired ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : A staetment containing the information is placed on the Table of the House [Placed in Library See No. LT/920/67]

(c) Yes, Sir.

(d) Foreigners have to obtain extensions of stay before the expiry of their authorised period of residence in India. Any Chinese national who is not granted an extension, has therefore, to leave India, failing which he is prosecuted for unauthorised stay and then compelled to leave the country.

संसद सदस्यों के भत्ते

4605 (श्री ग० च० दीक्षित) : क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 में संसद सदस्यों को दैनिक भत्ते के रूप में कितनी राशि दी जाती थी;

(ख) उस समय निर्वाह-व्यय सूचकांक क्या था और अब क्या है;

(ग) क्या सरकार निर्वाह-व्यय सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुपात में दैनिक भत्ते की राशि को बढ़ाना वांछनीय समझती; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रु0 21।00

(ख) **अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोगता मूल्य सूचकांक :**

(1949–100)

1963	1967	
	जनवरी	197
134	फरवरी	198
	मार्च	200
	अप्रैल	202

(ग) नहीं, महोदय

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय का पुस्तकालय

4606. श्री मेघचन्द्र :

श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अमरीकी संस्थाएं दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिये बहुत अधिक धन दे रही हैं और इस प्रकार वे इस पुस्तकालय को डालर राजनीति का अड्डा बना रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि धन देने के साथ शर्तें जुड़ी होती हैं और दबाव भी होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं। हां, सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कार्यक्रमों, जिसमें विश्वविद्यालय का पुस्तकालय का विकास भी शामिल है, के लिये फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी डिप्लोमाओं को मान्यता देना

4607. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966–67 में सरकार ने कुछ विदेशी डिप्लोमाओं को मान्यता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन उपयुक्त क्षेत्रों में पदों और सेवाओं में भरती के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा 1966–67 में नीचे लिखी विदेशी डिग्रीयों। डिप्लोमाओं को मान्यता दी गई है :

(एक) हंगरी के विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं द्वारा इंजीनियरी और तकनीकी के विषयों में दी जाने वाली 'कैंडीडेट आफ साइन्स' उपाधियां।

(दो) जर्मन संघीय गणराज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली 'डा० इंग०'

(तीन) टोक्यो (जापान) विश्वविद्यालय की नागाकूशुशि (मास्टर आफ साइन्स इन एग्रीकल्चर)

(चार) हैरियट वाट कालेज, एडिनबरा द्वारा दी जाने वाली रसायन इंजीनियरी में एसोसिएटशिप।

(पांच) पूर्वी पाकिस्तान इंजीनियरी और टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय ढाका द्वारा रसायन, सिविल, बिजली और यांत्रिक इंजीनियरी में दी जाने वाली बी० एस०-सी०।

(छः) रोयल मेलबोर्न इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी, मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया द्वारा उत्पादन इंजीनियरी में दिया जाने वाला एसोसिएटशिप डिप्लोमा ।

(सात) एडवांसड् स्कूल आफ हाइड्रोकारबन स्टडीज़, मिलन इटली, द्वारा पेट्रोल भू-विज्ञान में दिये जाने वाला स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इस बारे में रखी गई कुछ शर्तों के अधीन ।

(आठ) इंस्टीट्यूट आफ केमीकल इंजीनियर्स, लंदन की एसोसिएटशिप परीक्षा में उत्तीर्णता ।

(नौ) इंस्टीट्यूट आफ वेल्डिंग, लंदन की एसोसिएट मैम्बरशिप, जो इंस्टीट्यूट की एसोसिएट सदस्यता परीक्षा पास करके ली गई हो और इस बारे में रखी गई कुछ शर्तों के अनुसार हो ।

(दस) ढाका विश्वविद्यालय (पूर्वी पाकिस्तान) द्वारा सिविल, यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी में दिये जाने वाले लाइसेंसिएट, डिप्लोमे ।

(ग्यारह) इंस्टीट्यूट आफ वुड साइंसेज,लंदन की एसोसिएटशिप परीक्षा ।

नेहरू स्मारक नई दिल्ली में प्रवेश

4608. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में नेहरू के स्मारक के दर्शकों के लिये टिकिट लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह टिकट कितने मूल्य का होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : नेहरू स्मारक संग्राहलय में प्रवेश के लिए टिकट लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Participation in International Sports

4609. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All-India Council of Sports has demanded that foreign exchange be made available to them for participating in all international competitions;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) The amount of foreign exchange being provided for 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) Yes, Sir.

(b) Allocations are normally not made for such "invisible" items of foreign exchange expenditure. Each individual case is examined on merits and suitable amount of foreign exchange is released.

(c) Does not arise.

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाना को सम्पत्ति का आवंटन

4610. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अविभाजित पंजाब के क्षेत्र से बाहर स्थित कौन-कौन सी सम्पत्ति का नवनिर्मित पंजाब और हरियाना राज्यों तथा हिमाचल और चन्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्रों को आवंटन किया गया है;

(ख) क्या पंजाब के पक्ष में भेदभाव किये जाने के बारे में हरियाना और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से कोई विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) पंजाब पुर्नगठन अधिनियम की धारा 48 (1) (ख) के अधीन अविभाजित पंजाब राज्य की 1 नवम्बर 1966 से पूर्व राज्य क्षेत्र से बाहर स्थित सारी सम्पत्ति, उस सम्पत्ति को देख कर जो अधिनियम की धारा 78 के अधीन भाखड़ा नंगल परियोजना की सम्पत्ति घोषित कर दी गई है, पंजाब राज्य को दे दी गई थी । तथापि हरियाना राज्य सरकार से उक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर निम्नलिखित भवन और सम्पत्तियां हरियाना राज्य को दे दी गई हैं ।

1. नाभा भवन वृन्दावन ।
2. कलसिया भवन, कंथल ।
3. पटियाला भवन, हरद्वार ।
4. जींद भवन. बनारस ।
5. ग्लेनलैंग, वुड विला, मसूरी ।
6. नहर विश्राम भवन, अलिपुर रोड और दिल्ली राज्य क्षेत्र में नहर और नालियों के प्रशासन के लिये निर्मित अन्य सम्पत्तियों समेत सिंचाई विभाग की सभी इमारतें ।
7. नाभा प्लोर, नई दिल्ली (लगभग 3 एकड़ का क्षेत्र) ।
8. जींद भवन, नई दिल्ली (3.2 करोड़ का क्षेत्र)

नई दिल्ली स्थित नाभा प्लोट में से एक एकड़ केन्द्रीय सरकार को दिया गया है, वह हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के सुपुर्द कर दिया गया है । अविभाजित पंजाब राज्य के बाहर स्थित भवन और सम्पत्ति में से कोई भी चन्डीगढ़ के राज्य-क्षेत्र को नहीं दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के क्षतिपूर्ति के दावे

4611. **श्री बृज भूषण लाल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत बीस वर्ष से निरन्तर प्रयत्न के बाद भी पश्चिम पाकिस्तान से आये चार शरणार्थियों के, जो आजकल उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में रह रहे हैं, क्षतिपूर्ति के दावों का अभी तक अन्तिम रूप से भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र : (क) से (ख) मामलों के पूर्ण ब्यौरे के अभाव में अपेक्षित जानकारी का दिया जाना सम्भव नहीं है ?

हथकरघा बुनकरों पर बोनस अधिनियम लागू किया जाना

4612. **श्री नि० सू० मूर्ति :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्ताद बुनकरों के अधीन काम करने वाले हथकरघा बुनकरों पर बोनस अधिनियम, 1965 लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) (क) और (ख) : यह अधिनियम ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर वर्ष 1965 से किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से पहले से ही लागू है जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इन प्रतिष्ठानों में हथकरघा प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

सिरमूर के स्वर्गीय महाराजा के कर्मचारी

4613. **श्री प्रतापसिंह :**
श्री वीरभद्रसिंह :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के सिरमूर के स्वर्गीय महाराजा के घरेलू कर्मचारियों की ओर से महाराजा के निधन के पश्चात उनके वेतन न दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि सिरमूर की गद्दी सरकार ने छीन ली है; और

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन की बकाया राशि का यदि ऐसी कोई राशि बकाया हो, भुगतान करने तथा स्वर्गीय महाराजा के अन्य घरेलू दायित्वों को पूरा करने का दायित्व किस पर है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रपति ने यह निश्चय कर लिया है कि सिरमूर के स्वर्गीय महाराजा के उत्तराधिकारी के रूप में किसी को मान्यता न दी जाये।

(ग) स्वर्गीय महाराजा के घरेलू कर्मचारियों के दावों तथा अन्य दायित्वों का निपटारा सामान्य विधि के अनुसार किया जायेगा।

Inspector/Sub-Inspectors in Delhi

4614. Shri Ram Charan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Inspectors/Sub- Inspectors in Delhi Police;

(b) the number amongst them belonging to Scheduled Castes;

(c) whether all the vacancies reserved for Scheduled Caste candidates have been filled in; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) :

Inspectors	122
Sub-Inspectors	732
(b) Inspectors	Nil
Sub-Inspectors	47

(c) and (d) : The orders for reservation of vacancies for Scheduled Castes in the case of direct recruitment are strictly being complied with. The question of reservation of vacancies in the posts filled in by promotion is under considered.

हिन्दी प्रशिक्षण

4615. श्री राम चरण : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों ने हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा पास की है।

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों से हिन्दी आशुलिपि का काम लिया जाता है; और

(ग) यदि उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 48

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की योजना प्रमुख रूप से केन्द्र के सरकारी कामकाज में हिन्दी को लागू करने के लिये एक प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में है। हिन्दी में किये जाने वाले काम का परिमाण बढ़ने पर इन प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का और अधिक लाभ उठाया जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षित स्थान

4616. श्री शम्भूनाथ :
श्री राजदेव सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित स्थानों के कोटे में जो स्थान अभी रिक्त हैं उनमें विशेषतया तकनीकी श्रेणी के स्थानों में, इनको नियुक्त करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से परामर्श किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह-कार्य मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपाय खोजने के लिये नियुक्त किया गया था। जैसे ही दल की सिफारिशें प्राप्त होगी तैसे ही सरकार उन पर विचार करेगी।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सरकारी-सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये उपायों का सुझाव देता है। इन सिफारिशों का भली भांति अध्ययन किया जाता है और जो सिफारिश स्वीकार की जाती है उन्हें लागू कर दिया जाता है।

बिहार में टेलीफोन

4617. श्री शिवचंडिका प्रसाद : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1967 को बिहार राज्य के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) शीघ्र टेलीफोन लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बिहार राज्य में टेलीफोन सलाहकार बोर्ड की अन्तिम बैठक कब हुई थी ?

संसद-कार्य तथ संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) 11,381

(ख) साधन उपलब्ध होने पर ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने के लिये नये एक्सचेंज खोलने, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने और जमीन के नीचे केबिल बिछाने के प्रयत्न लगातार किये जा रहे हैं।

(ग) बिहार में टेलीफोन सलाहकार समितियां पटना, झरिया तथा रांची जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्य कर रही हैं। टेलीफोन सलाहकार समिति की पिछली बैठक पटना में 3 अप्रैल, 1967 को, झरिया में 22 अप्रैल, 1966 को, तथा रांची में 12 मई, 1966 को हुई थी।

Viswayatan Yogashram

4618. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghubir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri RamGopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2467 on the 14th June, 1967 and state :

(a) The names of persons who have been placed in the reconstituted Board of Trustees of Viswayatan Yogasharam and the pre-conditions laid down by Government before them, after acceptance of which the payment of grants to the said Yogashram was resumed;

(b) The name of places where the Branches of the Ashram are situated; and

(c) The total amount of grants given to the Ashram after stopping it for some years and the circumstances in which the payment of grants was resumed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The members on the reconstituted Board of, Trustees at present are:-

(1) Dr. L. M. Singhvi — President
(2) Dr. Anup Singh, M. P.
(3) A representative of the Ministry of Health.
(4) A representative of the Ministry of Education.
(5) Shri Sushil Kumar, A-1/68 Safdarjung Residential Area, New Delhi.
(6) Shri Jiteendra Mahajan, Advocate, Supreme Court.
(7) Swami Dhirendra Brahmachari, Managing Trustee.

The following conditions were laid down by Government for acceptance by the Ashram before grants were revivd:-

(1) The Board of Trustess of the Ashram should be reconstituted to provide for close association of the Ministry with it;

(2) The accounts of the Ashram should be maintained properly by a qualified Accountant approved by the Ministry;

(3) The bildings constructed by the Ashram at Katra Vaishnav Devi should de used for the purpose of training teachers in Yoga.

According to the information supplied by the Yoga Ashram, it has its branches, a part from Katra Vaishnav Devi, at Bombay, Calcutta, Lucknow, Faizabad, Akola and Jaipur.

(c) 1963-64	.....	Rs. 32,127.91
1964-65	.....	Rs. 20,741.52
1965-66	.....	Rs. Nill
1966-67	.....	Rs. 31,000.00
	Total :	Rs. 83,869.43

The grants for 1963-64 and 1964-65 were paid to fulfil old commitments and grant for the year 1966-67 was paid after acceptance by the Yoga Ashram of conditions mentioned under (a) above.

टेलीफोन सेवा

4619. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना की अवधि में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में टेलीफोन सेवाओं की अनियमितता के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि चौथी योजना में देश के इन बड़े नगरों में तथा राज्यों के नगरों में टेलीफोन सेवा में विलम्ब न हो तथा यह सेवा अच्छे ढंग पर चले, क्या कार्यवाही की गई है ।

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां ।

(ख) औसतन प्रति टेलीफोन प्रति वर्ष छः शिकायतें ।

(ग) द्रुत और कुशल टेलीफोन सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न कदम उठाये जा रहे हैं—

(i) शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है :

(ii) थोड़े थोड़े समय के बाद टेलीफोनों और डायलों की नेमी जांच की जाती है ।

(iii) केन्द्रीकृत सेवा-स्तर नियन्त्रण द्वारा संयंत्र के अनुरक्षण में अधिक कुशलता बरतने का अभियान चालू किया गया है ।

(iv) स्थानीय तथा ट्रंक सेवा में विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग ।

(v) प्रौद्योगिकी में हुए आधुनिकतम सुधारों में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि चलाये जा रहे हैं ।

(vi) उपलब्ध सीमित साधनों के अनुसार उपस्कर तथा संयंत्र में वृद्धि की जा रही है ताकि

(क) भारी परियात का निपटान किया जा सके ।

(ख) हरेक टेलीफोन पर भार कम करने के लिए अधिक टेलीफोन दिये जा सकें जिससे उपस्कर में होने वाली भारी टूट फूट को कम किया जा सके ।

अहमद नगर के निकट पाये गये पुरातत्वीय अवशेष

4620. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या पुरातत्व शास्त्रियों ने महाराष्ट्र में अहमद नगर के निकट चिरकिआन नेवासा में पाये गये पुरातत्वीय अवशेष की परीक्षा की है और यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूना स्थित डेक्कन कालेज के पुरातत्वीय विभाग से सम्बद्ध जर्मनी के एक विद्वान, डा० श्रीमती कोरविनस कारवे के अनुसार चिरकिआन नेवासा के पुरातत्वीय अवशेषों से पता चलता है कि यह स्थान भारत में प्रागेइतिहासिक में मनुष्य का घर रहा होगा; और

(ग) क्या डा० श्रीमती कारवे द्वारा सुझाई गई दिशा में आगे कार्य करने तथा इस क्षेत्र में और अधिक अनुसन्धान करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रागितिहास शाखा के अधीक्षिक पुरातत्व विद उस स्थल पर जा चुके हैं। खुदाई से प्रकट हुआ है कि यह स्थल पूर्ववर्त्त प्रस्तर युग का है।

(ख) जी हां, तैयार और गैर तैयार दोनों ही रूपों में पूर्ववर्त्त प्रस्तर युग के औजार मिलने से निःसन्देह पता चलता है कि यह प्रदेश भारत के पूर्व प्रस्तर युग के मनुष्यों का निवास स्थान रहा होगा।

(ग) प्रस्ताव सर्वेक्षण के विचाराधीन है। तथापि इस प्रदेश में दकन कालेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पूना द्वारा सघन रूप से खोज की गई है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के पास धन की कमी

4621. **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के पास धन की कमी को देखते हुए सरकार का विचार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के विभिन्न एककों का पुनर्गठन करने का है।

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा आरम्भ की जाने वाली प्राथमिकता प्राप्त परियोनाओं के बारे में कोई निर्णय किया गया है?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान के लिए आयोजित आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश की गई 153 करोड़ रुपये की रकम के आगे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की आयोजना व्यवस्था के लिए 46 करोड़ रुपये की रकम के विविधान को ध्यान में रखते हुए, परिषद के शासी निकाय ने अपनी 19-11-1966 को हुई बैठक में यह निर्णय किया था कि परिषद के चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रस्तावों को नये सिरे से ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए और उन मदों को जिनका देश की आवश्यकताओं से तत्कालिक सम्बन्ध न हो, छोड़ देना चाहिए और यदि कोई प्रत्याशित अथवा अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई हो, तो उसका भी पुनरीक्षण, इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

शासी निकाय के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के चौथे पंचवर्षीय आयोजना के प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के लिए, एक समिति नियुक्त की गई है। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

देश के कुछ भागों में अराजकता

4622. श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में जहां राष्ट्रजनों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, अराजकता की स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में सम्बन्धित राज्य सरकार, लोगों को संरक्षण प्रदान करने में या तो असफल रही है या उसने संरक्षण देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सरकार देश की विधि तथा व्यवस्था की सामान्य स्थिति के प्रति निरन्तर जागरूक रहती है। सम्बन्धित राज्य सरकार को स्थिति विशेष से निपटने के लिये उचित सहायता दे दी जाती है।

Repatriates from Ceylon

4623. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of Indian Nationals who have arrived in India under the 1964 Indo-Ceylon Agreement ; and

(b) the decision taken for providing these persons the Indian citizenship, livelihood and for rehabilitating them ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L.N. Mishra): (a) The repatriation of Indian nationals from Ceylon under the Indo-Ceylon

Agreement 9964 has not yet commenced. Some Indians are, however, reported to have made their own arrangements for return to India.

(b) These persons have been registered as Indian citizens by the High Commission of India in Ceylon. They are presumed to be capable of resettling themselves. A statement showing the decisions taken for the rehabilitation of repatriates from Ceylon is placed on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. LT-921/67.]**

Physical Training Programme

4624. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any Physical Training Programme has been embarked upon throughout the country ;

(b) if so, a brief account thereof ; and

(c) whether Government have chalked out any programme to make military training compulsory in all the higher secondary schools and colleges in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) Yes, Sir. Consequent upon acceptance of the Kunzru Committee's recommendation that there should be one integrated programme of Physical Education at the school stage replacing the existing programmes, an integrated and multipurpose programme of Physical Education viz., "National Fitness Corps" had been recommended to all the States for its introduction in all Middle, High and Higher Secondary Schools from 1965-66, in a phased programme, as one of the compulsory curricular activities. The new programme which is woven into the fabric of the educational system, is a synthesis of all that was good in the programmes replaced by it i. e., Physical Education, National Discipline Scheme and Auxiliary Cadet Corps.

(c) No, Sir.

Tapping of Telephones of Members of Parliament

4625. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that attempts are made on the part of Government to tap the telephonic conversation of Members of Parliament ;

(b) whether such an attempt is made by Government in respect of Opposition Members only or in respect of all the Members ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in order to stop it immediately and the time by which this would be done ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Grievances Commissioner

4626. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of representations so far received by the Grievances Commissioner appointed by the Central Government ;

(b) the number out of them which have been disposed of finally and the number still under consideration ;

(c) whether it is a fact that the Commissioner is finding it difficult to work as the Officers of the Ministries are not supplying necessary information, documents and files relating to the complaints ; and

(d) if so, the steps being taken to remove the said bottleneck ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 1680 (till May 31, 1967).

(b) 1299. The rest are at various stages of correspondence/discussion with Ministries/Departments concerned.

(c) As Ministries/Departments concerned often have to obtain the necessary information etc. from their attached and subordinate offices sometimes located outside Delhi there have been instances of delay in getting comments on or papers relating to complaints.

(d) (i) At a meeting of Complaints Officers held on September 16, 1966, the need to deal with complaints expeditiously was specially stressed.

(ii) When reminders to the Complaint Officers fail to produce results all cases of delay in a particular Ministry/Department are reported to its Secretary.

(iii) From time to time meetings are held with the Secretary and his staff dealing with complaints.

कोलार स्वर्ण खानों में बोनस का भुगतान

4627. श्री कृष्णन :
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार स्वर्ण खानों के कर्मचारियों को पिछले 4 वर्षों से बोनस नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या इसके बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या मजदूरों के हित में इन दावों का निपटारा जल्दी किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह विवाद 16-1-1965 को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास न्याय निर्णय के लिये भेजा गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) इस मामले की सुनाई इस न्यायाधिकरण के सामने 26 जुलाई 1967 को होनी निश्चित हुई है । यह सूचना प्राप्त हुई है कि पंचाट जल्दी दिलाने के लिये हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

Payment of Scholarships in Polytechnics

4628. **Shri J. H. Patel :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be plea ed to state :

(a) whether payments of scholarships awarded to the students of Polytechnics by Government are not made regularly every month ;

(b) if so, the reasons therefore ;

(c) whether arrangements would be made to make payments of these scholarships every month in future ; and

(d) if not, the difficulties in making such an arrangement ?

The Minister of Education (Shri Triguna Sen) : (a) to (d) After the candidates for award of Merit-cum-Means scholarship have supplied the Income certificate and the Bond duly completed, the regional Offices of the Ministry place the necessary funds at the disposal of the institutions in their respective regions and the institutions are required to pay the awardees the scholarship allowance every month. There is generally a little delay in the payment of the first scholarship amount as there is some delay in the transmission of papers from the institutions, preparation of statement of names of the awardees for the Accountant General, and then receipt of the sums from the Treasury or the Reserve Bank. Also the payment is conditional upon satisfactory performance of the awardee in the institution.

Foreign Missionaries Prosecuted Under Sections 314 and 302

4629. **Shri J. H Patel :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries who were prosecuted under sections 314 and 302 of Indian Penal Code during the years 1965–66 and 1966–67 ; and

(b) the number of missionaries amongst them who were acquitted and of those who were awarded punishment ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) According to the information available, there has been no such case.

(b) Does not arise.

Police Personnel Travelling in the Buses

4630. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Molahu Prasad :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police personnel of the Delhi Police Force travel in D. T. U. buses without tickets and they board these buses by stopping them wherever they like ;

(b) if so, whether any understanding exists between the Delhi Police Authorities and the Delhi Transport Authorities in regard thereto ;

(c) if not, whether Government intend to prevent this irregularity ; and

(d) if so, the manner in which it is to be checked ?

The Minister of State in the Ministary of Home Affairs(Shri Vidya Charan Shukla); (a) and (b) With a view to avoiding the incidence of pick-pocketing, mis-behaviour on the part of the rowdy elements assault on the operational staff, the Delhi Transport Undertaking has permitted two lower subordinates (Constables and Head Constables) in uniform to travel in a D. T. U. bus free of charge. No incidence of any policeman travelling without ticket or boarding the bus by stopping them wherever he liked has come to the notice of the Government.

(c) and (d) Do not arise.

Letters in Hindi

4631. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of letters etc. which were received in Hindi in his Ministry and its attached and subordinate offices during the later half of the year 1966 ;

(b) the number of letters which were replied to in Hindi and English respectively ;

(c) the reasons why the letters received in Hindi were replied to in English ;

(d) whether Government propose to reply in Hindi to all the letters originally received in Hindi in future ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Foreign Wives of Government Officers

4632. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Molahu Prasad :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Ministers, Ministers of State, Gazetted Officers under the Central Government and Indian Ambassadors who have wives of foreign origin ;

(b) whether Government have made any arrangement to keep a watch on these foreign ladies in the interests of national security ; and

(c) if not, the measures taken by Government with a view to ensure that the secrets of the Government of India do not leak out to foreign countries through these foreign ladies ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) There are arrangements for safeguarding official secrets. They are applicable to Indian nationals as well as foreigners.

Goondaism in Delhi

4633. **Shri Maharaj Singh Bharti :**
Shri Molahu Prasad :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state -

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report appearing in the 'Nav Bharat Times' of the 29th April, 1967 that goondaism n Delhi has the backing of Police authorities ;

(b) if so, whether Government propose to conduct an euquiry into the matter ; and

(c) the punishment proposed to be awarded to the Officers found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The attention of Government has been drawn to the letters from readers which appeared in the 'Nev Bharat Times' of 29th April, 1967, under the heading 'Police and Crime'.

(b) and (c) No material has been brought out in the letters referred to, to warrant causing any inquiry to be made.

विद्रोही मिजो लोगों द्वारा धावा

4634. **श्री रवि राय :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही मिजो लोगों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल ढिल्लों तथा उनके दल के अन्य सैनिकों पर थिंगसूल थिलिहा क्षेत्र में किये गये धावे से सम्बन्धित सूचना उनके द्वारा देश को समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई थी;

(ख) यदि हां (जैसा कि उन्होंने 26 मई, 1967 को सभा में बताया था), तो यह समाचार किन-किन समाचारपत्रों को दिया गया था और किस-किस समाचारपत्र ने इसे प्रकाशित किया था; और

(ग) क्या समाचार पत्रों को दिये गये प्रेस नोट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 10 जनवरी, 1967 को जब मिजो विद्रोहियों ने (एजल से 25 मील पूर्व और थिंगसुल-थिलिहा से 12 मील उत्तर में) त्वालबंग में गोलियां चलाई तो हमारे सुरक्षा दल के कर्मचारियों में 20 हताहत हुए । इस दुर्घटना में श्री डी० एस० ढिल्लों नामक सैकिंड लेपिटनेंट मारा गया था । यह समाचार 12 जनवरी को इण्डियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और अमृत बाजार पत्रिका समेत कई समाचारपत्रों में छपा था । समाचार पत्र-प्रतिनिधियों के साथ

हुई अनौपचारिक वार्ता के आधार पर इस समाचार को अधिकृत सूत्र से प्राप्त हुआ बता दिया गया था। औपचारिक रूप से कोई भी सूचना प्रेस को नहीं भेजी गई थी।

राष्ट्रीय अभीलेखागार को प्रस्तुत किये गये दस्तावेज

4635. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ब्रिटिश काउन्सिल ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को गोआ में कारखाने के भूतपूर्व प्रमुख अधिकारी, सर राबर्ट कौवान बम्बई के राज्यपाल तथा भारत सम्बन्धी मामलों के लिए परिषद् के बोर्ड के भूतपूर्व प्रधान आनरेबल फ्रेड्रिक जान राबिंसटन के दस्तावेजों का संग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे दस्तावेजें कैसी हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) कोवान दस्तावेजों में गोआ स्थित फैक्टरी के मुख्य और तत्पश्चात बम्बई के राज्यपाल (1729-34) द्वारा किया गया पत्र व्यवहार अनेक डायरियां, पत्रिकाएं तथा बहि खाते सम्मिलत हैं। जो 1723-41 के समय से सम्बन्धित हैं इनसे भारत के 18वीं शताब्दि के पूर्वार्द्ध के वाणिज्जिक तथा आर्थिक विकास के इतिहास से सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होती है। उनमें 1719 से 1741 के बीच गोआ मोचा और बम्बई में निजी व्यापारी के रूप में कोवान द्वारा की गई गतिविधियों से सम्बन्धित दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे न केवल यह पता चलता है कि उस समय में भारत का विदेशी व्यापार कितना और किस प्रकार का था, बल्कि यह पता भी चलता है कि वह पूरा व्यापार-तंत्र कैसा था और उसका भारत के वाणिज्यिक वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता था। 1721 और 1724 के बीच उसके द्वारा राजनीतिक एवं सम्बद्ध मामलों पर पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषा में किया गया पत्र व्यवहार भी इतना ही महत्वपूर्ण है।

रिपन दस्तावेज : ये ब्रिटिश अजायबघर में रखी हुई अतिरिक्त हस्तलिपियों की सूक्ष्म-फोटो कापियां है। ये रिपन के पहले अर्ल सम्मानीय फ्रेड्रिक जान राबिस्टन (1782-1854) द्वारा लिखित पत्र व्यवहार है। इनमें से अधिकतर का सम्बन्ध भारत के उस महत्वपूर्ण समय (मई 1843-जून 1846) से है, जबकि रिपन भारत के मामलों से सम्बन्धित इंगलैंड में तत्कालीन सर्वोच्च संस्था अर्थात बोर्ड आफ कन्ट्रोल के प्रधान थे। उसके मुख्य पत्र प्रतिनिधियों में लार्ड एलनबोर्न और लार्ड हार्डिग जो भारत के एक समय गवर्नर जनरल रहे थे, लार्ड पील तथा वैलिंगटन के ड्यूक थे।

मंत्रियों के निजी सचिव/निजी सहायक

4636. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिगण अपने निजी सचिवों/निजी सहायकों के रूप में नियुक्ति के लिये सरकारी सेवा मे बाहर के लोगों को भी ला सकते हैं ।

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियों के कारण विभागीय उम्मीदवार अपनी पदोन्नति के अवसरों से वंचित नहीं हो जायेंगे;

(ग) क्या नियमों में इतने ही अधिसंख्या पद बनाने की व्यवस्था है ताकि विभागीय उम्मीदवार अपनी पदोन्नति के अवसरों से वंचित न रहें; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस नियम का कठोरता से पालन किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) मंत्रियों के निजी स्टाफ में सामान्यतया निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी आते हैं

(एक) प्राइवेट सेक्रेटरी/एडीशनल प्राइवेट सेक्रेटरी/असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी ।

(दो) फर्स्ट पी० ए० ।

(तीन) सेकिंड पी० ए० ।

(चार) हिन्दी/भाषा स्टैनोग्राफर ।

(पांच) लोअर डिवीजन क्लर्क ।

(छः) जमादार/चपरासी ।

प्राइवेट सेक्रेटरी, एडीशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी और हिन्दी/भाषा स्टैनोग्राफर्स किसी संगठित सेवा में सम्मिलित नहीं हैं । फर्स्ट पी० ए० का पद केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर्स सेवा के प्रथम ग्रेड में, सेकिंड पी० ए० का पद इस सेवा के द्वितीय ग्रेड में तथा लोअर डिवीजन क्लर्क का पद केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा में शामिल है । प्राइवेट सेक्रेटरी, एडीशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के पद सवर्गारिक्त (एक्स-कैडर) पद होने के कारण "बाहर के व्यक्तियो" को नियुक्ति से केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर्स सेवा, केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । "बाहर के व्यक्तियों" की सेकिंड पी० ए० । एल० डी० सी० के पदों पर नियुक्ति के अधिकारियों से पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । क्योंकि ये सम्बन्धित सेवाओं में निम्नतम ग्रेड है । तथापि, जब फर्स्ट पी० ए० के पद पर, जो कि केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर्स सेवा के ग्रेड दो के अधिकारियों के लिये पदोन्नति का पद है और जो सेवा के ग्रेड एक में सम्मिलित है, कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है जो कि सेवा का सदस्य न हो अथवा सेवा के ग्रेड दो के अधिकारी न हो जो कि ग्रेड एक में पदोन्नति के पात्र न हो अथवा यदि उस ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हों, तो उनकी पदोन्नति का अवसर न हो तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर्स सेवा के ग्रेड दो के पद को अस्थायी रूप से ग्रेड एक में परिवर्तित कर दिया जाता है । इसकी केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर्स सेवा नियम, 1962 में व्यवस्था है, जो कि संविहित हैं और इसलिये संवर्ग अधिकारियों को इन उपबन्धों का पालन करना पड़ता है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में सहायक

4637. श्री दी०चं० शर्मा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में 12 वर्ष से अधिक समय से उस संवर्ग में सेवा करने वाले अनेक सहायक ऐसे हैं जो अभी तक उस संवर्ग में स्थायी नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें स्थायी करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) उनके मंत्रालय में अथवा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में 12 वर्ष से कम सेवा वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में 217 सहायकों में से 25 सहायक इस श्रेणी में आते हैं।

(ग) संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सहायकों के आने से पहले 1952 से 1955 के वर्षों के दौरान इन सहायकों को पदोन्नति के कोटे से अधिक सख्या में छोटे ग्रेडों से पदोन्नत किया गया था। स्थायीकरण के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत रिक्त स्थान पदोन्नत के लिए और 75 प्रतिशत सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं अर्थात् चार रिक्तस्थानों में से केवल चौथा स्थान इन कर्मचारियों को मिलता है। जैसे ही उनके कोटे के रिक्तस्थान उपलब्ध होंगे वैसे ही इन्हें स्थायी कर दिया जायगा।

Heroes of the War of Independence

4638. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri S. S. Kothari :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Srichand Goel :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the list of the names of the heroes of the war of Independence has been prepared;

(b) the arrangements made for their rehabilitation; and

(c) whether they are honoured in the national festivals ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidy Charan Shukla) :
(a) The lists are being prepared by State Governments.

(b) A statement showing the steps taken for the rehabilitation of the political sufferers is placed on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. LT-922/67]**

(c) In view of the large number of persons who participated in the freedom struggle it is not considered possible to honour them in any special way during national festivals.

Hindi Stenographers

4639. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1669 on the 7th June, 1967 and state

(a) whether a decision has since been taken on the question of inclusion of Hindi Stenographers in the cadre of Stenographers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when a decision is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The matter is under consideration in consultation with Union Public Service Commission. A decision is expected to be taken early.

Educational Facilities to Children of Government Employees

4640. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any special facility is given to the children of Government employees for admission in Schools and Colleges;

(b) if so, whether Government have taken a decision to reserve seats for the children of class IV employees for their higher education;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the percentage of the children of class IV employees among the children of all employees who had been given facilities for higher education during the last two years ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d) Admissions to colleges and institutions of higher education are generally made on the basis of merit and no seats are reserved exclusively for children of Central Government employees. including class IV staff. For the benefit of children of transferable Central Government employees, the Kendriya Vidyalaya Sangathan (Central Schools Organisation), set up by the Ministry of Education, is administering 112 Central Schools for providing educational facilities upto the Higher Secondary standard in the various parts of the country.

Murders by Pak Dacoits

4641. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan dacoits murdered three persons in Village Baduria near Indo-Pak border in 24 Pargana District and made good with a large booty as reported in the "**Hindustan**" dated the 16th June, 1967; and

(b) if so, the action taken by Government in that regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) According to the reports received, a dacoity was committed in the house of one Abdul Karim of village Sayesthanagar, police Station Baduria, District 24 Parganas on 13,6,67 at about 0230 hrs. by a gang of Pakistani criminals. The miscreants opened fire with their shotguns, killing an Indian National and injuring several others. They made away with cash and ornaments worth Rs 20,925/-.

The State Government have protested to the Government of East Pakistan, demanding apprehension of the culprits and asking the latter to prevent recurrence of such incidents. A case also has been registered by the local police under Section 397 IPC.

अन्दमान प्रशासन के कर्मचारियों के लिये विशेष वेतन

4642. **श्री गणेश :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान प्रशासन के केवल ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जो प्रधान भूभाग से भर्ती होते हैं, अन्दमान विशेष वेतन के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है;

(ख) प्रधान भूभाग से भर्ती लोगों को यह वेतन किन विशेष बातों को ध्यान में रख कर दिया जाता है;

(ग) क्या 1961 से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को अन्दमान विशेष वेतन मिलता था;

(घ) यदि हां तो स्थानीय कर्मचारियों को ये वेतन देना बन्द करने के क्या कारण थे; और

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण स्थानीय कर्मचारी असन्तुष्ट हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) अन्दमान विशेष वेतन जो 1 सितम्बर, 1948 से मंजूर किया गया था। अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में सेवा के लिये मुख्य भूमि से कर्मचारी प्राप्त करने के लिये एक आकर्षण अथवा प्रोत्साहन के रूप में है और इसलिये किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है, चूंकि इस विशेष वेतन की मंजूरी सम्बन्धी मूल आदेश इस बारे में स्पष्ट नहीं था, अतः स्थानीय रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को, जो इसके अधिकारी नहीं थे, गलती से विशेष वेतन मिल गया तथापि, 22 जनवरी, 1951 से सही स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी और स्थानीय रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा लिया जाने वाला यह विशेष वेतन बंद कर दिया गया था।

अन्दमान द्वीपसमूह में तूफान

4643. **श्री गणेश :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 तथा 17 मई, 1967 को अन्दमान द्वीप समूह में आये तूफान के कारण कितनी हानि हुई तथा कितने परिवार नष्टभ्रष्ट हो गये;

(ख) क्या भारत सरकार ने कोई सहायता देने की मंजूरी दी है और क्या सहायता दे दी गई है;

(ग) क्या सरकार मंजूर की गई सहायता को पर्याप्त समझती है; और

(घ) क्या कोई स्थायी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) लगभग 12.30 लाख रुपये के मूल्य की सम्पत्ति की हानि पहुँची है और लगभग 2,200 परिवार प्रभावित हुए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने अनुग्रहात सहायता के लिये 40,000 रुपये और ऋण के लिये 50,000 रुपये मंजूर किये गये हैं। इसके अलावा प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से भी 10,000 रुपये वितरित किये जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

अन्दमान द्वीप समूह में उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल की परीक्षा

4644. श्री गणेश : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में स्थापित केन्द्र से दिल्ली तथा पश्चिमी बंगाल दोनों की योजना ों के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक स्कूल की 1967 की परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे और इन परीक्षाओं में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए;

(ख) क्या सरकार इस परीक्षा के परिणाम से सन्तुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो परिणाम असन्तोषजनक रहने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क)

	बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या	पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या
(i) उच्च माध्यमिक बहूद्देशीय परीक्षा	73	24
(ii) उच्च माध्यमिक परीक्षा (प० बंगाल योजना)	48	28

(ख) जी नहीं।

(ग) कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में स्कूल की परीक्षा

4645. श्री गणेश : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल में ली गई उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्यक्षेत्र के छात्र किन-किन प्रमुख विषयों में असफल रहे हैं;

(ख) इन विषयों में उनके असफल होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अंग्रेजी में असफल हुए सभी विद्यार्थियों को पास करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अंग्रेजी, भौतिकी रसायन, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा इतिहास ।

(ख) इन कारणों को मालूम करने के लिए कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

राजस्थान में पाकिस्तानी धावे

4646. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी धावे बढ़ गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है और यदि हां तो उस के बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस वर्ष अब तक पाकिस्तान ने कुल कितने धावे किये और कितनी सम्पत्ति लूटी तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) नियंत्रित अथवा अनियंत्रित पाकिस्तानी सेना ने पिछले 6 महीने में राजस्थान सीमा पर कोई धावे नहीं किये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का सामूहिक आगमन

4647. **श्री हेम बरुआ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आसाम में आने वाले कुछ शरणार्थियों को उसी राज्य में बसाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने शरणार्थियों को वहां बसाने का विचार है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उनको बसाने के इस काम पर होने वाले खर्च को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में वहन करने का है और यदि हां, तो इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना वित्तीय नियतन किया है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह बताया जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 2176 प्रव्रजक 1 जनवरी, 1967 से आसाम आये हैं।

इन प्रव्रजकों को सहायता शिविरों में नहीं रखा गया है और इसलिये ये लोग इस मामले में वर्तमान नियमों के अनुसार पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Teachers of Patna University

4648. Shri Ramavatar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Patna University have not implemented so far the recommendations made by the University Grants Commission due to which there is great discontentment among the University Teachers;

(b) whether a deputation of the teachers met him in this regards during the time of his stay at Patna and submitted any memorandum to him;

(c) if so, the action being taken by his Ministry for the implementation of the said recommendations; and

(d) whether the Central Government propose to give any special assistance to the Government of Bihar in this regard ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Patna University has so far not implemented the revised salary scales for teachers recommended by the University Grants Commission.

(b) Yes, Sir.

(c) The Scheme for revision of salary scales of University and College teachers has been circulated to all the State Governments, including the Government of Bihar. The State Government has not so far conveyed its agreement to participate in the scheme and has also not made any proposals.

(d) Under the scheme 80% of the additional cost involved in the introduction of revised scales is met by the Central Government and the remining 20% by the State Government concerned. The amount of Central assistance to be given to the Government of Bihar will be determined on receipt of specific proposals from them.

खेमकरण का पुनर्निर्माण

4649. श्री गु० सिंह ढिल्लों : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेमकरण नगर का पुनर्निर्माण करने की योजना को इस बीच में अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) अमृतसर तथा फिरोजपुर जिलों के कुछ सीमा-क्षेत्रों पर जब पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, उस समय जिन किसानों को अपनी फसलों, फलोद्यानों अथवा वृक्षों से वंचित होना पड़ा था, क्या उनको कोई प्रतिकार देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कसौटी निर्धारित की गई है और इस क्षति का निर्धारण करने के लिए कौन से अधिकारी को नियुक्त किया गया है और दावों की प्रति-पूर्ति अथवा प्रतिकर देने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां । पुराने खेमकरण के समीप किसी स्थान पर सरकारी भवनों का एक समूह और एक रिहायशी बस्ती के निर्माण की एक योजना स्वीकार कर ली गई है ।

(ख) और (ग) पंजाब में खेती वाली भूमि पर पाकिस्तान के कब्जे के परिणामस्वरूप नष्ट हुई फसलों के लिए तदर्थ प्रसादत सहायता देने के लिए एक योजना मंजूर की गई है । इस योजना के अधीन, भुगतान उसी आधार तथा दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रतिरक्षा तैयारी के प्रारम्भिक चरण के दौरान नष्ट होने वाली फसलों के लिये प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने निश्चित किया है । क्षति का अनुमान राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा किया जाना है, जो सब-डिविजनल अधिकारी के पद से कम नहीं होगा, और कलक्टर द्वारा अनुमोदित किया जायेगा और बाद में वित्त आयुक्त को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा वित्तीय आयुक्त द्वारा हानि के अनुमान को स्वीकार किये जाने के बाद देय राशि का भुगतान प्रथमतः राज्य सरकार के कोष से स्वीकृति के पन्द्रह दिन के अन्दर दिया जाना है । राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में खर्च की गई रशि की सामान्य तरीके से भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है ।

भारत और पाकिस्तान के युद्ध के परिणामस्वरूप फलों के बागों को हुई हानि अथवा क्षति के लिये वित्तीय सहायता देने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों की टाइप परीक्षा

4650. श्री स० मो० बनर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार बोर्ड में काम करने वाले बहुत से अपर डिविजन क्लर्कों को जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष अथवा इससे अधिक सेवा हो जाने पर भी अस्थायी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक टाइप परीक्षा पास नहीं की है;

(ख) क्या समान परिस्थितियों में लोअर डिवीजन क्लर्कों और असिस्टैन्टों को उनके स्थायीकरण के लिए टाइप परीक्षा पास करने से छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि पहले समान परिस्थितियों में 45 वर्ष की आयु पूरी हो जाने वाले अपर डिवीजन क्लर्कों को टाइप परीक्षा पास करने से छूट दी जाती थी; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। डाक व तार बोर्ड में केवल पांच अपर डिवीजन क्लर्क ऐसे हैं। जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, जिनकी सेवा-काल 10 वर्ष से अधिक है और जो अब भी अस्थायी हैं।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय क्लैरिकल सेवा के ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्कों को, जो 45 वर्ष के हो चुके हैं और जो लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में सेवा के लगातार 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं टाइपराइटिंग की परीक्षा पास करने की शर्त से छूट मिल जाती है बशर्ते वे टाइप-राइटिंग की परीक्षा में कम से कम दो बार अवश्य बैठे हों और संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा अन्य बातों में स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझा जाय।

तथापि असिस्टेंट के ग्रेड में स्थायीकरण के लिए टाइपराइटिंग की परीक्षा का पास करना एक पूर्व-शर्त नही हैं।

(ग) से (ङ) सीधे भर्ती किये गये अपर डिवीजन क्लर्कों को, जो 23 अक्टूबर, 1953 को 45 वर्ष से अधिक थे, प्रारम्भिक गठन (1.5.54) के अवसर पर उस ग्रेड में स्थायीकरण के लिए टाइपराइटिंग की परीक्षा पास न करने की छूट दी गई थी। 1954–55 में सीधे भर्ती किये गये। 1 नवम्बर, 1962 को 16 अपर डिवीजन क्लर्क ऐसे थे जो टाइपिंग परीक्षा पास न कर पाने के कारण स्थायी नहीं हो सके। केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा के उपबन्धों के अनुसार, अपर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में "सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति" उस ग्रेड में अर्द्ध-स्थायी घोषित किये जाने के बाद ही स्थायीकरण के पास हो सकते हैं। इन व्यक्तियों को अर्द्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं की है जो कि 1 जुलाई, 1957 से अर्द्ध-स्थायी घोषित किये जाने के लिये एक अनिवार्य अर्हता है। क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा नियम, 1962 में, जो 1 नवम्बर, 1962 से लागू हुए हैं, इन सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के स्थायीकरण की व्यवस्था नहीं है जब तक कि उनके नाम "चुनाव सूची" में शामिल न किये गये हैं। यह निर्णय किया गया है कि इन व्यक्तियों को उनके टाइप-राइटिंग परीक्षा पास करने के बाद, स्थायी बनाने पर विचार किया जाय। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सीधे भर्ती किये गये अपर डिवीजन क्लर्कों को इस शर्त से छूट दे दी गई है।

चावड़ी बाजार में जलूस

4652. **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22, जून 1967 को चावड़ी बाजार, दिल्ली में एक धार्मिक जलूस पर पत्थर फेंके गये थे जिसके परिणामस्वरूप दंगा हो गया और 65 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है' और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 21 जून, 1967 को चावड़ी बाजार में एक धार्मिक जलूस के सदस्य इस निराधार अफवाह से, कि जलूस पर छत से कोई पत्थर फेंका गया है, विक्षुब्ध हो गये और उन्होंने हिंसक रूप धारण कर लिया। पुलिस को इस सम्बन्ध में 65 व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ा ।

(ख) पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है;

(ग) इस क्षेत्र में सावधानी के लिये उपाय कर लिये गये थे। जांच पूर्ण होने के बाद कानून के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

Explosion in Barmer

4653. Shri Onkar Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that one person was killed and three others were injured in a bomb-explosion near Sendra Village of Barmer on the 9th April, 1967;

(b) if so, the origin of the bomb; and

(c) the results of the investigation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Suhkla) : (a) One person was killed and 4 were injured in an explosion near Village Sundara in Barmer district on 9th April' 1967;

(b) the origin of the bomb could not be ascertained as it had exploded;

(c) Investigations revealed that the explosion was purely accidental.

Teachers Training Centre in Rajasthan

4654. Shri Onkar Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Special Secretary of the Asian Committee of the Teachers Union of Canada, Mr. William Alriech, suggested on the 26th April, 1967, that a Teachers' Training, Centre should be opened in Rajasthan in collaboration with Canada; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b) the Government of India are not aware of any such proposal.

Telephone Connections in Kotah (Rajasthan)

4655. **Shri N. S. Sharma :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri B. S. Sharma :**

Will the Minister of Co munications be pleased to state :

(a) the number of applications for telephones connections pending in Kotah Rajasmhan), particularly Bhimganj Mandi;

(b) since when these applications are pending; and

(c) the time by which these connections are likely to be provided ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) 261; out of which 44' are in Bhimganj Mandi.

(b) Oldest application is dated 8-2-64

(c) Giving of connections is held up for want of underground cable-capacity. Since the supply position of underground cables is uncertain, no time limit can be given for meeting the entire demand, Efforts will however, be made to wipe out the waiting list as quickly as possible.

अमृतसर और दिल्ली के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4656. **श्री गु० सि० ढिल्लों :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर और दिल्ली के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था किये जाने के लिये अमृतसर के टेलीफोन रखने वाले लोगों की चिरकाल की मांग को पुरा करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां' तो यह योजना कब तक पूरी की जायेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। अमृतसर और दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली चालू करने के कदम उठाये जा रहे हैं। सम्बन्धित कार्यों में प्रगति हो रही है।

(ख) इस कार्य के 1968 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली में अपराध की घटनाएं

4657. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपराध की घटनायें जिनमें रात को टैक्सियों को उड़ा ले जाने की घटनायें शामिल हैं' बढ़ती जा रही हैं' और

(ख) यदि हां तो इन घटनाओं को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) पुलिस के पास 1 जनवरी, 1967 से लेकर 15 जून 1967 तक केवल एक टैक्सी के उड़ाये जाने का मामला आया है जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में ऐसा कोई मामला नहीं आया।

(ख) सभापटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 923/67]**

उत्तर प्रदेश के स्कूल अध्यापकों का वेतनमान

4658. श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार नें उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अध्यापकों का वेतन मान बढ़ाने के लिये 1961 में सिफारिश की थी परन्तु उसे अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है।

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उस द्वारा पहले की गई सिफारिश के अनुसार अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) केन्द्रीय सरकार का हमेशा यह विचार रहा है कि अध्यापकों की सेवाशर्तों में, जिन में उनके वेतन तथा अन्य उपलब्धियां भी शामिल हैं; सुधार होना चाहिये। अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा मांगों और साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अध्यापकों के वेतनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले बिहार के विद्यार्थी

4659. श्री शिव चन्द्र झा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या बिहार जैसे राज्यों में अंग्रेजी समाप्त कर देने से बिहार की शिक्षा संस्थाओं से शिक्षा पाकर निकलने वाले लोगों पर संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं में बैठने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद : (क) और (ख) संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परिक्षाओं के वैकल्पित माध्यम के रूप में प्रादेशिक

भाषाओं के लागू किये जाने के बाद, भविष्य की परिक्षा' योजना अभी तक विचाराधीन है। अग्रेंजी में उत्तीर्ण हुए बिना शैक्षिक संस्थाओं से आने वाले विद्यार्थियों पर इस बात का किस सीमा तक असर पड़ेगा, यह पूरे प्रश्न पर विचार कर लेने और निर्णय लेने के बाद ही पता चलेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (इन्टरनेशनल लेबर आरगेनाईजेशन) तथा विश्व श्रम संघ (वर्ल्ड फेडरेशन आफ लेबर)

4660. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विधिवत सदस्य है'

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधित्व से तीसरी योजना अवधि में भारत को क्या विशेष लाभ प्राप्त हुए;

(ग) भारत ने श्रमिकों की काम की दशा तथा मजूरी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं;

(घ) भारत के कौन कौन श्रम संगठन विश्व श्रम संघ से सम्बद्ध हैं, और

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अपेक्षा विश्व श्रम संघ से सम्बद्ध होने के क्या विशेष लाभ हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) भारत की इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय संगठन की सदस्यता से,जो सामान्य लाभ प्राप्त होता है, उसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने नियमित कार्य क्रम तथा तकनिकी सहायता के विस्तृत कार्य क्रम व संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि के अन्तर्गत विशेष छात्रवृतियां और साज सामान देता रहा ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों और सिफारिशों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 30 अभिसमयों का अनुसमर्थन भारत द्वारा किया जा चुंका है, जिनमें काम के घंटे, स्त्रियों व तरुण श्रमिकों के काम करने की दशाओं में सुरक्षण, स्त्री व पुरुष के लिए समान मजूरी और उद्योग में न्युनतम मज़ूरी नियत करने की मशीनरी शामिल हैं ।

(घ) शायद माननीय सदस्य का आशय विश्व ट्रेड यूनियन संघ से है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस संघ से सम्बद्ध है ।

(ङ) विश्व ट्रेड यूनियन संघ केवल श्रमिकों के संगठनों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सरकार, तथा नियोजकों व श्रमिकों के संगठन भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार इन दो असमान निकायों की सदस्यता से होने वाले सापेक्ष लाभ का मुल्यांकन करना संभव नहीं है ।

जम्मू तथा काश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर

4661. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में किन्हीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों की प्रतिनियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां; तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें किन विभागों में लगाया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा के 7 अधिकारी काम कर रहे हैं जो अन्य राज्यों से उपनियुक्ति पर आये हुए हैं । वे अधोलिखित विभिन्न प्रशासनीय पदों पर काम कर रहे हैं ।

1. चीफ सेक्रेटरी ।
2. डिवीजनल कमिशनर, श्रीनगर ।
3. प्लानिंग कमिशनर, जम्मू और काश्मीर ।
4. चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी ।
5. डिप्टी कमिशनर, पुंछ ।
6. डिप्टी कमिशनर, लद्दाख ।
7. डिप्टी कमिशनर, श्रीनगर ।

कर्मचारी शिक्षा योजना

4662. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी शिक्षा योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है:

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस योजना के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार ने पुनरीक्षा का कार्य राष्ट्रीय श्रम आयोग को सौंपने का निर्णय कर लिया । आयोग ने इस प्रयोजन के लिए एक समिति नियुक्त की है, जिसने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है ।

(ख) और (ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के मामलों सम्बन्धी अंतर मंत्रालय समिति

4665. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिये भारत सरकार के सचिवों की एक अन्तर मंत्रालय समिति नियुक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देशपद क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित ऐसे सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करेगी जो मंत्रालय द्वारा उसको निर्देशित किये जायं और जिनके बारे में मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता हो ।

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये प्रादेशिक भाषायें

4666. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये प्रादेशिक भाषाओं को लागू करने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की सलाह से क्या निर्णय किया गया है;

(ख) किन-किन शिक्षा अधिकारियों अथवा प्रतिनिधियों के विचार-विमर्शों पर विचार किया गया है; और

(ग) किन-किन अन्य सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया गया है तथा उन पर क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से अभी तक कोई परामर्श नहीं किया गया है । तथापित विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) इस विषय तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, अध्यापक संगठनों आदि द्वारा उन पर की गई टिप्पणियों की जांच की जा रही है ।

दिल्ली के अध्यापकों का परीक्षाओं में बैठना

4667. श्री मरंडी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन काम करने वाले अध्यापकों को उच्चतर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती यदि उनके द्वारा पहले दी गई परीक्षा की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी न हो चुकी हो;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस नियम में परिवर्तन करने का है जिससे अध्यापकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहना पड़े ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से ग) दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में डाकुओं का आंतक

4668. श्री आत्म दास : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से मुरैना जिले में, डाकुओं का आंतक बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब और हरियाना में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि भूमि का नियतन

4669. श्री आत्म दास : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त तथा बहावलपुर से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को पंजाब में कृषि-भूमि का नियतन किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब का पुनर्गठन होने के बाद अर्थात् पंजाब और हरियाणा बनने के बाद अब इनमें से कोई भी राज्य सरकार इन विस्थापित व्यक्तियों को भूमि नहीं दे रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों को जम्मू तथा काश्मीर में भूमि अलाट करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त तथा बहावलपुर से आने वाले उन पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों को भी, जिनके पास विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कृषि भूमि के संस्थापित दावे थे, अलाटमेंट किये गये थे।

(ख) उन पंजाबी विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके जमीन के दावे अभी भी असंतोषजनक हैं अथवा आंशिक रूप से संतोषजनक हैं, पंजाब और हरियाना के राज्यों में भूमि अलाट की जा

रही हैं। यह इन राज्यों में अलाटमेंट के लिये निर्देशित गैर-पंजाबियों के मामलों के अतिरिक्त हैं।

(ग) और (घ) चूंकि निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम, 1950 जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता, अतः उस राज्य में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में कोई भूमि नहीं ली गई है। अतः अलाटमेंट का प्रश्न ही नहीं उठता।

पेट्रोलियम तेल कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद

4670. श्री उमानाथ :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री चक्रपाणी :
श्री अनिरुद्धन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री पैट्रोलियम तेल कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद के बारे में 21 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाद के बारे में जांच करने से सम्बन्धित जांच आयोग के सदस्यों तथा विचारार्थ विषय के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार तेल कम्पनियों से यह कहने का है कि आयोग का प्रतिवेदन तैयार होने तक एच्छिक सेवा-निवृत्ति के बारे में कोई इकतरफा कार्यवाही न करें ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) न्यायाधिपति श्री बी० एन० गोखले को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग के विचारार्थ विषय विवरण में दिये गये हैं। जो सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 924/67]**

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव तेल कम्पनियों को पहले ही भेजा जा चुका है लेकिन उन्होंने इसे मानने में अपने असमर्थता प्रकट की है।

'प्राज्ञ' परीक्षा

4671. श्री शिव नारायण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 'प्राज्ञ' परीक्षा के प्रथम प्रश्न-पत्र का लगभग 6,000 सरकारी कर्मचारियों ने 15 केन्द्रों में बहिष्कार किया था;

(ख) क्या बहिष्कार करने का कारण यह था कि इस प्रश्न-पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर के तथा प्रवीण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गये थे;

(ग) क्या उक्त बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि वह 15 जुलाई, 1967 को फिर से परीक्षा लेगा;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था; और यदि हां, तो क्या; और

(ङ) इस बोर्ड को इस कारण कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) परीक्षा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा ली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 209 केन्द्रों में से 8 केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार के केवल 704 कर्मचारियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) शिक्षा निदेशालय ने 15 जुलाई, 1967 को पुनः परीक्षा लेने का निर्णय किया है।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) 8,000 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सिलचर

4672. श्री नि० रं० लास्कर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सिलचर स्थित रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य तथा गवर्नरों के बोर्ड की नियुक्ति कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है; और

(ग) इस कालेज को स्थापित करने तथा उसे चालू करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 925/67**]

(ग) कालेज की स्थापना के लिये भूमि का अर्जन किया गया है। बोर्ड ने प्रिंसिपल को यह अधिकार दे दिया है कि वह कालेज की विभिन्न इमारतों के लिये योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार करें। आवश्यक सहायक स्टाफ की भी नियुक्ति कर दी गई है। विभिन्न इमारतों का निर्माण-कार्य कालेज द्वारा योजनाओं और प्राक्कलनों के तैयार किये जाने तथा बोर्ड आफ गवर्नर्स और भारत सरकार द्वारा उनका अनुमोदन किये जाने के बाद शुरु होगा। योजना में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

सालारजंग संग्रहालय में कला-चित्र

4674. श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय के कुछ अमूल्य भारतीय प्राचीन कला-चित्र चोरी हो गये थे;

(ख यदि हां, तो कुल कितने चित्र चुराये गये थे;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के एक संयुक्त सचिव संग्रहालय बोर्ड के नाम-निर्देशित सदस्य हैं; और

(घ) इन चित्रों को बरामद कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि सालारजंग संग्रहालय से 49 लघु चित्र गुम हो गए हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह मामला खोए हुए चित्रों को बरामद करने तथा अपराधियों का पता लगाने के वास्ते जांच-पड़ताल करने तथा सहायता देने के लिए पुलिस व अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों को बता दिया गया है ।

Violation of Reserve Forests Law in Tripura

4675. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Left Communists have uprooted a large number of trees in Tripura violating the Reserve Forests law in the name of landless labourers;

(b) if so, whether the Tripura Administration has informed the Central Government regarding the same and has obtained orders for taking some action; and

(c) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information furnished by Tripura Administration, the agitation of the tribal people against the forest laws, which has taken the form of causing damage to valuable tree forests and new plantations, is, inspired by the CP (M) as part of a wider agitation for declaration of a tribal Reserve Area.

(b) and (c) The Tripura Administration are fully alive to the situation. A committee of MLAs was formed to study the difficulties of the tribal people, and their recomme-

ndations are being examined. Local Committees of influential tribal and non-tribal leaders are being set up to prevent damage to the forests. Appropriate legal action is being taken in respect of the offences committed under the forest laws. Government are keeping in touch with the Tripura Administration about these developments.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE.

इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद) के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे। **(पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 903/67)**

(दो) उक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 903/67)**

भारतीय प्रबन्ध संस्था, अहमदाबाद (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट अहमदाबाद) के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे **(पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 904/67)**

(3) भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर) के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा विवरण। **(पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 905/67)**

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I want to make three points. First, the Bills are not being supplied to Member in Hindi and replies to their letters are also not being given in Hindi. You should give some direction in this behalf. Secondly, there is a report in the Times of India about the observation of departmental committee or supply of defective tyres the Army. How is it that House does not know it and it has gone to the press. My third point is about laying of papers on the Table. I will invite your attention to Rules 368-369, You had given a ruling that Members desirous of laying certain papers on the Table should pass them over to the Table and unless you give permission after examining them, they will not be treated as Papers laid on the Table. You had allowed me as well as Shri UmaNath, Shri George Fernandes etc. to lay certain papers on the Table. My suggestion is that these names should appear in the List of Business as is the case of Ministers so that everybody may know that they are public documents and they may get due publicity.

अध्यक्ष महोदय : वे मुझे दिये जाते हैं और मैं देखकर अनुमति देता हूं। इन मामलों में उनकी अनुमति दी जा चुकी है। वे पुस्तकालय में रिकार्ड में है। आप वहीं जा कर उन्हें देख सकते हैं।

Shri M. A. Khan (Muzaffarnagar) : Mr. Speaker, Sir, on a point of order. I want to submit that when you have taken up an item the question of taking into consideration another matter does not arise, the earlier item only should coninue.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) Mr. Speaker, Sir, I will draw your attention to Rule 369, which lays down the procedure to be followed for laying of papers on the Table. It does not making any difference between a Member and a Minister. The names of members should also be put down in the List of Business like Ministers since they are not published and kept in the library only. Rule 369 makes it very clear that these will become public documents. Unless you announce it how will they become public documents.

अध्यक्ष महोदय : बिना किसी पूर्व सूचना के यह प्रश्न उठाया गया है। क्या उन्हें अध्यक्ष को समय नहीं देना चाहिये ? अभी तक यह प्रथा नहीं थी। नई प्रथा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम एक दम से एक नया नियम नहीं बना सकते। यह उचित है या नहीं, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए।

सालार जंग संग्रहालय (संशोधन) नियम 1967

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं सालार जंग संग्राहलय अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत सालार जंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 17 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 927 में प्रकाशित हुए थे। **पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल०टी० 906/67)**

अखिल भारतीय सेवा में अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 24 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 944 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 24 जून 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 945 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 907/67]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS & RESOLUTIONS.

सातवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATE COMMITTEE

पांचवां प्रतिवेदन

श्री पें वेकटासुब्बया : मैं शिक्षा मन्त्रालय–

(1) भारतीय संग्रहालय कलकत्ता; और

(2) विक्टोरिया मेमोरियल हाल म्यूजियम, कलकत्ता––के बारे में प्राक्कलन समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

राज्य कर्मचारी बीमा निगम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2 क के साथ पठित, कर्मचारी राज्य (बीमा संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा संशोधित रूप में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 4 (आई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अगस्त, 1966 से आरम्भ हुई चार वर्ष की अवधि के शेष भाग के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कमचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2 क के साथ पठित, कर्मचारी राज्य (बीमा संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा संशोधित रूप में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 5 (आई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए अगस्त, 1966 से आरम्भ हुई चार वर्ष की अवधि के शेष भाग के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत विषय
MATTER UNDER RULE 377

स्थगन प्रस्तावों का निपटारा

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय 3 जुलाई को...

श्री सेनावने (पेंढरपुर) : माननीय सदस्य क्या बात उठा रहे हैं । यह कार्य-सूची में नहीं है । हमें इसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे लिखा है और मैंने उन्हें अनुमति दी है । नियमों के अन्तर्गत मुझे अधिकार है कि मैं कोई विषय उठाने की अनुमति दे सकता हूँ, जो छपी हुई कार्य सूची में नहीं दिया गया हो ।

श्री नाथ पाई : 3 जुलाई को मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के अन्त में गृह-कार्य मन्त्री ने सदस्यों द्वारा रखे गये चार सुझावों में से एक को संशोधित रूप में मान लिया था और यह महसूस किया गया था कि मतदान नहीं होना चाहिए तथा सारी सभा ने यह महसूस किया था कि तिहाड़ जेल में हुई घटनायें एक क्षोभजनक थी, मैंने कहा था कि मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर जोर नहीं देता । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं यह समझूं कि सभा प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति देती है । लेकिन मैंने ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी थी । मैं लोक सभा की कार्यवाही के शासकीय वृतान्त को उद्धत कर रहा हूँ। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा था: प्रस्ताव वापिस नहीं लिया जायगा इस पर चर्चा होती है फिर मैंने कहा था कि यह एक सुस्थिर प्रक्रिया है कि यदि ऐसा समझौता हो, तो हम इस पर जोर नहीं देते । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय के यह कहने पर कि जो भी प्रक्रिया उन्हें मालूम है, चर्चा करने का कोई उपबन्ध नहीं है, मैंने कहा था कि चूंकि आप कहते हैं ऐसी प्रक्रिया नहीं है, आपसे असहमत होते हुए भी मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं क्योंकि हमें निष्कर्ष से मतलब है और वह स्वीकार कर लिया गया है ।

लोक सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम संख्या 62 स्थगन प्रस्ताव पर मतदान के प्रश्न के बारे में स्पष्ट है । नियम 62 इस प्रकार है : "यदि अध्यक्ष का माधान हो जाय कि पर्याप्त क्या विवाद हो चुका है तो वह 18-30 बजे या ऐसे अन्य समय, जो वाद-विवाद प्रारम्भ होने के समय से ढाई घन्टे से कम न हो, प्रश्न रख सकेगा ।"

नियम में "अध्यक्ष रख सकेगा" (may) शब्द हैं, "रखेगा" (shall) शब्द नहीं है । जहां भी लोक सभा ने निदेश देना चाहा है वहां पर "रखेगा" (shall) शब्द का प्रयोग किया गया है । इसलिये स्थगन प्रस्ताव पर मतदान कराना आवश्यक नहीं है ।

इस सभा के सम्मानित सदस्य श्री० एस० एस० मोरे संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 432 पर कहा है कि ऐसे मामले कम नहीं हैं जब स्थगन प्रस्ताव चर्चा होकर समाप्त हो जाते हैं ।

अब आप सेन्ट्रल एसेम्बली के वाद-विवाद 15 सितम्बर, 19397 का पृष्ठ 387 पर सर मुहम्मद यामीन खां के कहे हुए शब्द देखिये जो उन्होंने उस समय विचाराधीन स्थगन प्रस्ताव के बारे में कहे थे "यह विषय चर्चा होकर समाप्त हुआ ।" फिर श्री एन० एम० जोशी ने कहा था "इस पर कोई समापन प्रस्ताव नहीं है" जिससे मेरी बात का समर्थन होता है । आगे पृष्ठ 388 पर सर सैय्यद रजा अली कहते हैं "मेरा इरादा पूरा हो गया ।" इस प्रकार पूर्व दृष्टान्त है सेन्ट्रल असेम्बली में स्थगन प्रस्तावों की अनुक्रमणिका में मैंने देखा कि 50 स्थगन प्रस्ताव हैं ।

एक अन्य अवसर पर 24 मई को, जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और एक स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन था, कठिनाई सामने आई थी । 26 मई को आपने उसके बारे में कहा था "अब मैं कहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव चर्चा होकर समाप्त हुआ ।"

मैंने नियमों, सेन्ट्रल एसेम्बली की प्रक्रिया और एक महीने पहले किये गये विनिर्णय का उल्लेख किया है । प्रस्ताव पर चर्चा होकर समाप्त होने की प्रथा को रोकना नहीं चाहिये । जब कोई पीठासीन अधिकारी कोई निर्णय देता और यदि उसके बाद अध्यक्ष से बाद में भिन्न निर्णय दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि बाद का निर्णय लागू होगा । मेरा निवेदन यह है कि पहला विनिर्णय माना जाना चाहिए क्योंकि यह इस संसद की परम्परा तथा इस सत्र के अधिकारों के अनुकूल है ।

Shri A B. Vajpayee (Balrampur) ; Mr. Speaker, if we differ from Shri Nath Pai, do we not have a right to present our viewpoint. Before giving your ruling, please hear us also.

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य कोई बात उठाता है और उस पर सारी सभा चर्चा करने लगे तो क्या होगा ?

Shri Madhu Limaye : You may not give a ruling but refer it to the Rules Committee.

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है । वे इस पर विचार कर सकते हैं । मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर यहां चर्चा हो ।

मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, परन्तु स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । सदस्य मेरे पास आते हैं और विचार विमर्श करते हैं । जब भी मुझे कोई संशय होता है, तो मैं उस पर निर्णय देने की अपेक्षा अपने मित्रों, विरोधी पक्ष के नेता, विधि मंत्री आदि से परामर्श करना, उनकी बात सुनना अच्छा समझता हूं । इसलिये मैंने उन्हें इसकी अनुमति दी थी ।

श्री नाथ पाई ने 1939 के नियमों का उल्लेख किया लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे नियमों में से चर्चा होकर समाप्त होने के बारे में शब्दों को निकाल दिया गया है । इसको विनिर्णय न समझा जाये क्योंकि मैं इस विषय को नियम समिति को भेजने के लिये सहमत हूं ।

चर्चा होकर समाप्त हुआ, मैंने किन परिस्थितियों में कहा था ? पहले दिन बात हुई थी। अगले दिन जब मैं यहां आया, तो प्रश्न उठाया गया था कि उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को मतदान के लिये रखना बैध था या नहीं। इसलिये पूरा विषय मेरे सामने नहीं था। इन सब बातों पर नियम समिति में विचार किया जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं, तो नियम बदल दीजिए। मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं।

अनुदानों की मांगें–जारी
DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

गृह-कार्य मंत्रालय–जारी

Shri Manubhai Patel (Dabhtoi) Mr. Sir, the disintegrating elements are active in our country and particularly Shri Surendra Nath Dwivedy has accepted their existence and I had pointed but that Shri Daga had advocated openly the use of violence and Shri A. K. Gopalan had threatened to resort to other means if adjourn motions did not serve their purpose. The action of the opposition tantamounted to undermining the traditions and public values of our country. i. e. to approach the highest officer in the judiciary to contest for the office of President of India. Is it not political corruption ? If such an approach is made to the Chief Justice to the Supreme Court, I am afraid he may not remain impartial. It was not proper. The mind of Dr. Lohia is pre-occupied with petty matters particularly sueklana, daimonds, necklace etc., he cannot think on these matters seriously. No official occupying such a high office should not be allowed to contest the election in future.

As regards lifting of emergency the Home Minister had clearly told the other day that the disturbed conditions on our borders call for continuing of the emergency. Government is not afraid of Gherao, violence etc. Communists are interested in creating small pockets like Naxalbari so that they may achieve their aim of bloody revolution in the country. The resolution of the A.I.C.C. to abolish the privy purses of former rulers and princes is a very bold resolution and I appeal to the Home Minister to implement it at the earliest opportunity in such a manner that it may not create any lickering in the country.

One Member from Goa referred to the merger of Dadra Nagar Haveli. We should not lose sight of the feeling of Indian First and Indian last. To-day the point of Kasergod was raised, it will be followed by similar demands in respect of other parts of the country. I will urge upon the Home Minister to take stirgent measures against such persons. In the end I will remind the promise made to the people during the national independence movement that prohibition will the first act and after attaining independence. At least prohibition should be introduced in the Union Territories. In March, 1956 a resolution on prohibition was passed by the House. In the third Plan certain steps were taken in that direction. A study team was appointed which made certain recommendations. I will request the hon. Minister to explain the proposed action in his reply.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान कई विषय उठाये गये हैं। परन्तु मैं केवल देश में विधि व्यवस्था की स्थिति तक ही अपने विचारों को सीमित रखूंगा।

साम्यवादियों का यह विचार कि छुटपुट हिंसात्मक कार्यवाहियों से क्रान्ति लाई जा सकती है गलत है। सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि लोगों के कुछ ग्रुपों द्वारा ऐसी हिंसात्मक कार्यवाहियों से क्रान्ति लाना सम्भव नहीं है। यदि लोगों के कुछ वर्गों को कुछ शिकायतें हैं तो उनको सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाना चाहिए। उनके लिए छोटे-छोटे विद्रोह करना उचित नहीं है। सविनय अवज्ञा द्वारा ही हमने अंग्रेजों को देश से निकाला है। इसलिए कोई कारण नहीं कि हम देश के भीतर अन्याय का सविनय अवज्ञा द्वारा सामना नहीं कर सकते। देश में इधर उधर लोगों को भड़का कर कोई दल आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक देश की सेना का समर्थन प्राप्त न हो तब तक कोई विद्रोह सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार छुटपुट आन्दोलन करने से निर्धन जनता के दुःखों में वृद्धि ही होगी जैसा कि तेलंगाना के मामले में हुआ है। ऐसे विद्रोह अथवा आन्दोलनों को क्रान्ति नहीं कहा जा सकता बल्कि यह आन्दोलन तो प्रतिक्रियावादी ही होते हैं।

घेराव के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इनको सत्याग्रह का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। सत्याग्रह का अभिप्राय दूसरों को पीड़ा न देकर स्वयं पीड़ा सहन करना है। घेराव में तो दूसरे लोगों को खाने पीने का सामान आदि भी नहीं पहुंचाने दिया जाता। यदि घेराव डालने वाले यह समझते हैं कि उनके कष्टों के निवारण के लिये इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है तो वे ऐसा करें परन्तु उनको घेराव को सत्याग्रह का नाम नहीं देना चाहिए।

हमारी केन्द्रीय सरकार भी विधि व्यवस्था का उचित अर्थ समझने में असफल रही है। किसी स्थान पर छुटपुट गड़बड़ हो जाने, कुछ सिरों के फूट जाने तथा हिसो के भड़क उठने से विधि व्यवस्था भंग नहीं होती। विधि व्यवस्था का प्रश्न लोगों की जीवन प्रणाली से सम्बन्धित है। यह आवश्यक है कि राष्ट्र में अनुशासन हो। इसके बिना राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। चोर बाजार करने वाले, कर–अपवंचन करने वाले, सड़कों पर कूड़ाकट डालने वाले तथा कुत्तों को खुला छोड़ देने वाले ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं। विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये लोगों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करना तथा उनको सामाजिक कर्तव्यों से अवगत कराना आवश्यक है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं अपितु सभी प्रांतों में गुप्तचर विभाग को प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। सरकार के पास बहुत अधिक शक्तियां होने के बावजूद सरकार काश्मीर में गुसपैठियों तथा मिजो विद्रोह का आरम्भ में पता नहीं लगा सकी। यदि गुप्तचर विभाग ठीक ढंग से कार्य कर रहा होता तो इन घटनाओं का घटना सम्भव नहीं था। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि प्रांतों में ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व भी निर्वाचन हुए थे परन्तु किसी भी समय किसी व्यक्ति की न तो हत्या ही हुई थी और न ही किसी को पीटा गया था। परन्तु हाल ही के चुनाव के दौरान उप-गृह-मंत्री की उपस्थिति में ही लोगों पर लाठी चलाई गई तथा मजदूरों को पीटा गया और घायल किया गया। इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। इस बात के बावजूद कि इस मामले की ओर प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री का ध्यान दिलाया गया है और कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बस्तर के मामले को लेकर गृह मंत्री ने कहा था कि वहां विद्रोह हुआ था। परन्तु जो समिति नियुक्त की गई थी उसने इस बात का खण्डन किया है। यह भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जिला मेजिस्ट्रेट तथा सिविल सर्जन जिस प्रकार व्यवहार किया वह उचित नहीं था तथा उनको इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसलिए मेरा निवेदन है यदि गृह-मंत्री वास्तव में स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो उनको अमूल परिवर्तन करने होंगे।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Four Minutes past Fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker *in the Chair*** }

श्री प० मु० सैयद (लक्कदीव, मिनिकोय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह) : गृह-मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। गृह-मंत्री ने जिस प्रकार आम चुनाव, गोवध विरोधी आन्दोलन तथा पुलिस आन्दोलन के दौरान जिस प्रकार विधि व्यवस्था को सम्भाला है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस द्वीप समूह का विकास करना आवश्यक है। यह बड़े खेद की बात है कि सरकार ने द्वीपों के इन ग्रुपों के विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। 1956 से पूर्व जब ये द्वीप मद्रास राज्य का भाग थे तो कई बार मद्रास सरकार ने परिवहन सुविधाओं में वृद्धि के लिए निवेदन किया गया परन्तु इस ओर कुछ नहीं किया गया। संघ राज्य बनने के बाद कालीकट से एक स्टीमर सेवा आरम्भ की गई है परन्तु इससे केवल 25 प्रतिशत आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती है। अभी कल ही मुझे सूचना मिली है कि 200 लोग परिवहन सुविधा प्राप्त न होने के कारण मुख्य भूमि पर रुके पड़े हैं। जहां तक कि स्कूलों में लगने वाली पाठ्य पुस्तकें भी अभी तक द्वीपों में नहीं पहुंच पाई हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए भी बड़ी कठिनाई होती है। सरकार को इन कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि वहां पर अभी अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून ही लागू हैं मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इन पुराने कानूनों को सभा द्वारा 1965 में बनाये गये नये संशोधित विनियमों द्वारा परिवर्तित करे। वहां के लोगों को प्रशासन में उचित भाग दिया जाना चाहिए। मुख्य भूमि से जो अधिकारी इन द्वीपों में जाते हैं उनको वहां के लोगों से कोई सहानुभूति नहीं होती। 1965 में पहली बार वहां के लोगों पर लाठी चलाई गई क्योंकि लोगों ने ईद का त्यौहार होने के कारण जहाज से सामान उतारने से इन्कार किया

था। सरकार को उचित जांच करने हेतु कई बार ज्ञापन दिया गया है परन्तु इस मामले की कोई जांच नहीं की गई है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करें।

इन द्वीपों के लोग शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अब अधिकांश बच्चे स्कूलों तथा कालेजों में जाते हैं। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण कई बच्चों को अपनी शिक्षा को बीच में ही समाप्त करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह वहां के लोगों को अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करें तथा मुख्य देश में पढ़ने के लिए आने वाली सभी विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करें।

मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। वहाँ चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है जो कि बेकार पड़ा है। इससे वहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। मछली पालने के उद्योग को भी विकसित किया जा सकता है। शेल उद्योग के विकास के लिये भी वहां पर पर्याप्त गुंजायश है। वहां पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर लोगों को समृद्ध बनाया जाना चाहिए।

वहाँ लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि वहाँ के अनर्हता प्राप्त लोगों को जो अन्य विभागों में कार्य कर रहे हैं वहाँ के प्रशासन में नियुक्त किया जाये। लगभग एक हजार कर्मचारी वर्ग में वहाँ के निवासी केवल सात अथवा आठ ही हैं। मुख्य भूमि से जाने वाली कर्मचारियों को 40 प्रतिशत भत्ता क्वाटर तथा अन्य सुविधायें दी जाती है जो कि वहां के निवासियों को उपलब्ध नहीं है। ये सुविधायें उनको भी दी जानी चाहिए।

प्रायः सभी द्वीपों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। कम से कम बड़े-बड़े द्वीपों में आधुनिक साजसमान से सुज्जित अस्पताल खोले जाने चाहिए।

अन्त में मैं सरकार से अपील करूंगा कि वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाये। सलाहकार परिषद् के सदस्यों को लक्कादीव द्वीप से चुना जाना चाहिए।

श्री नि० चं० चटर्जी (बदर्वान) : नक्सलबाड़ी समस्या को बहुत सीमा तक नाटकीय रूप दिया गया है। पश्चिमी बंगाल तथा देश के अन्य भागों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो संयुक्त मोर्चे की सरकार को उलटने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ऐसा किया गया अथवा राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया तो वहां पर गड़बड़ फैल जायेगी।

नक्सलबाड़ी की घटनाओं से विशेषकर गत दो अथवा तीन दिनों में घटी घटनाओं से हम बहुत चिन्तित हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। निर्धारित समय समाप्त हो गया है परन्तु जो लोग लूटमार तथा हत्याओं आदि के लिये जिम्मेदार हैं उन्होंने अभी तक आत्मसमर्पन नहीं किया है। इस बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार को ठोस तथा दृढ़ कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे समाजविरोधी तत्वों को दबाया जा सके। एक अच्छी बात यह हुई है कि पश्चिमी बंगाल के दो वाम पंथी मंत्रियों सर्वश्री ज्योतिबसु तथा हरि कृष्ण कोनार इन अराजकता फैलाने वाले तत्वों की निन्दा की है। हम चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल सरकार इन तत्वों के

दमन के लिए कड़ा रवैया अपनाये। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिये उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्रियों तथा घेराव को आरम्भ करने वालों ने यह महसूस किया है कि घेराव सभी के लिये खतरनाक है। अतः इस प्रकार के तरीकों को समाप्त किया जाना चाहिए। यदि इस चीज को समाप्त नहीं किया जाता तो पश्चिमी बंगाल में पूंजी बाहर जानी आरम्भ हो जायेगी जो कि एक खतरनाक बात होगी। इसके लिये यह आवश्यक है कि मजदूर सघों को लोकतन्त्रीय आधारों पर संगठित किया जाये।

पश्चिमी बंगाल की वास्तविक समस्या नक्सलबाड़ी न हो करके खाद्यान्न की कमी की है। अभी कल ही जबकि वहां के मुख्य मंत्री यहां आये तो उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की कमी के कारण पश्चिमी बंगाल में विधि व्यवस्था की समस्या गम्भीर होती जा रही है। यह सच है कि यदि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनाज की वसूली की योजना को उचित ढंग से लागू किया होता तो स्थिति कुछ अच्छी होती परन्तु केन्द्रिय सरकार ने भी राज्य के साथ भेदभाव की नीति अपनाई है। केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों को मिलकर इस समस्या को सर्वोत्तम ढंग से हल करने का यत्न करना चाहिए।

भारत के भूतपूर्व महा न्यायवादी ने कहा है कि आपात से देश में सांविधिक तानाशाही उत्पन्न हो गई है। अतः आपात को जारी रखना असंवैधानिक है। गृह-मंत्री के लिये यह कहने का कोई लाभ नहीं कि आपात को सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 358 के अधीन जब भी आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत उल्लिखित सभी 7 अधिकार स्वयं स्थगित हो जाते हैं। कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। यदि सरकार आपात को गम्भीरता से समाप्त करना चाहती है तो उसको संविधान के अनुच्छेद 358 को रद्द करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपात को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने के लिये संविधान के अनुच्छेद 359 का आश्रय लिया जा सकता है। क्योंकि इस अनुच्छेद के एक उप-खण्ड में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री नि० चं० चटर्जी नक्सलबाड़ी की स्थिति को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट्समैन के रिपोर्टर ने स्वयं वहां जाकर स्थिति का अवलोकन किया है। उसने यह विचार व्यक्त किया है कि चाय बगाना के कुछ श्रमिकों के अनुसार, जिनके पास गांवों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिन पर उग्रवानियों का अधिकार है, किसान सभा के नेताओं ने उनकी जमीन पर इस बात के निशान लगा दिये थे कि ये जमीनें सभा की हैं।

माननीय सदस्यों को पता होगा कि संसद् के एक सदस्य के साथ वहां पर किस प्रकार का अमानवीय अत्याचार किया गया है और उनका कितना अपमान किया गया है। इसका उल्लेख उन्होंने अपने पत्र में किया है। अतः इस समस्या ने काफी गम्भीर रूप धारण कर लिया है।

नक्सलबाड़ी अथवा पश्चिम बंगाल में इस समस्या के बारे में यह भी कहा गया है कि यह जोतेदारों और काश्तकारों की लड़ाई है। यदि ऐसा है तो क्योंकि भू–राजस्व राज्य का विषय है, अतः पश्चिम बंगाल की सरकार को इसका पूरा अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार भूमि में सुधार कर सकती है।

यह इतनी आसान समस्या नहीं है, जितनी कि श्री नि० चं० चटर्जी इसको समझ रहे हैं। इस समस्या के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। वस्तु स्थिति तो यह है कि जो लोग हमारे देश में लोकतंत्रात्मक प्रणाली में विश्वास नहीं करते, यह उनकी गड़बड़ पैदा करने और संकट को अधिक बढ़ाने की चाल है। अब समय आ गया है कि प्रत्येक राजनैतिक दल देश में हो रही घटनाओं तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति गम्भीरतापूर्वक विचार करें। लोकतन्त्र खतरे में है, तथा गैर कानूनी कार्यवाहियों के द्वारा समूचे सामाजिक ढांचे को ही अस्त व्यस्त कर दिया गया है। न केवल नियमित ढंग से कानून और व्यवस्था में बाधा डालने का प्रयास किया गया है बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को स्थापित करने का भी प्रयत्न किया गया है। इस देश में लाल रक्षक दल के तरीके का एक आन्दोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है।

इन संगठनों में से कुछ संगठनों की गतिविधियों की ओर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि लोकतंत्रीय ढांचे को पलटने, कानून और व्यवस्था को भंग करने और देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है।

मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि श्री डांगे ने गृह-मन्त्री जी पर यह आरोप लगाया है कि वे निहित स्वार्थ वाले तत्वों के एजेन्ट हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि सभा के अन्दर इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। श्री डांगे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को मन्त्री जी के विरूद्ध इस प्रकार के आरोप अथवा आक्षेप नहीं लगाने चाहिये। मेरा पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो कुछ भी करेगी सही तरीके से करेगी, लोकतंत्रीय तरीके से करेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक भाग में विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। मद्रास में द्रविड़–मुनेत्र–कड़गम के सदस्य जिस प्रकार का 'सम्पन्नता ब्रिगेड' बनाने का विचार कर रहे हैं, उस पर पूरी निगरानी रखनी होगी। मैं इस बात पर स्पष्ट शब्दों में जोर देना चाहता हूं कि हमें इस बात की भरसक कोशिश करनी चाहिये कि हमारे देश की प्रभुसत्ता कायम रहे।

मेरा गृह-मंत्री जी से अनुरोध है कि जहां तक राज्यों के बीच विवादों का सम्बन्ध हैं, चाहे ये सीमा सम्बन्धी विवाद हो अथवा पानी के नियतन के बारे में हो, इन विवादों को शांतिपूर्वक तथा शीघ्रता से सम्बन्धित व्यक्तियों में अनावश्यक क्रोध और उत्तेजना पैदा किये हल किया जाना चाहिये। हमें पृथकतावादी प्रवृत्तियों को उभरने से रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहियें।

भाषा की समस्या के बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि यह नीति हमारे देश के सभी वर्गों के लिये स्वीकार्य हो।

बहुत से राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकारें हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि केन्द्र और गैर–कांग्रेसी सरकारों वाले राज्य आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते। जनता का जिसमें विश्वास होगा, वह उसी दल को चुनाव में मत देगी। अतः इस बारे में एक स्वस्थ परम्परा का निर्माण करना होगा।

क्षेत्रीय असंतुलन के कारण ही एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ कठोर रवैये में वृद्धि हुई है। जब तक इस क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक नहीं किया जायेगा और उसके कारणों का पता लगाने और उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया जायेगा, तब तक इस प्रकार की बातें होती रहेंगी, केन्द्र को प्रत्येक राज्य को यह अहसास कराना चाहिये कि वह इस देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में बराबर और उचित भागीदार है।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मनीपुर) : सब से पहले मैं उस स्थिति का वर्णन करना चाहूंगा जिसके कारण मैं इस देश के उस सीमावर्ती इलाके की गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये यहां आया हूं। मेरा अर्थ इस भाग में अराजकता की स्थिति से है। मनीपुर में अराजकता, गरीबी आदि की स्थिति विद्यमान है। इसके लिये नागा समस्या ही जिम्मेदार है। देश के अन्य राज्य क्षेत्रों में कुछ विकास तथा प्रगति हुई है, जब कि मनीपुर राज्यक्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसकी दशा दयनीय है।

अब मैं बाह्य मनीपुर के आदिम जाति के लोगों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये आदिम जाति के लोग बहुत निष्ठावान हैं। बाहरी मनीपुर में अधिकतर कोकी आदिम जाति के लोग रहते हैं। इन लोगों तथा अन्य आदिम जातियों की ओर सरकार पूरा ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग सरकार के पास गये और उन्होंने अपनी कठिनाइयां बताईं लेकिन उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया। वास्तव में इन लोगों के साथ भारत के उपेक्षित नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया है और उन्हें मालूम नहीं है कि इस बड़े लोकतन्त्र में उन का क्या स्थान है। कहा जाता है कि भारत में सभी नागरिकों को समान अवसर और समान व्यवहार प्रदान करने का आश्वासन संविधान में दिया गया है। लेकिन इन उपबन्धों को समाज के कुछ वर्गों में क्रियान्वित नहीं किया गया है।

जहां तक भारत की प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है, सीमावर्ती लोगों को प्रत्येक विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाया जा सके।

नागा विद्रोहियों ने न केवल चुनावों का बहिष्कार किया, अपितु लोगों को अपने मत डालने से रोकने का प्रयत्न किया। इस प्रकार मनीपुर के बहुत से देश भक्त लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। चुनाव के दिनों में एक दुःखद घटना हुई। चुनाव के दिन कुछ देशभक्त, कोकी लोग इस संदेह पर गिरफ्तार कर लिये गये कि वे विद्रोही नागा हैं। इसके बाद भारत प्रतिरक्षा नियमों के उपबन्धों के अधीन सामूहिक रूप से गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी

किये गये। ये कोकी लोग अभ तक भी बरहामपुर सेंट्रल जेल में हैं। इस सम्बन्ध में भी लोकी लोगों द्वारा मनीपुर के मुख्य आयुक्त, मुख्य मन्त्री और शायद गृह मन्त्री को भी जो ज्ञापन दिया गया है, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब तक नागा समस्या का हमेशा के लिये कोई हल नहीं किया जायेगा, तब तक देश के उस भाग में कोई प्रगति नहीं हो सकती, उसका विकास नहीं हो सकता।

बाहरी मनीपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र आदिवासी लोगों के लिये आरक्षित है। लेकिन वहां पर थोगल नाम का एक सब-डिवीजन है, जिसे इस चुनाव क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस चुनाव क्षेत्र को शामिल करना गलत है और संविधान की भावना के प्रतिकूल है। यह चुनाव क्षेत्र केवल आदिवासी लोगों के लिये है। इसको शामिल करने से अधिक गड़बड़ी हुई है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे और इस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि समूचे सीमावर्ती क्षेत्र को आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, जिससे देश की रक्षा पंक्ति हमेशा के लिये मजबूत हो जायेगी। मनीपुर के तीन सब डिवीजन माओमेराम, तामेंगलांग और उखरुल युद्ध विराम समझौते के अधीन युद्ध विराम क्षेत्र घोषित किये गये थे। इसके कारण इन तीन सब डिवीजनों के कुछ व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले रहे है और समाज विरोधी तत्व इसका लाभ उठा रहे हैं। इनके शामिल करने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति को सुधारने, लोगों को संतुष्ट करने तथा उन्हें वैध और लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिये मनीपुर का दर्जा ऊंचा किया जाना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : प्रशासनिक सुधार आयोग के काम के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था और इसकी छानबीन की गई थी कि रेलवे, प्रतिरक्षा, वैदेशिक-कार्य और गुप्तचर्या सम्बन्धी अध्ययन को आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया। इन बातों की जांच करने से आयोग को रोका नहीं गया था। उसे केवल यह अनुमति दी गई थी कि यदि वह चाहे तो इसे छोड़ सकता है। बाद में रेलवे की समस्याओं पर विचार करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक कार्यवाही दल बनाया। उसने प्रतिरक्षा के मामलों में प्रशासनिक सुधारों सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल बनाया। इस अध्ययन दल का काम अभी चल रहा है। जहां तक वैदेशिक-कार्य मत्रालय का सम्बन्ध है, प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति से पहिले भारत सरकार ने इस प्रश्न की व्यापक रूप से जांच करने के लिये एन० आर० पिल्लई समिति की नियुक्ति की थी और शायद इस समिति के कार्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस विशेष समस्या के अध्ययन का कार्य अभी तक अपने हाथ में नहीं लिया।

आयोग द्वारा 19 अध्ययन दल बनाये गये हैं जिनमें से 10 अध्ययन दलों ने अपने प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत कर दिये हैं। उसने तीन कार्यकारी दल भी बनाये हैं--एक रेलवे के लिये, एक पुलिस प्रशासन के लिये और तीसरा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के लिये। प्रशासनिक सुधार आयोग से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए है, उनमें से एक प्रतिवेदन नागरिकों

की शिकायतों को दूर करने और राजनीतिज्ञों तथा असैनिक कर्मचारियों के विरूद्ध समय समय पर लगाये जाने वाले आरोपों के सम्बन्ध में है। जैसा कि सभा को पता है आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकपाल और लोकायुक्त के पद भी बनाये जाने चाहियें। एक गैर सरकारी संकल्प पर इस सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी और आयोग के इन प्रस्तावों का सभा के सभी दलों के सदस्यों ने समर्थन किया था। भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में ये सिफारिशें मान ली है, परन्तु कोई अन्तिम निर्णय करने से पहिले हमने उन्हें राज्य सरकारों की राय जानने के लिये भेजा है क्योंकि इन पदों के अन्तर्गत राज्य सरकारों के कार्य भी आयेंगे तथा राज्य के असैनिक कर्मचारी और मन्त्री भी इन पदों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेंगे। कुछ राज्य सरकारों ने अपने अन्तरिम उत्तर भेज दिये हैं और शेष राज्यों से अभी उत्तर प्राप्त होने हैं। हम इन सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के इच्छुक हैं और जैसे ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा, सभा की स्वीकृति के लिये उचित प्रस्ताव पेश किये जायेंगे।

मद्य-निषेध की नीति के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और यह हमारे समाज के दुर्बल वर्गों के जीवन तथा कार्य की शर्तों से सम्बन्ध रखता है। जैसा कि सभा को पता है कि संविधान बनाते समय संविधान बनाने वालों ने राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में यह रखा था कि सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को मद्य निषेध लागू करने के लिये कोशिश करनी चाहिये, परन्तु मद्य-निषेध नीति को क्रार्यान्वित करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं जिसमें मुख्य कठिनाई संसाधनों की है। अनेक राज्य सरकारों को जो अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयत्न कर रही है, अधिक से अधिक क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि इससे उनको उत्पादन राजस्व की बहुत हानि होती है। राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है।

तीसरी योजनावधि में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह प्रस्ताव किया था कि यदि वे मद्य निषेध लागू करने के लिये तैयार हों, तो वह उनकी हानि का 50 प्रतिशत भाग पूरा कर सकती है।

बहुत सी राज्य सरकारें, जो मद्य निषेध को अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, अब इस संबंध में पुनर्विचार कर रही है। संसाधन की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे इस बारे में पुनर्विचार करने के लिये बाध्य है। जहां तक भारत सरकार के दृष्टिकोण का संबंध है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई टेक चंद समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इस प्रतिवेदन को विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। जैसा कि सभा को पता है, समिति ने सिफारिश की है कि मद्य-निषेध के कार्यक्रम को क्रम-बद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाये।

अधिकांश राज्य इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं, बशर्ते केन्द्रीय सरकार उनकी राजस्व की हानि को 100 प्रतिशत तक पूरा करने के लिये तैयार हो। मुझे विश्वास है कि जिन इलाकों में मजदूर रहते है, वहां मद्य निषेध का सब समर्थन करेंगे। मेरे विचार से मद्य निषेध एक अच्छी नीति है और पूरी सभा को इसका

समर्थन करना चाहिये। मद्य निषेध के लागू होने से जो राजस्व की हानि होती है, उसे पूरा करने के लिये हमें दूसरे उपायों की खोज करनी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि मद्य-निषेध को क्रियान्वित करने में क्या कमियां है, ताकि जहां भी मद्य-निषेध लागू हो, वह पहले से अधिक सफल सिद्ध हो।

एक प्रश्न उठाया गया है कि रिटायर होने के बाद उच्च पदाधिकारी गैर-सरकारी नौकरी करते हैं, यह मामला इस सभा में कई बार उठाया गया है, हमने एक नीति तथा कसौटी निर्धारित की है जिसके अधीन रिटायर होने के बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा वाणिज्यिक नौकरी के लिये दिये जाने वाले प्रत्येक आवेदन पत्र की जांच की जाती है। ऐसा संथानम समिति की सिफारिश के अनुसरण में किया गया है। सरकार की नीति यह है कि सेवा निवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में सरकारी कर्मचारियों को वाणिज्यिक नौकरी न करने दी जाय। इसके बाद उन्हें ऐसा करने की छूट है।

संघ राज्यक्षेत्रों में जो स्थिति है, उसका भी सभा में उल्लेख किया गया है, जैसा कि सभा को पता है, संघीय क्षेत्रों का निर्माण इसलिये किया गया है, क्योंकि उनकी अपनी विशेष समस्यायें हैं। इसी के कारण इनको सीधे प्रशासन में रखा गया है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां राजस्व की इतनी कमी है कि यदि इसे पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो वह अपने व्यय को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान गृह कार्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहूंगा; जिसमें ये आंकड़े दिये गये हैं। इससे पता चलता है कि केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न संघीय राज्यक्षेत्रों ने बहुत अधिक प्रगति की है। दिल्ली, त्रिपुरा और मनीपुर में प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ गयी है।

अब मैं राज भाषा के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्री कृष्ण मूर्ति ने कुछ बातें उठाई हैं उन्होंने यह सुझाव दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिये। मैं उनका ध्यान संसद में उनके अपने नेता तथा मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार के शिक्षा मंत्री की सिफारिश की ओर दिलाना चाहूंगा। मद्रास सरकार के शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर सहमत थे कि विश्वविद्यालयों में 15 प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीयभाषायें शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें उनके अपने नेताओं द्वारा की गई इन सिफारिशों की जानकारी है या नहीं और वे यह कह रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण मूर्ति : (कडलूर) माननीय मंत्री जी ने मेरे भाषण का गलत अर्थ लगाया है। मैं तो कांग्रेस पार्टी के संकल्प को क्रियान्विति के बारे में कह रहा था। मेरे कहने का अर्थ तो यह था कि संघ लोक सेवा आयोग या तो समस्त भाषाओं में परीक्षायें करें अथवा केवल अंग्रेजी में करें। परन्तु संघ लोक सेवा आयोग ने हाल में कहा है कि यह केवल कुछ भाषाओं में ही परीक्षायें लेगा। मुझे इस पर आपत्ति है। परीक्षा चौदह की चौदह भाषाओं में हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने सभा में कई बार यह भी घोषणा की है कि हमने संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में मान्यता देने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग इस सम्बन्ध में एक अनुसीमन (मॉडरेसन) सूत्र बना रहा है। आयोग भारत की विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाएं लेने के लिये आवश्यक तैयारी कर रहा है। थोड़े समय बाद आयोग हमें बतायेगा कि वह किस वर्ष से हमारे देश की चौदह भाषाओं में अपनी परीक्षाएं ले सकेगा।

कुछ लोगों के मन में कुछ सन्देह है कि अन्य भाषाओं की अपेक्षा एक विशेष भाषा को ऊंच दर्जा दिया जा रहा है। सरकार का ऐसा इरादा नहीं है। हम सभी भाषाओं के साथ एक सा व्यवहार करते हैं और सभी भाषाओं का पूरा सम्मान करते है। परन्तु सम्पर्क भाषा का प्रश्न हमारे सामने है। संविधान में हिन्दी को राज्य भाषा का स्थान दिया गया है और वह सम्पर्क भाषा का काम भी करेगी। यह संवैधानिक स्थिति कायम है और हमें केवल यह देखना हैं कि जब इस संवैधानिक स्थिति को अमली जामा पहनाया जाय तो उससे हमारे देश के अहिन्दी भाषी लोगों को कोई नुक्सान न पहुँचे।

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : जब हमने स्वतन्त्र देश के रूप में काम शुरू किया तो उज्ज्वल भविष्य में कई वचन दिये गये थे। लेकिन आज हमें चारों ओर से हार तथा निराशा प्राप्त हुई है। इस स्थिति के लिये हमारे नेता जिम्मेदार हैं। सत्ता के लिये उनके भ्रष्ट होने में कोई समय नही लगा। वास्तव में इन तमाम वर्षों में हमारे नेताओं ने हमें झूठे आश्वासन दिये जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया और लोगों को धोखे में रखा गया।

गत बीस वर्षों में एक ओर तो आर्थिक संकट और अराजकता बढ़ गई है और दूसरी ओर बुनियादी अधिकार कम कर दिये गये हैं और नैतिक मूल्य कम हो गये हैं। इन सभी बातों का परस्पर सम्बन्ध है क्योंकि इनका कारण वही है जिसके लिये मुख्य रूप से गृह-कार्य मन्त्रालय उत्तरदायी है। गृह-कार्य मन्त्रालय का पहला काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। परन्तु "कानून तथा व्यवस्था" का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न भिन्न है। लोकतंत्रात्मक परिभाषा में 'कानून' शब्द पर जोर दिया गया है। इसके विपरीत गृह-कार्य मन्त्रालय में शुरू से ही "व्यवस्था" शब्द पर जोर दिया है। ऐसा करके उसने तानाशाही परिभाषा को स्वीकार किया है और अपनी सत्ता को स्थायी रूप से बनाये रखने के लिये लोकतन्त्र को आघात पहुंचाया है और ऐसा करके उसने देश में राजनीति को पनपने नहीं दिया है।

सेवाओं का पूर्णतया नैतिक पतन कर दिया गया है। नीचे के अधिकारी ऊपर के अधिकारियों की अवैध मांगों को पूरा करते है और ऊपर के अधिकारी भी मन्त्रियों अथवा संसद सदस्यों की मांगों के सम्बन्ध में यही रुख अपनाते हैं और इस प्रकार भ्रष्टाचार की एक शृंखला बन गई है। किसी को भी दण्ड नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस शृंखला की सुरक्षा के लिये इसकी प्रत्येक कड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा अपराध स्वयं पुलिस द्वारा किये जाते हैं जिसे गृह मन्त्रालय का संरक्षण प्राप्त हैं। यह सारी अराजकता कानून और व्यवस्था

बनाए रखने की आड़ में फैलाई जाती है। जब तक कानून तोड़ने वालो को गृह मन्त्रालय संरक्षण देता रहेगा तब तक कानून और व्यवस्था की बात करना बेकार है।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) :Much has been said on prohibition. It has been stated on behalf of the Government that the centre is in favour of prohibition but the States are finding it difficult to implement it on account of financial difficulties. If there are difficulties in its implementation, these should be overcome to save the families of labourers and down trodden people from ruination. The loss of revenue resulting from implementation of the policy o prohibition can be made good by enhancing entertainment tax and sales tax.

The law and order situation in the country is very serious. The happenings in Naxalbari are an eye-opener. Such tendencies will have to be fought with firmness. The Home Minister should see that internal security and peace is maintained at any cost.

{श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Mr. C. K. Bhattacharya *in the Chair*}

Government have been taking all possible steps to check corruption. It is wrong to say that an enquiry was instituted against Bakshi Ghulam Mohammed because he had left the Congress. The cases of late Shri Pratap Singh Kairon and of Shri K. D. Malaviya are before us which show that Government did not spare even congressmen in this respect

It is not proper to reduce the age of retirement of Government servants to 50. Instead it should be increased as the longevity of life has been registering an increase in this country.

Food zones should be abolished as they are not in the national interest. The example of the European Economic Community is before us where the member-countries have done away with their trade barriers and have gained thereby. Britain which had not joined it previously is very much anxious to become a member of this community in the interest of her own prosperity. By having these zones we are adding to our problems and are also putting up obstacles in the way of emotional integration of the country.

Another things that stands in the way of our naional integration is this. People of other States of India are not allowed to acquire property in Kashmir and some areas of Assam. This provision should be removed to promote the feeling of oneness in the country.

The structure of our services also needs revision. We made an assessment of our requirements of trained personnel like engineers, doctors, nurses, etc. and taking that into consideration technical institutions were opened to meet our requirements of trained personnel. But it is strange that these trained hands have remained idle because they could not get employment in States other than their own. This is because of the tendency of the different States to recruit persons from their own State. It should be our endeavour to see that our trained personnel is utilised fully and to the best advantage of the country as a whole.

Linguism, casteism and provincialism are our three great enemies. The country is being divided in small parts on the basis of language or caste. The different States fight between themselves on the question of boundary. After all they are an integral part of this country and it does not make any difference if some part remains in one State or the other.

श्री अंबचेजियान (डिंडीगुल) : होमगार्ड संस्था केन्द्रीय सरकार पर बेकार का भार है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार के वर्तमान रुख से संकेत मिलता है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है । यदि ऐसा किया गया तो यह लोकतन्त्र पर कुठाराघात होगा । गृह मन्त्री को इस मामले में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ।

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त की जानी चाहिये । सरकार को इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये । यदि इस प्रयोजन के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो सरकार को यह संशोधन करने में संकोच नहीं करना चाहिये ।

केन्द्रीय सचिवालय के स्टेनोग्राफरों के लिये पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम है । बहुत से स्टेनोग्राफरों को काम करते 20 वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु उनकी पदोन्नति नहीं हुई है । गृह मन्त्री को इस बारे में विचार करना चाहिये । उनकी पदोन्नति में इतना अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

जहां तक भाषा सम्बन्धी समस्या का सम्बन्ध है मेरी राय में कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा से श्रेष्ठ नहीं है । अतः देश की सभी 15 भाषाओं के साथ एकसा व्यवहार किया जाना चाहिये और उनके विकास के लिये समान अवसर दिये जाने चाहिये । संसद के केन्द्रीय कक्ष में बहुत से राजनीतिक नेताओं के चित्र लगे हुए हैं । तमिल के कवि तिरुवल्लूर का चित्र भी वहां पर लगाया जाना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : One of the important decisions taken by the Consituent Assembly was in regard to the question of the national language. Subsequently the former President, late Dr. Rajendra Prasad, had passed two orders that as far as possible Hindi should be used in offical correspondence. But these orders are not being implemented and the progress so far made in this regard is very poor. Have these orders of the President of India been annulled by his successors or Parliament has passed any resolution to annul the order of the President ? The President's order has no value while much is being made of the assurance of the late Prime Minister Shri Nehru. The late Prime Minister's assurance was not that English would continue indefinitely until all the non-Hindi Speaking States accepted Hindi as the link language. It would not be in the national interest to give veto power to a small State in the garb of the Late Prime Ministers' assurance.

Regarding Language Bill I would like to say that due to the policy of indecision by the Government Congress could not come to power in four out of seven Hindi speaking States. We are definitely not in favour of imposing Hindi on Madras or Bengal if they do not accept it with their own free will. At the same time, I would like to know as to what objections the Government have to the correspondence in Hindi with the seven Hindi-speaking States.

The second thing which I want to say is that the situation in Jammu and Kashmir is becoming serious. It is time that now the number of infiltrators is less but a good number of Pakistan spies are still active in the State. For example as soon as the Chief Minister there had issued a statement at the time of Arab-Israel conflict there were disturbances in the State. In view of this the Home Minister should not taken any hasty step for the release of Sheikh Abdullah, as it may not create any undersirable situation in the State.

I do not want to say as to what is being broadcast by China and Pakistan Raidos about Naxalbari but atleast it is not proper for the Central Government to sit idle and simply see what is happening there. I want to point out these cases of arson, beating and criminal assaults are being committed every day. These cases will lead to serious conse quences and I fear that the incidents occuring in Naxalbari might also speak in Nagaland and eastern region.

It has been said that diamonds worth crores of rupees are being sent by the present Nizam of Hydrabad to Turkey. But Shri K. C. Pant, Minister of State in the Ministry of Finance has denied the knowledge of this fact. This is a sertous matter. The hon'ble Minister should not overlook this fact. Because in this way Indian money might not be sent to Pakistan via Turkey and Iran. At the time of Portugese rule in Goa, many people were forcible converted into Christianity. Now those persons want to be converted into their own religion. But according to a law enforced by portugese Government a fee of Rs. 75.00 is required to be paid for this coversion, Unfortunately that black law is still in force there.. This is nothing but a blot on the name of India. Ministry of Home Affairs should analyse this and the affected persons may be provided with necessary facilities to get themselves converted in to their own religion.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : गृह मन्त्रालय देश के आन्तरिक प्रशासन का आधार होता है जिसके अन्तर्गत बहुत से विषय आ जाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि गृह मन्त्रालय को दलगत नीति से ऊपर रखा जाना चाहिये। गृह मन्त्रालय को राष्ट्रीय दृष्टि-कोण अपनाना चाहिये जिससे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सके। यह दलगत राजनीति से जितना ऊपर रहेगा उतनी ही इसे सफलता मिलेगी।

आज हमारा देश बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। सब ओर निराशा और असन्तोष का वातावरण बना हुआ है। प्रशासन का खर्च बढ़ रहा है। सारे देश में भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। इसका मुख्य कारण देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति है। इस देश में जीवन निर्वाह का खर्च बढ़ जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर बोझ बढ़ रहा है। करों में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिये एक छोटे शहर में एक ही दुकानदार कई काम करता है। वह कपड़ा, लोहा, सीमेन्ट, अनाज आदि कई वस्तुओं का व्यापार करता है। यदि उसकी वार्षिक बिक्री 50000 रुपयों की है तो उसे मुश्किल से 5000 रु० की बचत होती है। जबकि सभी वस्तुओं के लिये उसे पृथक पृथक लाइसेंस, परमिट लेने पड़ते हैं और कई प्रकार के विवरण भेजने पड़ते हैं। कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। वास्तव में देहातों की स्थिति में सरकार ने किसी प्रकार का सुधार नहीं किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल 6,000 वर्गमील है और पिछले 20 वर्षों के दौरान वहां पर 20 वर्ग मील क्षेत्र में ही सड़क बनाई गई है। ऐसी स्थिति में सरकार बताये कि उनकी नीतियों से जनता को कैसे लाभ पहुंच रहा है? अब भी अंग्रेजी शासन काल की पद्धति लागू है। अब भी अधिकारी वर्ग दमन की नीति को अपना रहा है। वे जनता में आतंक फैलाते हैं। गृह मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे इस प्रकार की नीति को बदला जा सके।

हमें नारेबाजी को छोड़कर अपने उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए। श्री डांगे ने कल कई नारों का उल्लेख किया। राजनीतिक नारों ने हमारे राष्ट्रीय चरित्र को काफी गिरा दिया है। शासक और शासित दोनों पर ही इन नारों का प्रभाव पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य साम्यवाद

पूंजीवाद या और कोई वाद की स्थापना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सामाजिक कल्याण हैं। हमारा उद्देश्य जनता की स्थिति सुधारना है जिससे जनता धनवान बनें। उन्हें अच्छा कपड़ा और अच्छा अनाज उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जो तरीका सहायक हो, वही हमारे लिये हितकर है। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में स्पर्धा की भावना से काम होना चाहिये। यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये। एक वाद को छोड़कर दूसरे वाद को पकड़ने से हमारा कोई हित नहीं हो सकता। अतः हमें यथार्थवादी होना चाहिये।

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में तथा विशेषकर नक्सलबाड़ी के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है। उन बातों को दोहराने से तो कोई लाभ नहीं होगा परन्तु पेकिंग रेडियो के प्रसारण से इतना तो प्रमाणित हो चुका है कि नक्सलबाड़ी के मामले में विदेशी तत्वों का हाथ है। एक ओर यह स्थिति है और दूसरी ओर हमारी पुलिस वहां खड़े मुंह देख रही है। उन्हें कोई कार्यवाही करने की अनुमति नहीं है।

नक्सलबाड़ी की घटनाओं को पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों से पृथक नहीं किया जा सकता। वहां काफी समय से अराजकता की स्थिति चल रही है। बहां पर लोगों को कई प्रकार की यातनायें सहनी पड़ रही हैं। लोगों का कई प्रकार से अपमान किया जाता है, परन्तु सब से बुरी बात यह है कि सभी घटनायें पुलिस के सामने घटती हैं, और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। संयुक्त समाजवादी दल को एक नेता की सैकड़ों लोगों और पुलिस के सामने हत्या कर दी गई और 30 जून तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या इस प्रकार से हमारा लोकतन्त्र चलेगा ? गृह मन्त्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि क्या इसी प्रकार नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की जायेगी ? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई चाल है। यह नहीं हो सकता कि केन्द्र सरकार इन बातों से अवगत न हो। मैं समझता हूं कि इसमें चाल यह है कि स्थिति को और खराब होने दिया जाये जिससे विपक्षी सरकार वहां पर शासन चलाने में असफल हो जाये और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाये। यह बात काग्रेस संसदीय दल की बैठकों की कार्यवाही से स्पष्ट हो जाती है। क्या कानून और व्वस्था की स्थिति से निपटने का यही तरीका है। क्या जनता इस बात को सहन करेगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : उन्हें इन बैठकों में दिये गये और भाषणों को भी पढ़ना चाहिये। प्रत्येक बैठक के बाद कांग्रेस दल ने काफी संयम से काम लिया है। माननीय सदस्य कांग्रेस दल के सदस्यों के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : कांग्रेस दल अपने दल के हितों से ऊपर नहीं उठा। इसका एक और उदाहरण गोआ का है। हाल के चुनावों के बाद शासक दल के 15 सदस्य और विरोधी पक्ष के 14 सदस्य चुने गये थे। उसके बाद शासक दल की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने दो सदस्यों को मनोनीत कर दिया और उनकी संख्या 17 हो गई। इससे उस राज्य के शक्ति सन्तुलन में काफी अन्तर पड़ गया है।

एक और उदाहरण लीजिए। राजस्थान में सरकार निर्माण कार्यों के लिए जीपें ठेकेदारों को देती है। इनमें इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल का खर्च ठेकेदार वहन करते हैं परन्तु चुनाव के

समय ये जीपें राजस्थान में ठेकेदारों के नाम बहुत सी जीपें दी गई परन्तु वास्तव में वे ठेकेदारों के पास बिल्कुल नही भेजी गई । ठेकेदारों से यह कह दिया गया कि चुनावों तक इन जीपों का प्रयोग कांग्रेस दल के उम्मीदवार करेंगे । (व्यवधान)

सीमावर्ती क्षेत्रों में असुरक्षा की स्थिति होने के कारण वहां की जनता के मन में घबराहट है । जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती । वहां अपहरण, मवेशी उठाने और घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं । इससे अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि आक्रमण के समय जो लोग सीमा के पार चले गये थे वे अब वापिस लौटकर आ रहे हैं । उन्हें रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं हैं । वे हमारे लोगों में घुलमिल रहें हैं और फिर सभी प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए हैं । सीमा की उचित सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सीमा सुरक्षा बल को शक्तिशाली बनाया जाये । इस सम्बन्ध में राजस्थान की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये जहां सड़कों की हालत बहुत खराब है । मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाये और सीमा सुरक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I support the demands of Ministry of Home Affairs. The opposition parties have been oppossing the demands for the sake of opposition only. Had they read the annual report of Home Ministry, they would have not criticised the Ministry, at all. It is only because of appreciable arrangement of Home Ministry that General Elections passed of peacefully. I can prove that oppostion parties in cited policemen of Delhi and because of their support they started agitation. How can these people be called as nationalists. Shri Dange has said that congress party is of capitalists. In fact opposition parties should look to themselves first

Shri Dange has alleged that democracy is being done away within this country. This Government is enemy of the labourers. Had Shri Dange and Shri Gopalan behaved in this manner in China or Russia, they would have been shot dead or hanged. They abuse us, they have beaten a member of Parliament, but we have not taken any action against them. But inspite of this fact they allege that democracy is being done away with. They have threatened that if ten or twenty thousand tons of foodgrains have not been sent to Naxalbari they will start fighting.

Shri A. N. Mulla has also made uncalled for allegations against the Government. At the time of British rule no body could utter these remarks against an ordinary Patwari or a policeman which he has uttered against Prime Minister and Pr sident of India. He could do so only because of fundamental rights provided by the congress party.

Himachal Pradesh should be brought at par with other States. It should be a full fledged State. This argument does not hold good that Himachal Pradesh is not economically sound or it is not self sufficient as there are many other States which are not self sufficient. The area of Himachal Pradesh is 22 thousand square miles and its population is 29 lakhs. Nagaland has been constituted as a separate State on similar lines. I would also request that Dogri language should also be included in the eighth schedule of the constitution. The Government employees of Himachal Pradesh, who are at preseut working in Punjab and Haryana and wish to come to Himachal Pradesh, should be allowed to do so.

Law should be amended to ensure that eve tearers could be awarded stern punishment but a provision should also be made under which girls and women would not be required to attend courts to appear as. witnesses against the goondas.

The Government employees should not be allowed to take part in politics and no Government servants should be granted leave three months prior to elections.

Public vehicbes Act should also be amended so as to ensureb etter treatment by Taxi Scooter, bus drivers with general public.

Government servants or officers should not remain at the same post for more than three years. Thereafter they should be promoted but corrupt Government servants should, however, be discouraged.

Retirement age of Government servants should not be more than 55 years or 30 years' service so that young persons could be promoted.

Section 107 and 151 of criminal Act should be abrogated and it should be prepared in such a way that police could not tease people unnecessarily.

Some arrangements should be made to listen to public complaints at all the District Headquarters.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Mr. Speaker, Sir, our first and formost duty is to uphold our law. We have committed many mistakes in the past and the formation of linguistic states is one of them. I think it would have been much better if we would have divided our country into four or five administrative zones insted of forming these linguistic States.

Today the position is that every State is pleading the case of its language. So far as the language question is concerned we must abide by the verdiet of our constitution and Hindi should be our official language, I would request the non-Hindi speaking people of the country to learn Hindi. Hindi has been enshrined in our Constitution as a official language. At the same time I would also like to say that while Hindi should be our official laguage, the regional languages should be developed and given their due place. I do not subscribe to the view that English should be replaced by Hindi forthwith. It may take some time But no body can justify the continuance of English for ever and ultimately it has to be replaced.

So far as the question of Prohibition is concerned, our aim should be for total prohibition throughout the country. There may be some financial difficulties in the way of certain States for enforcing prohibition But financial considerations should not stand in our way and we should enforce prohibition effectively.

Next I would like to say a few words about backward classes. So far as the question of the people of backward classes is concerned, some of them have adopted Budhism and as such they are of certain rights which they had as members of scheduled castes. I want to point out that they have changed their faith within Hindu religion. They have not adoped any other religion. So they should be given all those rights, which they enjoyed hencseforth as members of backward classes.

As far as the question of discipline is concerned, I would request the hon. Members opposite that no doubt they have defeated the congress candidates and they have also

been able to form their Governments in six or seven State, yet if they want to take the country to the path of progress they must cooperate with us. Their co-operation is solicited.

The Defence Minister is well aware of the position that temple of Jhanshi was build by a saint on behalf of Hindus and that is under their possession. So it is not right to say that the temple is now under the possession of defence personnel. In order to avoid any untowards incident and also to ensure peace, I suggest that a committee be constituted having representatives of the public and that of the persons of Defence Department to look after that temple and as long as that saint is alive, he should be entrusted to look after the temple.

There are two diametrically opposite views about the abolition of privy purses of ex-rulers of Indian States. Some hon. Members are of the view that conditions have totally changed since independence and the privy purses should be abolished and some are of the view that they shou'd be continued as we had given certain promises to ex-rulers. I think we should appeal to the ex-rulers to co-operate with us in this matter and a solution to this problem should be found out by mutual consent, keeping in view the present circumstances of the country.

It has been stated in the Report that the Central Bureau of Investigation had decided 44 cases during 1966. Some hon. Members may not agree with me, but I must say that the Central Bureau of Investigation has done a commendable work and it deserves our appreciation for the good work it had done.

The Report of the Ministry says that Departmental Councils have so far been set up only in four Ministries, I would like to know from the hon. Minister as to why such Councils have not been set up in other Ministries also ?

It has been given in the Report that the present strength of the Members of Union Public Service Commission is nine and it is less by one Member. I want that one more member should be appointed and the commission should have its full strength.

It is of utmost importance that religious or spiritual instructions should be given in our educational institutions. There should be some course of the type. Spiritual education is essential not only for the betterment of our country, but it is essential for the betterment of entire humanity and for the person who gets it.

From the figures given in the report it appears that sufficient efforts have not been made to give adequate representation to the Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services. So I request that Government should make all efforts to uplift the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Adequate representation should be given to them in I.A.S. and other services.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The political map of the country has been changed to a large extent by the General Elections. Non Congress Governments have come into power in eight State. Even at the Centre the majority of the ruling party has been reduced to the extent that they are no longer in a position to amend the Constitution without getting help from the opposition.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair* }

So I request to the Home Minister that he should give due consideration to the changed circumstances of the country. In the changed circumstances the Ministry of Home Affairs should discharge the duties in a manner which may not spoil Centre-State relations, jeopardise the unity of our country and help those elements which are bent upon to create marchy in the country.

It is very distressing that the Minister of Home Affairs is giving refuge to such elements in Punjab which are busy in smuggling with Pakistan. The Home Minister is a senior Congress leader and it is but natural that he will always keep in mind the interest of his party. But I want to tell him that party interest is not above national interest and in case he gives more weight to the interests of his party than to the nation, than it will be very difficult for him to save the integrity of the country. The non-Congress Government in Punjab has created communal harmony in that State during the very short period of their regime, which Congress Government could not achieve during its 20 years rule. But it is most unfortunate that the Home Minister is giving refuge to those elements who want to topple the non-Congress Government of Punjab. The Home Minister is angry with the non-Congress Government of Haryana, because the Chief Minister of Haryana has refused to accept the Prime Minister as arbitrator on the question of Chandigarh. I fail to understand why the Home Minister should be angry with the Chief Minister of Haryana on this score. The Home Minister should give precedence to the interests of the country over those of his party in case of conflict between the two

Delhi is an Union Territory and the electorates of this Metropolitan city have given a chance to Jan Sangh to run the administration of this city. But it is a matter of regret that certain difficulties are being created for Delhi Administration. Under the Delhi Administration Act it has been provided that it would be the responsibility of Central Government to maintain law and order and the remaining services would be looked after by Delhi Administration

Though under the said act the President has been empowered to take over any service he deems necessary by issuing an order, but it was expected that Centre would look after the law and order situation only and that it would not interfer in other matters. I fail to understand as to why the Central Government has felt it necessary to take over housing and services under their charge. However it is a good thing that the Ministry of Home Affairs have delegated powers to Delhi Administration. But in order to run the Administration smoothly the Delhi Administration should have connections with the Ministry of Education in the matter of Education, with the Ministry of Transport in the matter of Transport, with the Ministry of Health in the matter of health and so on and so like the Ministry of Home Affairs these Ministries should also delegate powers to Delhi Administration.

It is unfair on the part of Delhi Congress to term the Lt. Governor of Delhi as a Jan Sanghi. It is regrettable that a communal colour is being given by them to the demolition of certain huts near Irwin Hospital, though these huts were demolished after consulting the prominent Muslim leaders of Delhi like Mr. Fakhrudin Ali Ahmed and Mir Mustaq Ahmed. Again it is really unworthy on the part of Minister of State in the Ministry of Home Affairs to ring up an official of Delhi Administration in connection with the demolition of these huts. I can prove this.

The working of the Ministry of Home Affairs is really mysterious. I am giving you an example. A person who had gone to Pakistan in 1947 and then come back to Delhi in connection with his property was declared a Pakistani national by Punjab High Court and was ordered to leave the country. But it is strange that that very person was not only

allowed to stay in India by the Ministry of Home Affairs. but he was also nominated as a member of the Wakf Board, because he had connections with the Con,re smen of Delhi. I would like to suggest that this matter should be investigated.

So far as the situation in Naxalbari is concerned, I cannot agree with the views expressed by Comrade Dange that situation was an outcome of land problem If it would have been a question of land problem only then there was no hinderance in the way of the West Bengal Government to stop evictions and to distribute land to the landless. But this was not done. Moreover it was not a quest on of law and order. Whatever has happened there may be termed as an attempt to jeopardize the national unity and democratic set up. We can not help condomning such accidents. With all that I do not subscribe to the view that this situation should be made the basis for Central interference or imposition of President's rule in West Bengal.

Next I want to point out that the unfortunate attempt to attack an anti-China meeting in Calcutta on 2nd July is a clear indication that Pro-Chinese elements are active in our Country. They are out to destroy our democracy. I am of the opinion that raising of Promao slogans in our country is a warning of danger for us. We may have differences on social and economic problems. But there should be no difference of opinion in our country in regard to its sovereignty and unity. We are an indeependent, soverign and demoractic country and we should have no compromise either with Russia or with America at the cost of our national honour, We believe in social equality and we believe in abolition of exploitation, We believe in democracy, but at the same time we have no faith in Voilence. Violence should be eliminated and democracy should be strengthened.

So far as the question of abolition of privy purses is concerned, I want to point out that we should not call the rajas as traitors. They have given us co-operation in the past. We should acknowledge their services to the country. Likewise, I would also say that Birlas should also not be called traitors. Of course we should decide new policies for future and our policies should be progressive.

A question has been raised about the release of Sheikh Abdullah. My submission is that the question of Shejkh Abdullah's release is not so important, as is the question of kashmir. There is some talk of a change in the policy of Government in regard to Jammu and Kashmir. I warn the Goverment that there should be no change in our Kashmir policy, which is detrimental to our national interest. We have made sacrifices for the integration of Jammu and Kashmir with the rest of the country and those sacrifices should not go in vain. I am of the opinion that Article 370 should be abrogated to integrate the State of Jammu and Kashmir with the rest of the country. It will be dangerous to release sheikh Adbullah unless he changes his views and be perpared to work as a citizen of India. I hope that the Home Minister will not endanger our securiy by releasing Sheikh Abdullah unles she changes his views.

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई है। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपना भाषण संक्षेप रखें। माननीय मन्त्री कल 3 बजे म० प्र० उत्तर देंगे।

चन्डीगढ़ के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय

Shri Shri Chand Goel : (Chandigarh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the half-an-hour iscussion is being raisd on the points arising but of the reply given to starred question

No. 37 on 24th May, in which it was asked whether the Government of Haryana had refused to accept arbitration by Shrimati Indra Gandhi on Chandigarh issue and if so, what further steps are being contemplated to be taken in this regard.

आधे घन्टे की चर्चा

Half-an Hour Discussion

Mr. Deputy Speaker, my submission is that the city of Chandigarh was constructed after the partition of the country in 1947. At that time it was thought that this capial city would meet the entire requirements of the entire Punjab. At that time the huge sum of money was borrowed from Goverment of India in order to construct this city.

Mr. Deputy Speaker, Chandiarh is a most beautiful city in Asia. But its future is uncertain. It is but natural that the citizens of Chandigarh are worried about its future the designer of Chandigarh has designed this city in such a way that it looks like a living human body and it is not possible to deivide it. At the time of reorganisation of Punjab it was decided that the figures of 1961 census would be treated as authentic. According to 1961 census about 73.3 percent of the population of Chandigarh is Hindi speaking. Then the majority of the studenst living in Chandigarh has offered Hindi as medium of instruction. On the basis of these two factors the Boundary Commssion came to the conclusion that Chandigarh should be included in Haryana. But this decision was opposed by the then congress leaders, This qnestion was then considered by the cabinet for two days. In the meantime a daligation of cityjans of Chandigarh came over here and persented their case before the cabinet and the Prime Minister for the Chandigarh as a Union territory. So taking into consideration the wishes of the people pur pose of making decided to make Chandigarh Union. Territory. In this connection I want to quote. Shri Nanda, the then ome Minister. HShri Nanda said the following words in this House on 6th September, 1966 "So far as Chandigarh is concerned it had been concieved, planned and designed for the purpose of serving the entire area, the Hindi region and the Punjabi region, and hence it is so situated that now when the need is there, it can serve effectively as the capital of both the states of Harryana and Punjab as they are beingc reated now."

चण्डीगढ़ को हिन्दी भाषी एवं पंजाबी भाषी दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया था। अतः यह पंजाब तथा हरियाना दोनों राज्यों जिन्हें कि अब बनाया जा रहा है—की राजधानी का काम सरलता से दे सकेगी)।

Then while replying to the debate he said "so far as Chandigarh is concerned, let there be no arguments about it. It has been settled accepted and there is no way now except to re-poen the whole thing, that may mean delay, we know how long it will take again to reconsider the whole thing, giving it to some other commission going into all these things once again, it is not possible, Therefore let us not argue about these things let us take it in good spirit. My be that some persons my feel that Panjab has a better claim then Haryana. On the other hand the Haryana people may say "Here was a majoirity recommendation in our favour, why have you deported from that at all ?" So it is good enough as it is. It serves our purpose of Haryana and Punjab to have the capital there. It is also economical Arrangement. It is an arrangement which is going to be in the interest of all concerned."

(चण्डीगढ़ का प्रश्न अब हल हो चुका है। इस बारे में अब और कोई तर्क पेश करने से कोई लाभ नहीं है। चण्डीगढ़ को केन्द्र शासित रखने में पंजाब, हरियाणा तथा हम सब का हित है।)

So the then Home Minister had made it clear that it would be in the interest of all concerned to have Chandigarh as a centrally administered area. This proposition was also accepted by the then representative of Chandigarh constituency in this House.

The question of Chandigarh was again raised as Sant Fateh Singh threatened to immolate himself, if Chandigarh was not included in Punjab. At that time there were Congress Goverments in Haryana and Punjab and the Chief Ministers of both these Governents agreed to accept the Prime Minister as an arbitrator on the Chandigarh issue. But I want to point out that the commitment of both the former Chief Ministers of Punjab and Haryana to accept arbitration on Chandigarh issue was personal and they had neither the approval of the Legislative Assemblies nor they had consulted their Cabinet colleagues.

My submission is that the main question to be decided in the last election was whether Chandigarh should remain a Union territory or whether it should go to Punjab. My main stand was that Chandigarh should remain a Union territory and the stand of my congress rival was that it should go to Punjab. There was a third communist candidate also. I have secured many votes more that the total votes secured by my both rivals. This shows that the people of Chandigarh have given their verdict that Chandigarh should remain a separate entity in the form of Union territory.

The Government of Haryana is not prepared to accept the Prime Minister's arbitsation on Chandigarh and the Haryana Legislative Assemble has also passed a resolution to this effect. So the Prime Minister should make a categorical statement that she is not prepared to act as an arbitrator in this regard.

Further I want to submit that Sant Fateh Singh is in an embarrasing position. On the one hand he is saying that he was assured on behal of the Prime Minister by Sardar Hukam Singh that Chandigarh should go to Punjab and on the other hand he is saying that Prime Minister should act as an arbitrator on Chandigarh issue. These two things are self contradictory.

Lastly I want to point out that neither Punjab nor Haryana can afford to set up a new capital by spending crores of rupess. Chandigarh should, therefore, be the seat of both the Goverments and should continue to remain as a Union Territory.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Keeping in view the backwardness of Haryana and the discriminatory attitude of the former Punjab Goverment. It was recommended by Shah Commission that Chandigarh should be included in Haryana. The commission had also given consideration to the fact that there is another city in Punjab-Patiala, which could easily be converted into the capital of Punjab. The Central Government had acted in an irresponsible way by making Chandigarh an Union territory. When it was recommended by Shah Commission that Chandhigarh should be included in Haryana. I want to know from the Home Minister whether any State has got the right to seek Prime Minister's award over an issue which had already been settled by Parliament and whether the Prime Minister had got any right to act as an arbitrator.

There had been a meeting between the Prime Minister and Sant Fateh Singh recently. I want to know whether she had given any assurance to him which is against the interests of Haryana.

श्री गु० सि० ढिल्लों : (तरु तारन) श्री गोयल चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र चाहते हैं। श्री शास्त्री चण्डीगढ़ को हरियाना में चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि खरड़ तहसील के आसपास के क्षेत्र उसी स्थान में हैं जो भूतपूर्व पंजाबी क्षेत्र का अभिन्न अंग था ? दूसरी बात यह कही गई है कि वहां शहरी क्षेत्र के लोग हिन्दी भाषी हैं। क्या माननीय सदस्य को पता

नहीं है कि 1961 की जनगणना में यह प्रतिशत चण्डीगढ़ की यूनिट में एक मात्र यूनिट के रूप में लेकर एक साथ खरड़, मनी भाजरा, कालका और अम्बाला की यूनिट में लिया गया था ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The issue of Chandigarh has become prestige issue for Haryana. We have full faith in Prime Minister's arbitration. But Sant Fateh Singh's statement is a challenge for Haryana. May I know whether Government will yield to the pressure and black mailing being exercised by Sant Fateh Singh and reject the abitration Suppose arbitration fails to solve this issue because there are non-Congress Governments in both the States and both are firm on their stands, will the Home Minister implement award of the Judicial Tribunal headed by the Judge of the Supreme Court ? If this award is not implemented, will the Home Minister and the Government propose to have an opinion poll in Hindi speaking areas of Chandigarh and around it ?

Shri Raghuvir Singh Shastra (Bagpat) : Why the basis of language is not adopted to decide the future of Chandigarh when it was done in the case of division of Punjab ? Does it not show the weakness of the Goverment that the issue of Chandigarh is being reopened again and again ? If the Government really want to follow the principles of democracy, why they hesitate to have opinion poll in deciding the future of Chandigarh ?

श्री बी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : पंजाब के पुनर्गठन विधेयक को पारित करते समय निर्णय किया गया था कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र रहे । समझ में नहीं आता कि इस मामले को बार बार क्यों उठाया जा रहा है, विशेष रूप से जबकि वहां के लोगों की यह राय है कि चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र रहे क्योंकि श्री श्रीचन्द गोयल ने इसी आधार पर चुनाव लड़ा था कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र रहेगा ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I would like to draw Home Minister's attention to a news item published in Peoples' Journal of Bombay it has been stated that Akali Leader, Sant Fateh Singh asked the Prime Minister to arbitrate on Chandigarh at the earliest, irrespective of the stand taken by the Haryana Government not to go back on its commitments on the issue.Talking to newsmen Sant Fateh Singh said they had accepted arbitration on Chandigarh because the Prime Minister had been telling the various deputation meeting her that Chandigarh belonged to Punjab.

He also urged the Prime Minister to appoint a Committee or a Commission to go into the question of other Punjabi-speaking areas, as had been promised by Shri Hukam Singh.

Keeping in view the facts that disputes of varions nature between two States come up from time to time and the Government have to give certain assurances to different political persons, do the Government propose to set up a permanent commission to settle such disputes ?

Shri Prem Chand Varma (Hamirpur : May I know whether Himachal Pradesh will be considered one of the claiment whenever the question of division Chandigarh arises ?

May I know whether the remaining area of Una Tehsil, Dharkala Block in Pathankot Tehsil and Kalka will be given to Himachal Pradesh as recommended by the commission ?

May I know whether on the division of Chandigarh a proportionate share of it will be given to Himachal Pradesh or not ?

श्री देविन्दर सिंह : (लुधियाना) : श्री श्रीचन्द गोयल ने इस आधार पर चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाये रखने का समर्थन किया है कि उन्होंने चुनाव ही इस आधार पर लड़ा कि चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र रहेगा मैं समझता हूँ कि आम चुनाव केवल इसी आधार पर नहीं लड़ा जाता है उसके और भी कई आधार होते हैं। चण्डीगड़ में रहने वाले लोगों की अधिकांश संख्या अमृतसर, जालंधर, लुधियाना आदि पंजाबी भाषी क्षेत्रों की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि चण्डीगढ़ पंजाब से इस आधार पर ले लिया जाये क्योंकि वहां के लोगों की मातृ भाषा हिन्दी है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi Sadar) : The division of Punjab was made according to the recommendations of the commission appointed for the purpose. But the Government have reopened this issue again under the pressure of violence, fast unto death and other threats of some political persons. Thus Government have set up a wrong precedent and the Prime Minister has agreed to arbitrate in the matter.

May I know whether any direct or indirect assurance was given to Sant Fateh Singh through Sardar Hukam Singh or through some body else when he was on fast unto death ? All the facts are before you and on the basis of these facts this matter should be decided.

The Minister should consider the possibility of deciding the issue by toss.

Shri Ram Kishen (Hoshiarpur) What was the position regarding Kharar Tehsil in Chandigarh according to Regional Formula and the Regional committees formed thereunder and which was signed by the Representatives of Hindus, Sikhs and other section in Punjab and notified by the Home Ministry on the basis of languge in 1956 after State Organisation and will be taken into consideration while taking a decision on Chandigarh and Kharar ?

Was any direct or indirect assurance was given to Sant Fateh Singh or to the Members of Parliament from Punjab when the Sant was on fast unto death ?

Since the Chief Ministers of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh had experessed different opinion at their meeting with you before the general election, was any meeting of Chief Secretaries of the respective States held or any correspondence with the three Governments had taken place and if what was the outcome ?

Will the strategic importance of Chandigarh as a supply line after Chinese aggression and the internal situation in the country be taken into consideration while taking decision on Chandigarh ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इस मामले पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मुझे सभा के सामने इस बारे में तथ्यों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। यह सर्व विदित है कि शाह आयोग ने चन्डीगढ़ को हरियाना में मिलाने की सिफारिश की थी किन्तु सरकार ने यह निर्णय किया कि चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र रहे और सरकार के इस निर्णय को संसद का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया था।

बाद में सन्त फतेहसिंह द्वारा आत्मदाह की धमकी के कारण यह मामला फिर उठाया गया। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान अपने 8 दिसम्बर, 1966 के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें मैंने कहा था कि जब तक सभी पक्ष कोई सर्वमान्य हल न निकाल लें सरकार पुनः संयंजन के किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

सन्त फतेहसिंह द्वारा अनशन किये जाने पर स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार और हरियाना तथा पंजाब के मुख्य मन्त्रियों के बीच विचार विमर्श हुआ। अन्त में मुख्य मंत्री इस मामले में प्रधान मन्त्री को मध्यस्थ बनाने के लिए राजी हो गये। जब प्रध न मन्त्री को इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्होंने हिचकिचाहट के साथ मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया था। सरदार हुकमसिंह के माध्यम से इसकी सूचना सन्त फतेहसिंह को दे दी गई थी।

अब कुछ सदस्यों ने यह बात उठाई है कि क्या मुख्य मन्त्रियों ने इस मामले में अपने मन्त्रिमन्डल की स्वीकृति ली थी। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक मन्त्री सरकार के प्रति उत्तरदायी है। वह जो कुछ भी कहता हैं सरकार तथा मन्त्रिमण्डल की ओर से ही कहता है।

एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सन्त फतेहसिंह को किसी भी समय सरदार हुकमसिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि चन्डीगढ़ पंजाब को दिया ज येगा। अतः मध्यस्थता के इस मामले को सौंपने के लिए सन्त फतेहसिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति का यह सोचना निराधार है कि चन्डीगढ़ पंजाब को दिया जायेगा। जार्ज फरनेन्डीज ने आज समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे सन्त फतेहसिंह कुछ भी प्रचार करें उनके वक्तव्यों में विश्वास नहीं करना चाहिए।

इस मामले में प्रधान मन्त्री द्वारा मध्यस्थता करने का प्रस्ताव इसी आधार पर स्वीकार किया गया कि उस समय दोनों ही राज्यों के मुख्य मन्त्री इसके लिए सहमत थे। किन्तु अब हरियाना के वर्तमान मुख्य मन्त्री को प्रधान मन्त्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस मामले में मध्यस्थता मान्य नहीं हैं। अब स्थिति यह है कि यदि दोनों ही पक्ष प्रधान मन्त्री को मध्यस्थ मानने के लिये सहमत होंगे तो वह अब भी मध्यस्थता करने के लिये तैयार है। आज पंजाब की सरकार तथा सन्त फतेह सिंह प्रधान मन्त्री द्वारा मध्यस्थता के लिए सहमत हैं। किन्तु हरियाना के मुख्य मन्त्री ने पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि उन्हें यह मध्यस्थता स्वीकार नही है। उन्होंने इसके अनेक कारण बताये हैं। उनमें से एक कारण यह है कि कुछ लोगों का विचार है कि मध्यस्थता निर्णय पंजाब के पक्ष में होगा। उन्होंने इस सारे मामले पर आरम्भ से अन्त तक विस्तार से फिर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया है। हम इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

यह एक विचित्र बात है कि पंजाब में जनसंघ वाले कहते हैं कि चण्डीगढ़ पंजाब में जाना चाहिए। हरियाना में कहते हैं हरियाना में और चण्डीगढ़ से लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्य का कहना है कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में रहे।

श्री रामकिशन ने कहा है कि चण्डीगढ़ के प्रश्न पर विचार करते समय भारत की सुरक्षा का ध्यान रखा जाये। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ सदैव सुरक्षित रहेगा और यह सदैव भारत की सुरक्षा के हित में रहेगा। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

श्री रणधीर सिंह : शाह आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 6 जुलाई, 1967/15 आषाढ़ 1889/ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thurday 6, July 1967 Asadha 15, 1889 (Saka)